शिक्षा की रणनीतिक योजना 2008-2010

actionaid

शिक्षा की रणनीतिक योजना

2008-2010

actionaid

विषय सूची

प्रस्तावना	३
परिचय	४
संकेताक्षर	५
कार्यकारिणी सारांश	६
अध्याय १ : सर्वप्रथम शिक्षा का अधिकार और गरीबी दूर करने का अधिकार	९
अध्याय २ : सर्वप्रथम शिक्षा का अधिकार और गरीबी दूर करने का अधिकार	१२
अध्याय ३ : उपेक्षित सामाजिक समूहों की शिक्षा	१९
अध्याय ४ : शिक्षा के अधिकार को स्थापित करने की रणनीति	२३
अध्याय ५ : शिक्षा के अधिकार को हकीकत में बदलने में हमारे साझेदार	३१
अध्याय: जवाब देही	३३
राज्य के आधार पर शिक्षा (२००२.२००३) के संकेतों का चुनाव करें	३५
अंतिम टिप्पणियाँ	३६

प्रस्तावना

इस दस्तावेज में हमारी शिक्षा के संबंध में समझ और रणनीति को व्यक्त किया गया है। प्रारंभ में मैं दामोदरन कुप्पुस्वामी की अध्यक्षता में इस टीम को बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने इस दस्तावेज को बड़ी मेहनत से संकलित करके इसे व्यापक वितरण के लिए तैयार किया।

वास्तव में इस दस्तावेज को काफी व्यापक ढंग से और विस्तार से तैयार किया गया है और यह जानते हुए कि पाठक आगे के पृष्ठों में सभी जानकारियाँ प्राप्त करेंगे लेकिन मैं आगे की चंद पक्तियों में अपनी बातें पूरी करता हूँ।

जैसाकि हम सब जानते ही हैं कि एक्शनएड पिछड़े इलाकों में काम करता है। हम उपेक्षित समुदायों के साथ मिलकर काम करते हैं। उपेक्षित समुदायों के बच्चे ही शिक्षा से वंचित हैं। भारत में सरकारी स्कूलों का एक बड़ा नेटवर्क है। परन्तु इनमें ज्यादातर स्कूल ऐसे हैं जो पढ़ाई के काम में प्रभावी ढंग से नहीं जुटे हैं, जिसके फलस्वरूप स्कूल के साथ प्रभावी ढंग से नहीं जुड़े हैं और स्कूल से बाहर होते जा रहे हैं। भले ही भीषण गरीबी में जीने वाले उनके अभिभावक अपने बच्चों को शिक्षित होते देखना चाहते हों।

बरसों से शिक्षा संबंधी शिक्षावृत्ति (स्कॉलरशिप) का प्रावधान होने के बावजूद आज भी स्कूली शिक्षा को सर्वव्यापक बनाने का लक्ष्य हासिल करने वाली रणनीतियों को लेकर काफी विवाद बना हुआ है। यह यथास्थिति बने रहने के पीछे सबसे बड़ा कारण निश्चित रूप से राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव बने रहना ही है। और यह राजनीतिक इच्छा–शक्ति इसलिए नहीं बन पाई है क्योंकि भारत अमीरों का भारत और गरीबों का भारत में बँटा हुआ है। हमारे देश की शिक्षा विभिन्न स्तरों पर बँटी हुई है और स्तरों का यह फासला उसी तरह से मौजूद है जिस तरह से हमारे समाज में व्याप्त है।

हमारे देश में अंतर्राष्ट्रीय स्कूल हैं– भारतीय माध्यमिक शिक्षा प्रमाण स्कूल (आई.सी.एस.ई.), केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई), स्कूल, केन्द्रीय विद्यालय स्कूल तथा अति साधारण स्कूल– जिनमें सरकारी पाठ्यक्रम की पढ़ाई होती है। भारत का प्रत्येक परिवार जिसके पास कुछ खरीदने की क्षमता है या ज्यादा सटीक ढंग से कहें कि जिसमें शिक्षा को खरीदने की ताकत है वह इसमें से किसी स्कूल में पढ़ने जा सकता है लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि बच्चों के अभिभावकों की जेब कितनी गरम है। मगर उन बच्चों का क्या होगा जिनके परिवार उपेक्षित समुदायों से हैं?

इसी कारण से दलित, आदिवासी, मुसलमान, शहरी गरीब, अनौपचारिक तबके के लोग, मछुआरे, बुनकर और इसी प्रकार सबसे ज्यादा पिछड़े समुदायों के वे लोग जिनके पास खरीदने की ताकत नहीं है – यहाँ तक कि अपने खाने की जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा नहीं है और जिनके पास अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए फीस देने तक का पैसा नहीं है।

क्या सरकार इस सच्चाई से वाकिफ है? हाँ वे वाकिफ हैं! इसीलिए उन्होंने अनुच्छेद 21–ए को एक प्रतिभाशाली लोकप्रिय उपाय के रूप में लागू किया। लेकिन वे इस संशोधन को अधिसूचित करना भूल गये और इसीलिए यह अनुच्छेद अभी कानून में नहीं तब्दील हो पाया है। लेकिन भारत के सर्वोच्च न्यायालय का भला हो जिससे इस देश के कानून में शिक्षा का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार बना।

अभी भी भारत में शिक्षा के मौलिक अधिकार को क्रियान्वित / संचालित करने के लिए कई और जरूरतों को पूरा करना होगा। हमें नीतिगत स्पष्टता बनानी होगी। हमें उठाये जाने वाले कदमों की स्पष्टता बनानी होगी। हमें स्पष्ट करना होगा कि स्कूल के लिए किन बुनियादी ढाँचों की जरूरत पड़ती है, अध्यापक–विद्यार्थियों का कम से कम कितना औसत होना चाहिए? इसमें समुदाय की क्या भूमिका है? अध्यापक को कम से कम कितना प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ होना चाहिए, इत्यादि।

यह तभी होगा जब हम इन्हीं सब बातों को जोड़कर भारत के सभी गाँवों में व्यवहारिक रूप से शिक्षा को लागू करेंगे और ऐसे करीब 700,000 गाँव हैं जिन्हें हम इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि कैसे सरकारी स्कूल काम कर सकते हैं?

इस दस्तावेज को तैयार करने का ध्येय इन्हीं चन्द सवालों के जवाब तलाशना है और हमें आशा है कि यह दस्तावेज इस दिशा में अपना योगदान देगा।

कृपया आगे के पृष्ठों को बड़ी सावधानी से पढ़ें और अपने फीडबैक से हमें लाभान्वित करें।

बाबू मैथ्यू
राष्ट्रीय निदेशक, एक्शनएड इंडिया।

परिचय

1970 के दशक की शुरूआत में एक्शनएड बच्चों की शिक्षा को प्रायोजित कर रहा था। लेकिन 1990 के दशक में आते–आते इसने अधिकार आधारित दृष्टिकोण को अपनाया और इसके शिक्षा कार्यक्रम में सभी बच्चों के लिए गुणवत्तामूलक शिक्षा की माँग की जाने लगी। अतीत में एक्शनएड ने बच्चों की बेहतर शिक्षा की दिशा में काम किया हुआ था परन्तु भिन्न दृष्टिकोण से – बुनियादी ढाँचे का विकास, अनौपचारिक व प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चलाना, अध्यापकों का प्रशिक्षण – जिन्हें ज्यादातर समुदायों के साथ साझेदारी बनाकर किया गया। नीतिगत हिमायत (जनसमर्थन) हमारे काम का अभिन्न हिस्सा बना रहा।

हर 5 साल में एक्शनएड कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा और उन समुदायों के फीडबैक के आधार पर अपनी राष्ट्रीय रणनीति पेपर (सी.एस.पी.) तैयार करता है जिनके साथ यह काम कर रहा है। सीएसपी द्वितीय 1998–2002 से हमारे काम में अधिकार आधारित दृष्टिकोण का शुभारंभ हुआ, जिसके तहत स्कूल पूर्व बच्चों, स्कूल छोड़ने वाले बच्चों व प्रौढ़ों की शिक्षा के लिए सीधे हस्तक्षेप किया गया। पटना स्थित शिक्षा ईकाई ने स्थानीय परियोजनाओं में अपना सहयोग दिया और स्थानीय स्तर के शोध व जनसमर्थन (एडवोकेसी) के काम किए। 'ट्रेकिंग साइड' यानी 'तरपफदारी करना' (एक तैयार रणनीति : 2000–04) में सबसे ज्यादा हाशिए पर पहुँचे उन समुदायों ;महिलाओं , बच्चों व अपंग लोगों पर विशेष ध्यान देते हुए पर ध्यान केन्द्रित किया गया जो अदृश्य, कलंकित हैं, और जिनके साथ पक्षपात किया जाता है जिससे उन्हें संविधान व वैधानिक प्रावधानों में बताए गए अधिकार प्राप्त हों। एक्शनएड के लिए अधिकार के रूप में शिक्षा एक मुद्दा था, जिस पर उसने काम करने का निर्णय लिया, लेकिन इसका मुख्य ध्येय उन बच्चों की शिक्षा तक पहुँच बनाना था जो स्कूली शिक्षा छोड़ गए हैं।

एक्शनएड इंडिया ने सी.एस.पी. द्वितीय (2005–2010) में अधिकार आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए अपने काम को ज्यादा गूढ़ करने का संकल्प किया। संक्षेप में कहें तो हम आगे पाँच वर्षों में हाशिए में पहुँचे सामाजिक समूहों को उनके अधिकारों – स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, आहार, व आजीविका तथा मानव सुरक्षा – का एहसास दिलाने की दिशा में काम करेंगे। हमने हाशिए में पहुँचे सामाजिक समूहों के साथ गठजोड़ बनाकर काम करने का ध्येय बनाया है जिससे वे अपने अधिकारों की माँग के लिए सामूहिक आवाज बुलंद कर सकेंगे।

भारत में स्कूली शिक्षा की सर्वव्यापकता का लक्ष्य हासिल करने का यही सही समय है। इसका सकारात्मक पक्ष यह है कि गरीब अभिभावक यह इच्छा रखें कि उनके बच्चे भीषण गरीबी के बावजूद भी स्कूल जाना न छोड़ें। ऐसे प्रमाण मिले हैं जिनसे पता चलता है कि अगर बच्चों के लिए गुणवत्तामूलक शिक्षा हासिल करने की परिस्थितियाँ खड़ी की जाएं तो वे उसी रास्ते पर चलने की इच्छा रखेंगे। यह एक उत्साहजनक प्रवृत्ति है। लेकिन इन वर्षों में सरकारी स्कूलों में गुणवत्तामूलक शिक्षा को नकारा गया है। इन स्कूलों में जाने वाले उपेक्षित समूहों की गुणवत्तामूलक शिक्षा की माँग को नहीं सुना जाता है। हम उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए प्रयासरत हैं। जहाँ कहीं सरकार गंभीरता से अपने कार्य कर रही है वहां एक्शनएड सरकार का सहयोग करेगी और जहाँ इनके क्रियान्वयन में ढिलाई होगी वहाँ वह सरकार से जवाबदेही की माँग करेगी।

हम यहाँ अपनी शिक्षा की रणनीतिक योजना को पेश कर रहे हैं जिसे हमने अपने साझेदारों और शिक्षा के क्षेत्रा में काम कर रहे अन्य लोगों के साथ निरंतर सलाह–मशविरा करके विकसित किया है। हम केट केरोल और नीरज सेठ के आभारी हैं जिन्होंने शुरूआती अवस्था में इस रणनीतिक योजना को लिखने में अपना योगदान दिया है।

दामोदरम कुप्पुस्वामी
एक्शनएड के शिक्षा कार्यकारी समूह की ओर से

संक्षेपाक्षर

ए.ए.	:	एक्शनएड
ए.आई.सी.टी.ई.	:	भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद
एड्स	:	एक्वायर्ड इम्यूनो डेपिफसियन्सी सिन्ड्रोम
ए.आई.ई	:	वैकल्पिक नवीन शिक्षा
एस्बे	:	एशिया साउफथ पेसिपिफक ब्यूरो ऑपफ एडल्ड एजुकेशन
बी.आर.सी.	:	प्रखंड संसाधन केन्द्र
सी.ए.सी.	:	सिविक एमेनिटीस कमिटी
सी.बी.ओ.	:	समुदाय आधारित संगठन
सी.ई.एफ.	:	कामन्वेल्थ एजुकेशन फंड
सी.आर.सी.	:	समूह संसाधन केन्द्र
सी.एस.ओ.	:	नागर समाज के संस्थान
सी.एस.पी.	:	राष्ट्रीय रणनीति पेपर
सी.एस.एस.	:	सामान्य स्कूली व्यवस्था
डी.आई.ई.टी.	:	जिला शैक्षिणिक प्रशिक्षण संस्थान
डी.आई.एस.ई.	:	जिला शिक्षा जानकारी व्यवस्था
ई.एफ.ए.	:	सबकी शिक्षा
ई.जी.एस.	:	शिक्षा गारण्टी स्कूल
ई.यू.	:	यूरोपियन युनियन
जी.डी.पी.	:	सकल घरेलू उत्पाद
जी.पी.	:	ग्राम पंचायत
एच.आई.वी.	:	हड्यूमन इम्यूनो डेपिफसियन्सी वायरस
आई.सी.डी.एस.	:	समेकित बाल विकास योजना
आई.एम.एफ	:	अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
एम.डी.जी.	:	सहत्राब्दि विकास लक्ष्य
एम.डी.एम.	:	दोपहर का भोजन
एम.टी.ए.	:	माँ – अध्यापक संघ
एम.वी.एफ.	:	एम वेंकेटारंगइया फाउंडेशन
एन.ए.एफ.आर.ई.	:	नेशनल एलायन्स फॉर फंडामेंटल राइट टू एजूकेशन
एन.सी.ई.	:	राश्ट्रीय शिक्षा संघ
एन.सी.एफ.	:	नेशनल केरिकुलम फ्रेमवर्क
एन.सी.पी.सी.आर.	:	राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग
एन.एफ.ई.	:	अनौपचारिक शिक्षा
एन.जी.ओ.	:	गैर–सरकारी संस्था
एन.पी.ई.	:	राष्ट्रीय शिक्षा नीति
नरेगा	:	राष्ट्रीय गामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम
एन.एस.एस.	:	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण
एन.यू.ई.पी.ए.	:	नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजूकेशन प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन
ओ.बी.बी.	:	ओपरेशन ब्लैक बोर्ड
पी.एल.एच.ए.	:	एच आई वी – एड्स से ग्रसित लोग
पी.ओ.ए.	:	प्रोग्राम ऑफ एक्शन (कार्यवाई कार्यक्रम)
पी.आर.आई.	:	पंचायती राज संस्थान
प्रोव	:	पब्लिक रिपोर्ट ऑन बेसिक एजूकेशन इन इंडिया
पी.टी.ए.	:	अभिभावक अध्यापक संघ
आर.बी.ए.	:	अधिकार आधारित दृष्टिकोण
अनु.जाति	:	अनुसूचित जाति
एस.डी.एम.सी.	:	स्कूल विकास प्रबंध समिति
एस.एस.ए.	:	सर्व शिक्षा अभियान
अनु. जनजाति	:	अनुसूचित जनजाति
टी.एल.एम.	:	अध्यापन शिक्षण सामग्री
यू.ई.ई.	:	युनिवर्सल एलीमेंटरी एजुकेशन (सर्वव्यापक मौलिक शिक्षा)
यू.एन.	:	सुंयुक्त राष्ट्र
यू.पी.ए.	:	युनाइटेड प्रोग्रेसिव एलायन्स
वी.ई.सी.	:	ग्राम शिक्षा समिति

कार्यकारिणी सारांश

एक्शनएड इंडिया शिक्षा को एक मौलिक अधिकार, जो कि राजशक्ति की जिम्मदारी है, और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए विकास नीति के एक मूलतत्त्व के रूप में देखता है। इस दर्शन में एक ऐसी दुनिया की कल्पना की गई है जिसमें ''सभी बच्चों की एक ऐसी न्यायपूर्ण व्यवस्था में गुणवत्तामूलक शिक्षा तक निःशुल्क पहुँच होगी जिसमें बच्चों खासकर बालिकाओं के अधिकारों का सम्मान किया जाता है, जिसमें वे सम्मान के साथ अपना जीवन जीएं। राष्ट्रीय रणनीति पेपर–द्वितीय (राइट्स पफर्स्ट : 2005–10) में बच्चों के अधिकार को कार्यवाई और प्रयास के प्रमुख विषय के रूप में घोषित किया गया है जिससें शिक्षा का अधिकार हमारे बाल अधिकार कार्यक्रमों के केंद्र में आ सके। इसके दो सिद्धांत हैं – (क) सभी बच्चे सामान्य शिक्षा व्यवस्था से शिक्षा प्राप्त करें और कम से कम दस सालों की स्कूली पढ़ाई पूरी करें (ख) किसी भी तरह की बाल मजदूरी का विरोध करें और शिक्षा के जरिए इस कलंक को मिटाएं। हमारा मानना है कि इसका बेहतर तरीका तो यह होगा कि सबसे पहले सरकारी स्कूलों को पुख्ता किया जाए क्योंकि ये स्कूल ही ज्यादातर उपेक्षित समुदायों के बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं।

हमारी दृष्टि (नजरिया) इस समझ पर आधारित है कि शिक्षा गरीब और उपेक्षित लोगों को शोषण का विरोध करने और उन्हें अपने अधिकारों का दावा करने के लिए उनके सशक्तिकरण का मूल आधार है – इस प्रकार शिक्षा ' संपूर्ण नागरिकता ' का अभिन्न अंग है। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा व्यवस्था है और गुणवत्तामूलक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न तरह की समस्याओं को संबोधित करने में बड़ी–बड़ी चुनौतियाँ का सामना करना पड़ता है और इसके लिए मुद्दे के हर पहलू पर गौर करना पड़ता है। इस देश की शिक्षा पर जिन विशिष्ट मुद्दों का प्रभाव पड़ता है वे चार हैं : **पहुँच**, **गुणवत्ता**, **जवाबदेही** और **वित्तीय आवंटन**। यह कमी काफी अतंर्राज्यीय असमानताओं तथा व्यापक (शीर्ष स्तर) स्तर की आर्थिक नीतियों के कारण और भी ज्यादा हो जाती है। सकारात्मक पक्षपात किये जाने के बावजूद उपेक्षित समुदायों के बच्चे स्कूल छोड़ने के जोखिम में होते हैं, जिन्हें कम गुणवत्तामूलक शिक्षा प्राप्त होती है और शासन में उनके अभिभावकों की कोई सुनवाई नहीं है।

सरकारी स्कूलों के इन मुद्दों से निपटने और गुणवत्तामूलक शिक्षा का लक्ष्य हासिल करने के लिए पाँच रणनीतिक लक्ष्य निर्धरित किए गए हैं। उन सिद्धांतो का दस्ता, जिनसे बाल अधिकारों की प्रमुखता को प्रोत्साहित किया जाता है, और समुदाय एजेंसी सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए हमारे काम में हमारा मार्ग–दर्शन करते हैं।

रणनीतिक लक्ष्य

यह सुनिश्चित करने के लिए समुदाय को संगठित करना कि सभी सरकारी स्कूलों के बच्चे गुणवत्तामूलक शिक्षा प्राप्त करें।

इसका मुख्य ध्येय समुदाय को स्कूली प्रक्रियाओं के साथ जोड़ना है। इसके मुख्य कार्यों में उपलब्ध स्थान का उपयोग करते हुए सरकारी स्कूलों को पुख्ता करना शामिल है जिससे एस.एस.ए. के मानकों के अनुसार शिक्षा तक पहुँच और गुणवत्तामूलक शिक्षा सुनिश्चित की जा सके और व्यापक स्तर पर जनसमर्थन को प्रोत्साहित करने के लिए इसके साथ स्थानीय काम को जोड़ा जा सके। सभी रूपों में बाल अधिकारों के काम को केन्द्र में रखा जाएगा जिससे विश्वव्यापी प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य हासिल हो। इस कार्यक्रम के डिजाइन में स्कूली बच्चों के लिए राज्य (सरकार) प्रायोजित प्रक्रियाओं का उपयोग करना और उन्हें स्कूल की मुख्यधरा के साथ जोड़ना शामिल है। स्कूलों को त्रासदी से बचाने और मौसम परिवर्तन की ठोस समझ के आधार पर पर्यावरण की सुरक्षा और चिरंतरता को साथ लेकर चलने के लिए समुदाय की मिलकियत को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाएंगे।

समुदाय की चेतना जगाना जिससे उन्हें स्कूली प्रक्रियाओं के साथ अपना जुड़ाव बनाने में सहुलियत हो। इससे समुदाय की स्कूली काम–काज में मिलकियत बढ़ेगी और समुदाय के अनुसार उपाय करके स्कूल में बच्चों को टिकाए रखने संबंधी मानिटरिंग की जा सकेगी और समुदायों को शिक्षा पर एक संयुक्त संघ के रूप में साथ–साथ जोड़ना जिससे स्थानीय स्तर की कार्यवाईयों को सुनिश्चित किया जा सके साथ ही साथ उन व्यापक ढांचागत मुद्दों पर जनसमर्थन (एडवोकेसी) किया जा सके जो बच्चों को उनकी शिक्षा के अधिकार के लिए नकारते हैं।

नागरिकों की पारदर्शी और जवाबदेह स्कूली शासन की दिशा में नागरिकों की सार्थक सहभागिता बनाए रखना

शिक्षा संबंधी मुद्दों पर नागर समाज को जोड़ने की प्रक्रियाओं से सहयोग प्राप्त होगा और हम सभी बच्चों की समान शिक्षा की माँग को पूरा करने के लिए मौजूदा संघों व मंचों को खड़ा कर सकते हैं या उनका उपयोग कर सकते हैं। इससे इस बात की मान्यता बनती है कि ऐसी कार्यवाईयों (पी.आर.ई., पी.टी.ए. / एस.डी.एम.सी.) को सक्रिय करना होगा जिससे कानून अनुसार शिक्षा व्यवस्था के काम किए जा सकें। इससे स्थानीय योजना बनाने की प्रक्रियाओं और जबाबदेही की पारदर्शी व्यवस्था को संस्थात्मक स्वरूप देने में सुविधा होगी। इन हस्तक्षेपों का ध्येय नीतिगत शोध से प्राप्त महत्वपूर्ण जानकारी (समझ) से शिक्षा संबंधी सोच और कार्यवाई में सामंजस्यता स्थापित करना है। संकटग्रस्त क्षेत्रों में शुरूआती बाल शिक्षा और स्कूल की सुरक्षा के लिए संकट से निपटने के उपायों पर ध्यान दिया जाएगा। यह माना गया है कि इन सभी के लिए सभी स्तरों पर काम करना होगा। स्थानीय स्तर पर कानूनी रूप से सशक्त पंचायत अन्य स्तरों के शासन के साथ प्रगतिशील लाबिग करते हुए अपना

व्यापक आधार बनाएंगी। राष्ट्रीय स्तर पर इस अभियान के कार्यकर्ता सरकार और विधानमंडलों पर दबाव डालेंगी कि वे शिक्षा का दायरा फैलाएं। एक्शनएड इन जुड़ावों को बनाने की परिस्थितियां खड़ी करेगी ताकि हर स्तर के शासन में लोगों की माँगों का अनुपालन किया जाए और राष्ट्रीय स्तर पर उनकी आवाज को सुना जाए।

यह सुनिश्चित करें कि बच्चों-खासकर बालिकाओं के साथ कोई पक्षपात न हो

इस हस्तक्षेप के तहत पक्षपात और हिसा के मौजूदा चलनों को चुनौती दी जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि स्कूल सुरक्षित वातारण पैदा करें। इसमें एन.सी.पी.सी.आर. के साथ सक्रिय जुड़ाव बनाना शामिल है। इसके काम को कलंक और पक्षपात के विरूद्ध चल रहे बड़े संघर्ष के साथ जोड़ा जाएगा और सभी सामाजिक समूहों में पहुँचाया जाएगा। इसमें रिफ्रलेक्ट (चिंतन–मनन) दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए जाति, वर्ग और जेंडर का विश्लेषण करना शामिल है जिसमें सामंती (दबंगता) संस्कृति की गहन समझ बनेगी और साथ ही इसमें स्कूलों में उपेक्षा के विभिन्न रूपों को संबोधित करना शामिल है। इसमें नीति की कमी–पेशी सामने आएगी और पूरी व्यवस्था के सुधार को प्रोत्साहन मिलेगा जिससे बच्चों की हिसा और पक्षपात से सुरक्षा की जा सकेगी। बालिका विरोधी हिंसा के अभियान को व्यापक पैमाने पर फैलाया जाएगा जैसा कि हमारा मानना है कि हिसा सुरक्षित और गुणवत्तामूलक शिक्षा के उनके अधिकार के सामने एक बड़ी बाधा है।

शिक्षा के लिए पर्याप्त संसाधनों के आवंटन और उनके प्रभावी उपयोग की हिमायत (एडवोकेसी) करें

इसका दो – तरफा फोकस हैः सभी बच्चों हेतु समान और गुणवत्तामूलक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संसाधनों की हिमायत करना और उनके प्रभावी उपयोग के लिए अच्छे शासन की माँग करना। इस काम से दबंग नव–उदारवादी सोच को चुनौती मिलेगी और सार्वजनिक–निजी साझेदारी को बढ़ावा मिलेगा। इसकी मुख्य कार्यवाईयों में केन्द्र व राज्य सरकारों पर शिक्षा को प्राथमिकता देने और संसाधन आवंटन की अपनी प्रतिबद्धताओं (सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 6प्रतिशत) को तय करने के लिए दबाव बनाए रखना शामिल है। सभी स्तरों के बजट निर्धारण की प्रक्रियाओं को प्रभावित करने और ग्राम स्तरीय बजट में हस्तक्षेप करने से इसे मदद मिलेगी साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष / विश्व बैंक द्वारा थोपे गए उन व्यापक–आर्थिक मानदण्डों को चुनौती देना जिसमें उन स्तरों की शिक्षा पर होने वाले खर्च में रूकावट खड़ी हो रही है जो ई.एपफ.ए. को हासिल करने के लिए जरूरी है। आर्थिक साक्षरता की समझ बनाने के लिए सघन प्रयास करने होंगे और समुदाय को सशक्तिकरण की एक ठोस प्रक्रिया के रूप में इस माध्यम का उपयोग करने में सक्षम करना होगा।

उन प्रभावी कानून व नीतियों की हिमायत करें जिनका ध्येय शिक्षा में समानता लाना है

हम एक ऐसे समुचित नए कानून के लिए अभियान छेड़ेंगे जो सामान्य स्कूली व्यवस्था की दिशा में काम करे। इसमें शिक्षा का अधिकार विधेयक और फिर कानून बनाने की प्रक्रियाओं के लिए मीडिया व वैधानिक हिमायत / जनसमर्थन (एडबोकेसी) करना जिससे शिक्षा राजनीतिक प्राथमिकता बने और जिससे शिक्षा का अधिकार सरकार के एजेंडा में आए। जन–सेवाओं के निजीकरण के विरूद्ध तथा बाल मजदूरी (निषेध व नियमन) अधिनियम 1986 व किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख व सुरक्षा में संशोधन) अधिनियम 2000 में संशोधन और राष्ट्रीय इमारत संहिता को अपनाने के लिए अभियान छेड़ना जिससे सभी संकटग्रस्त राज्यों के स्कूलों व स्कूली बच्चों की सुरक्षा बनाए रखी जा सके।

शिक्षा के अधिकार को हकीकत में साकार करने के लिए साझेदारी

बाल अधिकारों को साकार करने व शिक्षा के अधिकार को हकीकत में बदलने की इन रणनीतियों को व्यवहार में उतारने के लिए हमारी साझेदारियां ए.एल.पी.सी. की संगठनात्मक प्रक्रियाओं से निर्देशित होती हैं और हमारे मूल्यों व सिद्धांतों से पोषित होती हैं। हम इसे हासिल करने के लिए तीन तरह के संगठनों में जुटेंगे। इन सभी तीनों प्रक्रियाओं में हम उपेक्षित लोगों के नेतृत्व का सम्मान करते है। और इसीलिए हम बड़े विनम्र और साधरण होकर रहेंगे।

शिक्षा में सक्रिय स्थानीय कार्य समूहों के साथ साझेदारी

इसे हम बाल अधिकारों व शिक्षा में सक्रिय पंजीकृत गैर–सरकारी संस्थाओं या समुदाय आधारित संगठनों के जरिए करेंगे। इसका मुख्य ध्येय गरीबों के लिए ठोस अधिकारों का लक्ष्य हासिल करना है। इन साझेदारियों के तहत बाल अधिकारों व सरकारी स्कूलों तक निःशुल्क पहुंच बनाने का दावा करने और उन पर काम करने के लिए समुदायों में नेतृत्व का निर्माण करना होगा। इसके लिए हमारी व्यवस्था के मौजूदा अवसरों का लाभ उठाया जाएगा जिससे सरकारी स्कूलों को दुरूस्त किया जा सके। इसके तहत इस योजना के समुचित क्रियान्वयन में पंचायती राज संस्थानों का सहयोग प्राप्त करना, इनके कार्य–निर्वाह में उनका सहयोग करना और उनके उन कामों को चुनौती देना शामिल है जो बच्चों के हितों के विरूद्ध हैं।

मंचों और संघों के साथ महत्त्वपूर्ण जुड़ाव

इसके लिए अनुदान के रिश्तों से ऊपर उठकर काम करने की जरूरत पड़ेगी जिससे बाल अधिकारों व शिक्षा के अधिकारों पर गहरा असर पड़े। इसके तहत या तो मौजूदा मंचों / संघों के साथ जुड़ना होगा या फिर शिक्षा में सक्रिय समुदाय आधारित संगठनों की सदस्यता से मुद्दा आधारित मंचों / संघों की उत्पत्ति को प्रोत्साहित करना होगा। इन मंचों के निर्माण की प्रक्रिया तीन सिद्धांतों पर आधारित होगीः संसर्ग, आम न्यूनतम एजेंडा और सामूहिक नेतृत्व।

सामाजिक आंदोलनों व अध्यापक युनियन के साथ एका बनाना

इसके तहत दुनिया की उन कार्पोरेट ताकतों व नव–उदारवाद के विरूद्ध जंग छेड़ने के लिए व्यापक स्तर पर सहयोग करना होगा जो बाल अधिकारों व बाल शिक्षा पर अपना प्रभाव डालते हैं। हम मुख्य विकासीय मुद्दों पर सामाजिक आंदोलनों के साथ संवाद शुरू करेंगे जिससे यह दूरी कम हो। इस सोच के तहत हम अध्यापकों को सरकारी स्कूली व्यवस्था को पुख्ता करने और राजशक्ति (सरकार) से शिक्षा तक पहुंच व गुणवत्तामूलक शिक्षा को लेकर जवाबदेही की मांग करने में अपना करीबी मित्र मानते हैं। इसके लिए हमें अध्यापक यूनियनों के साथ जुड़ना होगा और पार्कटोनियन उद्घोषणा हमारे इस जुड़ाव का आधार होगा। इससे क्षेत्रीय व राष्ट्रीय स्तरों पर एक स्वर में आवाज बुलंद करने में मदद मिलेगी।

जबावदेही

बच्चों पर प्रस्तावित रणनीतियों के प्रभाव का पता लगाना एक्शनएड के विश्व मॉनिटरिंग ढांचे से निर्देशित होता है। इसके लिए पर्याप्त संगठनात्मक उपायों की जरूरत पड़ती है जिसके परिणामस्वरूप हम एक–दूसरे से सीखते हैं, जनसमर्थन (एडवोकेसी) में अपना सहयोग करते हैं और मॉनिटरिंग करने में सक्षम होते हैं।

सरकारी स्कूली व्यवस्था को पुख्ता करने की केन्द्रीयता (ध्येय) आर.बी.ए. के सिद्धांतों के दायरे में है। हमारे पाँच पक्षीय रणनीतिक लक्ष्य हैं जो समुदाय में है और जो समुदाय को अपने बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी उठाने के लिए उनमें चेतना जगाने, बाल अधिकारों को राजनीतिक एजेंडा के शीर्ष पर लाने और बच्चों के विरूद्ध हर तरह के पक्षपात और हिसा को समाप्त करने और राज्य (सरकार) की जवावदेही स्थापित करने और इन संघर्षों में नागर समाज के साथ एका बनाने में सहयोग करते हैं। हाशिए पर पहुँचे समुदायों के साथ मैत्री बनाने से बाल अधिकार व शिक्षा को स्थापित करने और नीतियों को प्रभावित करने के हमारे काम को विषय संबंधी हस्तक्षेपों में सहयोगात्मक माहौल और रणनीतिक मूल्य योग का काफी लाभ पहुँचा है। बाल केन्द्रित सिद्धांतो के संबंध में हमारे प्रयास और परिणाम अटल हैं। हमारा यही संकल्प है कि ''हर बच्चा सम्मान और समानता के साथ गुणवत्तामूलक शिक्षा तक आपनी पहुँच बनाने के अपने अधिकारों का पूरा लाभ उठाए।

अध्याय 1

सर्वप्रथम अधिकारों की शिक्षा और गरीबी दूर करने का अधिकार

एक्शनएड का भारत में शिक्षा के मुद्दों पर जुड़ाव सन् 1972 से ही शुरू हो गया था जब से 'सबकी शिक्षा' (ई.एपफ.ए) को विकास के मूल मंत्रा के रूप में देखा जाने लगा। इसका मुख्य ध्येय गरीब व उपेक्षित परिवारों के बच्चों को स्कूल में उपस्थित होने के लिए प्रोत्साहित करने पर बना रहा। 1980 के दशक में इसके प्रयासों का दायरा बहु–क्षेत्रीय दृष्टिकोण–पहुँच, सहभागिता और समानता के मंत्र से समुदायिक विकास करने तक फैला। सन् 2002 में विश्व शिक्षा समीक्षा ने विश्व भर में शिक्षा पर एक्शनएड के कामों का मूल्यांकन किया और इसकी कार्यवाई संबंधी सिफिारिशों से हमारे भविष्य के कामों का एक आधार बना।

इस कार्यवाई का पहला मुद्दा मौलिक अधिकार और समर्थ करने वाले अधिकार– यानी मानव विकास के उत्प्रेरक के रूप में शिक्षा का दावा करना है। इससे एक्शनएड और इसके साझेदारों का एक स्पष्ट पक्ष बना और उन्होंने सीधे स्कूल या अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र चलाने की अपनी पारंपरिक भूमिका से अलग हटकर उन गरीब लोगों का पक्ष लेने की बजाय, जिन्हें शिक्षा के उनके अधिकार के लिए नकारा गया है, उन्हें अपने अधिकारों का दावा करने और नीचे से दबाव बनाने के लिए संगठित करना शुरू किया। एक्शनएड के इस मत / पक्ष में उन सभी देशों में बुनियादी शिक्षा संबंधी मैत्री और गठजोड़ बनाने की प्रक्रिया को सहयोग देने संबंधी आवश्यकता को स्वीकारा गया, जहाँ एक्शनएड शिक्षा को राजनीतिक एजेंडा के शीर्ष तक पहुँचाने और इसे एक ऐसा प्राथमिक मुद्दा बनाने के लिए काम करता है और उस दिशा में आवश्यक कदम उठाता है जिससे परिवर्तन की माँग को लेकर आंदोलन छिड़ सके। इन वर्षों में एक्शनएड दुनिया में एक ऐसी अग्रणी संस्था बनी जो निरंतर रूप से शिक्षा के मुद्दों को उठाता रहा है। इसकी कुछेक उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं:

- प्रौढ़ शिक्षा पर रिफ्रलेक्ट (चिन्तन मनन) दृष्टिकोण की संकल्पना (सोच) बनाना, उसका पथ–प्रदर्शन करना और प्रचार–प्रसार करना (जिसका आज 70 देशों की 500 से भी ज्यादा संस्थाएँ उपयोग कर रही हैं और जिसे सन् 2003, 2005, 2007, 2008 में संयुक्त राष्ट्र साक्षरता पुरस्कार से नवाजा गया)।
- शिक्षा पर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय गठबंधनों के गठन का सहयोग (फैसिलिटेट) करना – गैर–सरकारी संगठनों, अध्यापक युनियनों, सामाजिक आंदोलनों व अन्य कई एजेसियों का जुड़ाव बनाना।
- 'ग्लोबल कैम्पेन पफॉर एजूकेशन' – अर्थात शिक्षा हेतु विश्व अभियान में सह– संस्थापन (प्रवर्तन) और अग्रणी भूमिका निभाना (इस प्रयास में 100 से भी ज्यादा देशों के शिक्षा जगत के कार्यकर्ताओं को संगठित किया गया)।
- अपने साझेदारों के साथ मिलकर विश्व स्तर पर जनसमर्थन (एडवोकेसी) के कुछेक महत्त्वपूर्ण नतीजों को कायम रखने–जैसे इन देशों को विश्व व्यापी प्राथमिक शिक्षा–सहत्राब्दि विकास लक्ष्य, शिक्षा पर यूरोपियन युनियन एड– का लक्ष्य हासिल करने के लिए फास्ट ट्रैक इनिशिएटिव यानी त्वरित गति से पहल ।
- देश भर में शोध को बढ़ावा देना जैसे लागत, स्कूलों में बालिकाओं के विरूद्ध हिसा, अनुदानदाता द्वारा वित्तीय सहायता, एच.आई.वी, स्कूली शासन, प्रौढ़ शिक्षा।
- शिक्षा नीति के मुख्य मुद्दों पर दुनियाभर के नागर–समाज के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना ;जैसेः एम.डी.जी. कार्य दल रिपोर्ट, डाकर फ्रेमवर्क फॉर एक्शन, (प्रौढ़ साक्षरता के पदचिन्ह)।
- उच्च स्तरीय विश्व की प्रक्रियाओं में स्थानीय नजरिया लाना (जैसेः ई.एफ.ए. ग्लोबल मानिटरिंग रिपोर्ट) इस रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए उच्च स्तरीय समूह की बैठक, ई.एपफ.ए. वर्किंग ग्रुप, (शिक्षा पर विश्व बैंक का मूल्यांकन)।

इन उपलब्धियों में हमारे साझेदारों व समुदायों ने एक बड़ी भूमिका का निर्वाह किया है– इनमें हजारों लोग यह सुनिश्चित करने के लिए जुड़े कि जिससे गरीब व उपेक्षित बच्चों की गुणवत्तामूलक शिक्षा तक पहुँच बढ़े। स्थानीय स्तर पर जुड़ाव हमारे सभी शिक्षा कार्यों का मूल आधार रहा है– यानी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय नीति के मुद्दे के ईर्द–गिर्द अन्य लोगों को जोड़ने की हमारी विश्वसनीयता का स्रोत रहा है। अपने स्थानीय प्रयासों में हमने बार–बार देखा कि शिक्षा गरीब व उपेक्षित लोगों की सर्वोच्च प्राथमिकता है । हमारा यह दृढ़–विश्वास है कि अगर अच्छी गुणवत्ता के स्कूल उपलब्ध कराए जाएं तो गरीब से गरीब अभिभावक भी अपने बच्चों को पढ़ने भेजेंगे।

हम क्यों शिक्षा पर काम करते हैं?

एक्शनएड इंडिया शिक्षा को मौलिक मानवाधिकार के रूप में देखता है जिसकी जिम्मेदारी राज्य (सरकार) की है और जो सामाजिक न्याय दिलाने की विकासीय नीति का एक मुख्य घटक है। इसका अर्थ है कि राजशक्ति की जिम्मेदारी है कि वह बिना किसी पक्षपात के कम से कम 6–14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों को शिक्षित करना सुनिश्चित करे। सभी नागरिकों के लिए शिक्षा को सुनिशिचत करने से वे प्रौढ़ के रूप में शोषण

का विरोध करने में सक्षम होंगे और यह मांग करने के लिए सशक्त होंगे कि संपूर्ण नागरिकता के रूप में उनके अधिकारों का सम्मान किया जाए। शिक्षा से अन्याय को चुनौती मिलनी चाहिए और बच्चों के जीवन में सुधार होना चाहिए ताकि वे समुदाय में अपनी प्रभावी व संपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकें और ज्यादा समानता के आधार पर आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृति लक्ष्यों में अपनी सक्षमताओं को बढ़ा सकें और सामाजिक परिवर्तन की हिमायत करने में सक्षम हों।

एक्शनएड के शिक्षा संबंधी उद्देश्य

एक्शनएड इंडिया का मानना है कि शिक्षा से प्रशिक्षक को निम्नलिखित विकास करने में मदद मिलती है:

- दुनिया, प्रकृति और मानव की तर्कपूर्ण समझ बनती है ताकि वे एक जानकार की हैसियत से अपना चुनाव कर सकें।
- अपने हितों व चिंताओं को प्रभावी ढंग से रखने, उनपर अपनी आवाज बुलंद करने की कुशलता और विश्वास में इजाफा होता है।
- आत्म–सम्मान की भावना जगती है।

राष्ट्रीय रणनीति योजना में समाज के सबसे ज्यादा हाशिए पर पहुँचे समुदायों ;दलितों, देशज लोगों, सबसे ज्यादा पिछड़े समुदायों, मुसलमानों, शहरी गरीबों व एच.आई.वी– एड्स से ग्रस्त लोगों को केन्द्र में रखते हुए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में देखा गया है जबकि (आहार व आजीविका, स्वास्थ्य, आवास का अधिकार मानव सुरक्षा के अन्य अधिकारों में गिना जाता है। हम हाशिए पर पहुँचे समुदाय का राज्य के संस्थानों के साथ जुड़ाव बनाने के लिए हाशिए में पहुँचे समुदायों को संगठित करते हैं और प्रभावी ढंग से जन–संगठनों का निर्माण करके इन मौलिक आधिकारों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हैं। इसमें एक ऐसी दुनिया का सपना देखा गया है जहाँ ''सभी बच्चों की एक ऐसी समानता पर आधारित व्यवस्था में गुणवत्तामूलक शिक्षा तक निःशुल्क पहुँच बने जिसमें बच्चों खासकर बालिकाओं के अधिकारों का सम्मान किया जाता है ताकि वे सम्मान के साथ अपना जीवन–यापन कर सकें।

गरीबी दूर करने का अधिकार : २००५-२०१०

गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य : हमारे सभी कार्यों के निम्नलिखित लक्ष्य होंगे:

लक्ष्य 1: गरीब व उपेक्षित लोग व समुदाय अपने अधिकार बनाए रखने के लिए शक्ति का उपयोग करेंगे।

लक्ष्य 2: अपने अधिकार बनाए रखने में महिलाओं की शक्ति में इजाफा होगा।

लक्ष्य 3: दुनिया के नागरिक व नागर समाज अपने अधिकारों और न्याय के लिए लड़ेंगे।

लक्ष्य 4: राज्य व इनके संस्थान सबके मानवाधिकारों को बढ़ावा देने, उनकी सुरक्षा करने और उन्हें पूरा करने के लिए जवादेह और लोकतांत्रिक होंगे।

शिक्षा का अधिकार तो पहले से ही हमारे संविधान का हिस्सा है और अनुच्छेद 21ए (जिसे सन् 2002 के 86वें संशोधन में जोड़ा गया) में कहा गया है कि ''राज्य 6–14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों को इस तरह से निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, जैसा राज्य कानून के तहत तय करता है।'' इसका अर्थ है कि राज्य कानूनी रूप से शिक्षा देने के लिए बाध्य है न कि यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे वे प्राथमिकता के आधार पर चुनें। लेकिन इस नीति को अभी व्यवहार में नहीं उतारा गया है। आज की नव उदारवादी नीति के तहत राज्य अपनी उस जिम्मेदारी से पीछे हटने लगा है जिससे सबके लिए मौलिक शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित हो सके। अतः पर्याप्त कानून के जरिए इस संवैधानिक निर्देश का अनुपालन किया जाना और इसके लिए नागर समाज और समुदाय को निरंतर रूप से सरकार से अपने इन कर्तव्यों को पूरा करने की माँग करते रहना होगा। हमारा मानना है कि 'सबकी शिक्षा' केन्द्र–राज्य व सार्वजनिक –निजी के जंजाल में फंसकर नहीं रह जाना चाहिए।

इसके अलावा चूँकि भारत में शिक्षा एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है अतः कार्यक्रम को एक्शनएड के राष्ट्रीय एजेंडा के साथ जोड़ा जाएगा, जहाँ 2005–10 के लिए शिक्षा इसकी छः रणनीतिक प्राथमिकताओं में से एक है। हम स्वीकारते हैं कि ये विषय आपस में काफी घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं और इसीलिए अन्य विषयों को प्रभावित किए बिना किसी एक लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता है। साथ ही हम यह भी सोचते हैं कि शिक्षा अंतर्राष्ट्रीय रणनीति पेपर (गरीबी दूर करने का अधिकार : 2005:10) में बताए गए चार लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हमें सक्षम बनाने का

बाल अधिकार पर सम्मेलन- अनुच्छेद ख (1) - शिक्षा का उद्देश्य

राज्य पार्टियाँ इस बात से सहमत हैं कि बाल अधिकार निम्नलिखित दिशा में बढ़ें :

- बच्चों की पूरी सक्षमता के आधार पर उनके व्यक्तित्व, प्रतिभाओं और मानसिक व शारीरिक योग्यताओं का विकास हो।
- मौलिक स्वतंत्रता के रूप में मानवधिकारों और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में दिए सिद्धांतों के सम्मान का विकास।
- बच्चों के अभिभावकों, उनकी अपनी सांस्कृतिक पहचान, भाषा और मूल्यों, उस देश के राष्ट्रीय मूल्यों, जिसमें बच्चा रह रहा है, वह देश जहाँ वह पैदा हुआ है और उससे भिन्न सभ्यताओं के सम्मान का विकास।
- बच्चों की एक मुक्त समाज में जिम्मेदारी, समझ, शांति, सहनशीलता, लिंग की समानता और अन्य सभी लोगों, प्रजातीय व ध ार्मिक समूहों तथा देशज लोगों के साथ दोस्ताना रिश्ता बनाकर उसे जीने के लिए तैयार करना।
- प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति सम्मान का विकास

एक जरिया है। शिक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि ये चारो लक्ष्य हासिल हों, चूँकि अगर यह कारगर रहा तो यह बच्चों के जीवन को बदलने और स्कूल के भीतर व बाहर व्याप्त अन्याय तथा असमानता की स्थिति को भी बदलने में सक्षम होगा।

इस संदर्भ के तहत चार कारण हैं और एक्शनएड के लिए जरूरी है कि वह शिक्षा पर अपने स्थानीय प्रयासों को जारी रखेः

- शिक्षा गरीबी व उपेक्षित लोगों के सशक्तिकरण का मूल आधार है।
- स्थानीय प्रयासों से जन–नीति व चलन काफी असरदार ढंग से प्रभावित हो सकते हैं (जैसे समुदायिक संगठन, गुणवत्तामूलक स्कूल)
- राज्य का मूल रूप से यह कर्तव्य है कि 'वह बिना पक्षपात किए अच्छी गुणवत्ता की निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराए – हमें इसके कार्यान्वयन और इसके गतिवर्द्धन में सहयोग करना चाहिए।

शिक्षा और बाल अधिकार

वास्तव में शिक्षा और बाल अधिकार हमारी संस्थात्मक प्राथमिकता के रूप में उपजा है। शिक्षा का अधिकार और बच्चों के अधिकार एक–दूसरे के साथ काफी घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। हम शिक्षा के अधिकार के बारे में तब तक नहीं सोच सकते हैं जब तक कि हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास नही करेंगें कि बच्चों के मूल अधिकारों का सम्मान किया जाए। अतः शिक्षा पर हमारे काम को बाल अधिकारों की प्रमुखता की हमारा मान्यता के रूप में देखना होगा।

एक्शनएड की ताकत जमीनी स्तर पर इसकी मौजूदगी और इसके उन कामों में है, क्षेत्रों में है (24 राज्य व 2 केन्द्र शासित प्रदेश) और गाँवों में है और जिन सामाजिक समूहों के साथ यह काम करता है उसमें है। जहाँ तक इसके काम के पैमाने, सामाजिक समूहों की विविधता और संदर्भ का संबंध है उस आधार पर हमारी काफी बड़ी संस्था है। बाल अधिकार हमारे काम के केन्द्र में है।

इस कार्यक्रम के काम की नवीनता हमारे विकासीय पहल–प्रयासों में है जहाँ शिक्षा के अधिकार को जमीन पर उतारने और शिक्षा की सार्वजनिक व्यवस्था को पुख्ता करने का काम नीति जनसमर्थन (एडवोकेसी) से पूरा होता है, जिसमें इन मुद्दों को समग्र परिप्रेक्ष्य में संबोधित किया जाता है। अधिकार आधारित दृष्टिकोण में शिक्षा की सेवाएं प्रदान करने को लेकर अक्सर काफी दुविधा बनी रहती है। इनमें एक दुविधा उन क्षेत्रों की योजना बनाने और कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने को लेकर होती है जहाँ सीमित या अपर्याप्त शिक्षा सेवाएं मौजूद हैं। हमारा मानना है कि सेवाएं प्रदान करना वास्तव में अधिकार आधारित दृष्टिकोण का एक अभिन्न हिस्सा है क्योंकि सेवाएं अधिकारों को हकीकत में तब्दील करने का एक माध्यम हो सकती हैं और राज्य की यह जिम्मेदारी है कि वह ये सेवाएं पहुँचाएं।

इसलिए जबकि सेवाएं प्रदान करना और अधिकार आधारित दृष्टिकोण आपस में विशिष्ट नहीं है इसलिए एक्शनएड इंडिया द्वारा सेवाएं तभी पहुँचाई जाती हैं जब आपातकाल की स्थिति में कोई उपाय नहीं बचता है जहां हमें तत्काल जरूरतों को संबोधित करना है। अगर हम सेवाएं प्रदान करने में लग गए तो हमारा काम सरकारी कामों का दोहराव, उनपर कब्जा करना और उन्हें पीछे धकेलना नहीं होना चाहिए, हम समुदाय या कर्तव्यपालक को आखिरकार इसपर मिलकियत जमाने की शक्ति दे सकते हैं।

इस बहुआयमी प्रयास में क्षेत्रीय, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर स्थानीय–व्यापक स्तर के बीच जुड़ाव बनाकर परिवर्तन करने की एक बड़ी सक्षमता है। एक्शनएड की भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि स्थानीय समुदाय की आवाजों की इन सभी स्तरों पर सुनवाई हो और परिवर्तन से इनकी प्राथिमकताएं सामने आएं।

अध्याय २

भारत में शिक्षा की स्थिति

चीन के बाद भारत में ही दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा व्यवस्था है। वास्तव में भारत की एक–तिहाई आबादी 18 साल से कम उम्र के बच्चों की है और यह आबादी दुनिया के कुल बच्चों का 19 प्रतिशत है। इसी कारण से इस देश में सबके लिए गुणवत्तामूलक शिक्षा सुनिश्चित करने में शामिल काम का पैमाना बेजोड़ और चुनौतीपूर्ण है। साथ ही शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित करने वाली समस्या की प्रकृति में इतनी विविधता है और यह इतनी गहराई तक है कि किसी एक तथ्य में सुधार कर देने से इसका समाधन नहीं निकलने वाला। यह समस्या सिर्फ पैसों की कमी या फिर राजनीतिक इच्छा शक्ति या प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी के कारण नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन सभी का आज की शिक्षा व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है – फिर भी हमें इन सभी समस्याओं पर गौर करना होगा और विभिन्न समुदायों के विशिष्ट संदर्भ पर विचार करते हुए इस मुद्दे के साथ समग्र रूप से निपटना होगा। साथ ही यह भी जरूरी है कि सरकारी कामों को मान्यता दी जाए जिससे यह बड़ी और बोझिल व्यवस्था काम करे। इस अध्याय में अतीत की नीतियों और आज की हकीकत को जोड़ते हुए भारत में शिक्षा की स्थिति पर विचार किया गया है।

सन् 1906 में बड़ौदा राज्य द्वारा पहला अनिवार्य शिक्षा कानून लागू किया गया। यह शिक्षा व्यवस्था पक्षपातपूर्ण थी क्योंकि इसकी शिक्षा व्यवस्था में बालकों के लिए (5 वर्षों) की शिक्षा और बालिकाओं के लिए (3 वर्ष) की शिक्षा का प्रावधन था लेकिन यह एक ऐतिहासिक शुरूआत थी। लेकिन वास्तव में इस दिशा में प्रगति आजादी के बाद के 50 सालों में हुई– इस दौरान साक्षरता दर, बच्चों के दाखिलों और स्कूलों की संख्या में काफी इजाफा हुआ– आज शिक्षा हमारा एक मौलिक अधिकार बन गया है।

२.१ पहुँच

स्कूली शिक्षा तक पहुंच बनाने के दो पहलू है–भौतिक और सामाजिक। जहाँ तक पहुंच का सवाल है तो इसमें काफी हद तक सुधार हुआ है क्योंकि बड़े पैमाने पर नए–नए स्कूलों का निर्माण किया जा रहा है (सन् 1990–2001 के दौरान 103106 प्राथमिक स्कूलों और 63696 माध्यमिक स्कूलों का निर्माण किया गया : मानव संसाधन विकास मंत्रालय)। ऐसा सैकिया आयोग 1997 की वचनबद्धता के कारण हुआ। बच्चों की शिक्षा तक पहुंच में सुधार होने का दूसरा कारण दोपहर के भोजन की योजना का प्रावधान है (1995), जिसके तहत सरकारी और सरकार द्वारा सहायता प्राप्त करने वाले स्कूल ई.जी.एस./ए.आई.ई. केन्द्रों में 1–5 कक्षाओं तक पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए 300 ग्राम कैलोरी और 8–12 ग्राम प्रोटीन दिए जाने का प्रावधान लाया गया। इसके अलावा अनाज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए वित्तीय सहायता और भोजन बनाने में सहायता पहुंचाई जाती है। इसके अलावा सूखाग्रस्त क्षेत्रों में गर्मियों की छुट्टियों के दौरान बच्चों के लिए दोपहर का भोजन दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। जहां तक सामाजिक पहुंच का सवाल है, स्कूलों में तो दलितों और कभी–कभी देशज लोगों व मुसलमानों के खिलाफ पक्षपात किया जाता है जिससे वे स्कूल से बाहर हो जाते हैं। 6–14 साल की उम्र के अनेक बच्चे (1 करोड़ 34 लाख बच्चे) अभी भी स्कूल से बाहर हैं (सर्व शिक्षा अभियान– चौथा संयुक्त समीक्षा मिशन 2005)– जिनमें अधिकांश सीमा तक समुदायों से हैं। बच्चों को स्कूल से बाहर रखने वाले बाधक कारणों पर आगे चिंतन करने से पता चलता है कि :

- बीहड़ इलाकों में जहां आमतौर पर दलित और देशज लोग रहते हैं वहां अभी भी पहुंच के मामले में काफी फासला है–क्योकि इसमें इस कारण से कमी–पेशी है कि 'राज्यों को यह चुनने का अधिकार है कि कहां 1.5 कि.मी. के दायरे में स्कूल खोलना मुश्किल होगा–मिसाल के लिए पहाड़ी इलाकों में।
- अभिभावकों के लिए अपर्याप्त आजीविका के साधन और शिक्षा व्यवस्था में पर्याप्त लचीलेपन का अभाव, इससे भी प्रवासियों के बच्चे स्कूल से बाहर हो जाते हैं।
- सेतू बनाने के उपायों के अपर्याप्त प्रावधान। स्कूल से बाहर कुल बच्चों की संख्या की तुलना में ब्रिज कोर्स की संख्या काफी कम है (और आमतौर पर इसकी पढ़ाई भी घटिया है)।
- अपंगता में जी रहे बच्चों की स्कूल तक निःशुल्क पहुंच व स्कूल में अपंगों के लिए मधुर माहौल के अभाव और स्कूल जाने वाली समुचित सड़क का अभाव है।
- प्रौढ़ साक्षरता दर अभी भी कम है–42 प्रतिशत (भारतीय जनगणना,2001) और इनमें ज्यादातर सीमांतक समुदाय (खासकर दलित, देशज लोग और मुसलमान) निरक्षर बने हुए हैं। इसमें क्षेत्रों के आधार पर भी असमानता है–बिहार की सबसे कम साक्षरता दर (39 प्रतिशत) है। (राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान, 1993)।

शिक्षा की नीतियों / योजनाओं पर एक नजर

वर्ष	नीतियां / योजनाएं
1960	सारगीन्ट आयोग ने प्रत्येक जिले में प्राथमिक शिक्षा, तकनीकी प्रमाण (सर्टिफिकेट) शिक्षा के लिए रात्रि स्कूलों– जिसमें अध्यापक स्थानीय होने चाहिए और न्यूनतम दूरी पर होने चाहिए –की सिफारिश की।
1964	कोठारी समिति का गठन किया गया। शिक्षा को राष्ट्रीय विकास की कुंजी के रूप में देखा गया–शिक्षा में 6 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद के निवेश की सिफारिश की गई।
1975	6 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के समग्र विकास के लिए आई.सी.डी.एस. शुरू किया गया।
1976	42वें संवैधनिक संशोधन में शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया।
1986	राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन.पी.ई.) और कार्य कार्यक्रम (पी.ओ.ए.) को अपनाया गया। राममूर्ति रिपोर्ट ने माना कि अलग (निजी) स्कूल सामान्य स्कूली व्यवस्था (सी.एस.एस.) की सोच के अनुरूप नहीं हैं और यह सिफारिश की गई कि एक सक्रिय अध्यापक चयन योजना लागू की जाए और संस्थानों में अनु. जाति / अनु.जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान हो। बाल मजदूरी (निषेध व नियमन) अधिनियम पारित किया गया।
1987–88	ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड (ओ.बी.बी) का शुभारंभ किया गया – जिसका उद्देश्य शिक्षा के भौतिक पहलुओं में सुधार लाना था (दो बड़े कमरे जो सभी मौसम में उपयोग करने योग्य हों, आवश्यक खिलौने और खेलने की सामग्री, ब्लैके बोर्ड, नक्शे, चार्ट तथा अन्य शिक्षण सामग्रियां)। केन्द्र की सहायता से 523,000 प्राथमिक स्कूल चलाए गए। संसद द्वारा पारित अधिनियम के जरिए ए.आई.सी.टी.ई. को संवैधानिक पदवी दी गई।
1991	न्यूनतम शिक्षा स्तर : इसके तहत शिक्षा की गुणवत्ता पर गौर किया गया जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सभी बच्चों – चाहे वे किसी जाति, धर्म–मत, स्थान या लिंग के हों–उन्हें उच्च स्तरीय शिक्षा का अवसर दिया जाए। 6–11 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए भाषा, गणित और पर्यावरणीय अध्ययनों को हासिल करने में न्यूनतम योग्यताओं का उल्लेख किया गया।
1992	आचार राममूर्ति आयोग पर आधारित संशोधित एन.पी.ई. और पी.ओ. ए. । इसमें संयुक्त शिक्षा, अनु.जाति / अनु. जनजाति और शौक्षणिक रूप से पिछड़े समूहों को शामिल किया गया ताकि प्रत्येक राज्य में एक अकेली सत्ता की जिम्मेदारी हो और जिसमें पहले दो वर्षों की शिक्षा आदिवासी भाषा में दी जाए। राजस्थान में लोक जुंबिश परियोजना शुरू की गई– जो समावेश पर गौर करता है और जिसका लक्ष्य सभी बच्चों की गुणवत्तामूलक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण समुदायों को संगठित करना है।
1993	73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन से स्थानीय स्वशासन के निकायों को शिक्षा समेत विकास की जिम्मेदारी का कार्यभार सौंपा गया। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का गठन– जिससे भारत में अध्यापकों की शिक्षा से संबंधित मुद्दों का नियमन किया जा सके।
1994	यू.ई.ई. हासिल करने वाली रणनीतियों के परिचालन के लिए चुनिन्दा जिलों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया। इसके मुख्य लक्ष्य इस प्रकार से हैं: ● सभी बच्चों की औपचारिक शिक्षा व्यवस्था में या फिर अनौपचारिक शिक्षा (एन.एफ.ई.) कार्यक्रम के जरिए प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच बनाना। ● जेंडर व सामाजिक समूहों के दाखिलों, छोड़ने वालों की दर और शिक्षा की उपलब्धियों के फर्क को 5 प्रतिशत से कम करना। ● प्राथमिक शिक्षा के सभी विद्यार्थियों में कुल छोड़ जाने वाले बच्चों की दर को 10 प्रतिशत से कम करना। ● मापी गई आधार रेखा के स्तर से कम से कम 25 प्रतिशत तक औसत उपलब्धि स्तर को बढ़ाना और सभी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों की बुनियादी साक्षरता और संख्या सुनिश्चित करना तथा अन्य योग्यताओं में न्यूत्तम 40 प्रतिशत उपलब्धि स्तर।
1995	केन्द्रीय सहायता से दोपहर के भोजन की योजना शुरू की गई जिससे दाखिला, स्कूल में बच्चों को टिकाए रखने और उनकी उपस्थिति बढ़ाकर सर्वव्यापी प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने में मदद मिले और साथ ही साथ प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों की पोषणता के स्तर में इजाफा हो।
1997	सैकिया आयोग ने यह स्पष्ट किया कि प्रत्येक 250 परिवारों के आवाह–क्षेत्रों से 1 से 1.5 कि.मी. की दूरी के भीतर एक प्राथमिक स्कूल खोला जाए और प्रत्येक 500 परिवारों के आवाह–क्षेत्रों से 3 कि.मी. की दूरी के भीतर उच्च प्राथमिक स्कूल खोले जाएं। इसमें यह भी सिफारिश की गई कि स्कूल का समय काम के अनुसार होना चाहिए और जिलों में हॉस्टल होने चाहिए जिससे उन बच्चों को मदद मिले जो दूरी के कारण स्कूल पहुंच पाने में असमर्थ होंगे।
2000	शिक्षा के मुददों, किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख व सुरक्षा) अधिनियम की नई दिशा दर्शाते हुए संषोधित राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा निर्धारित की गई।
2001	सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) आरंभ किया गया–जिसका लक्ष्य सन् 2010 तक बालिकाओं, अनु. जाति / अनु. जनजाति व खास जरूरतों की मांग करने वाले बच्चों को विशेष महत्त्व देते हुए 6–14 साल की उम्र के सभी बच्चों को प्रभावी तथा गुणवत्तामूलक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना था। बच्चों के सभी पहलुओं को केन्द्र में रखते हुए बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति व चार्टर का निर्धारण किया गया।
2002	बच्चों के लिए निः शुल्क व अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन।
2004	अतिरिक्त फंड (कोष) के लिए शिक्षा उपकर लगाना।
2005	बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना।
2006	बाल अधिकार सुरक्षा आयोग अधिनियम, 2005 तथा किशोर–न्याय (बच्चों की देखरेख और सुरक्षा) संशोधन अधिनियम के तहत बाल अधिकार सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। भारत में मुसलमानों में शिक्षा के निचले स्तर को उजागर करते हुए सचर समिति की रिपोर्ट पेश की गई।
2007	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना को शिक्षा योजना के रूप में पेश किया गया। भारत को विश्व ज्ञान अर्थव्यवस्था की प्रतियोगी बनाते हुए शिक्षा में उच्च स्तरीय निवेश पर बल दिया गया।
2008	एस.एस.ए. द्वितीय, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान शुरू किया गया– माध्यमिक शिक्षा का विस्तार। संवैधानिक संशोधन की संभावित अधिसूचना की दिशा में एक कदम के रूप में संसद में बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिकार विधेयक 2008 पेश किया गया। दुर्भाग्यवश अभी भी काफी कुछ किया जाना बाकी है और इस बात के बावजूद कि शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया है लेकिन इसे हकीकत में तब्दील करने के लिए कोई केन्द्रीय कानून नहीं बना है। वे विशिष्ट मुख्य मुद्दे जो शिक्षा को प्रभावित करते हैं, वे चौतरफा हैं: पहुँच, गुणवत्ता, जवाबदेही और वित्तीय आंवटन।

पारा अध्यापक-हमारी स्थिति

पिछले कुछ वर्षों से शिक्षा लागत में कटौती के रूप में अप्रशिक्षित व ठेका आधरित अध्यापकों के उपयोग की सोच को मुख्यधारा के साथ जोड़ते देखा गया है। यह नीति ढांचागत समायोजन कार्यक्रम (एस.ए.पी) का ही एक स्तम्भ है और इसका उपयोग राज्य की भूमिका घटाने के लिए किया जा रहा है और इससे शिक्षा का ज्यादा निजीकरण होने का मार्ग प्रशस्त होता है। इन रोजगारों के कई फायदे बताए गए हैं : सस्ता, बेहतर जुड़ाव, समुदाय के प्रति जबाबदेह और सीमा तक श्रेणी के बच्चों तक बेहतर पहुंच। आमतौर पर यह भी कहा जाता है कि ऐसे अध्यापक ज्यादा नियमित होते हैं और वे उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान करते हैं, खासकर शुरू के ग्रेडों (कक्षाओं) में। लेकिन ऐसे रोजगार पर कई चिंताएं भी उठाई गई हैं। इन पारा–अध्यापकों को कम वेतन का भुगतान किया जाता है। वे अपने कार्यकाल को लेकर काफी असुरक्षित होते हैं– इसीलिए इनमें दीर्घकालिक प्रतिबद्धता की कमी होती है (खासकर कोई पेशा न होने की स्थिति में)। अप्रशिक्षित अध्यापकों को भाड़े पर लेने से शिक्षा की गुणवत्ता के साथ समझौता करना पड़ता है– इसके फलस्वरूप शिक्षा का निम्न स्तर होता है और इसके फलस्वरूप स्कूल में दाखिल बच्चों द्वारा तत्काल स्कूल छोड़ने का खतरा बना रहता है। इस चलन से समाज में मौजूद असमानता को बल मिलता है और गरीबों व अमीरों के लिए दो स्तरीय शिक्षा की उत्पत्ति को समर्थन मिलता है। आखिर में, ऐसे अध्यापाकों को भाड़े पर रखने से अध्यापकों के काम का प्रोफेशनल स्तर गिर जाता है और इसके फलस्वरूप पढ़ाई के पेशे में गिरावट आ जाती है। इसी कारण से इस मामले में एक्शनएड का स्पष्ट रूप से यह मत है कि अप्रशिक्षित अध्यापाकों के रोजगार को 'न' कहो। यही मत अध्यापकों पर आईएलओ मानकों और पार्कोटोनियन उदघोषणा का है। फिर भी जहां कहीं भी अप्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति होती है, वहां उनकी कुशलता बढ़ाने, उन्हें नियमित करने और उन्हें इस पेशे के कार्यबल में शामिल करने की हिमायत करें। हम पत्राचार पाठ्यक्रम की गुणवत्तामूलक शिक्षा की हिमायत करते हैं, जिससे उन्हें परामर्श मिलता रहे और जिससे उनकी परीक्षा ली जाए और इसे पांच साल की अवधि में पूरा करना जरूरी होना चाहिए। जहां तक संभव होगा हम उन क्षेत्रों में व्यक्तिगत अध्यापकों या अध्यापक समूहों को प्रोत्साहित करेगें जहां हम उनकी कुशलता को विकसित करने और उन्हें प्रोफेशनल तरीके से आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। इसके अलावा, हम इस बात की भी हिमायत करते हैं कि अध्यापकों को उनकी सेवा के दौरान ही प्रशिक्षण दिया जाए जिससे वे अपनी वास्तविक जरूरतों के अनुसार ढलें और वे सार्थक रूप से अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह कर सकें ;और जितना संभव हो सके इस प्रक्रिया में सहयोग करें, जिसमें मौजूद सरकारी अध्यापक प्रशिक्षण व्यवस्थाओं को न बदलें बल्कि उसमें इजाफा करें।

अपर्याप्त और घटिया प्रशिक्षण भी चिंता का एक कारण है जिसमें नीतियों से संबंधित बड़े मुद्दे भी हैं जो ग्रामीण इलाकों में अध्यापकों के तबादले को हतोत्साहित करते हैं (तबादला किए गये स्थान पर अध्यापकों के लिए कोई मकान नहीं होना), गैर–पढ़ाई के काम में अध्यापकों का जुड़ाव (15 प्रतिशत दिन इन्हीं कामों में गुजरता है), दलित व मुसलमान अध्यापकों के विरूद्ध चोरी–छिपे पक्षपात, स्थल में सहयोग और मॉनिटरिंग का अभाव (विभाग व समुदाय की ओर से) और साथ ही छोटे स्कूलों के हेड मास्टरों का नेतृत्व निर्माण न होना (जिससे नवीनता व परिवर्तन के लिए पहल–प्रयासों में अटकलें खड़ी होने लगती हैं), आधे से ज्यादा स्कूलों में नियमित हेडमास्टरों की कमी है। कुल अध्यापकों की कमी है, साथ ही क्षेत्रीय व स्थानीय स्तर पर इनकी संख्या को लेकर काफी असमानता है (1:10 स्कूलों में एक ही अध्यापक है –11.76 प्रतिशत और 15.94 प्रतिशत स्कूलों में अध्यापकों व बच्चों का अनुपात 60 से भी ज्यादा का है और 4.94 प्रतिशत स्कूलों में यह अनुपात 100 से भी ज्यादा का है–डाइस 2005–06) साथ ही अध्यापकों की भी काफी कमी है (28.3 प्रतिशत प्राथमिक स्कूलों में अध्यापकों की कमी है) और सीमांत समुदाय के अध्यापकों पर टिप्पणी और टीका–कसी की जाती है।

२.२ गुणवत्ता

यद्यपि स्कूल तक पहुंच में सुधार हुआ है, परन्तु बच्चे को स्कूल में टिकाए रखना अभी भी एक बड़ी समस्या है (ग्रेड अ तक 70 प्रतिशत डाइस 2006–07)। ऐसा धकेलने व खींचने के मिले–जुले कारणों से है। अभिभावकों के लिए समुचित अजीविका के अवसरों की कमी और साथ ही यह मापदंड न होना कि सभी बच्चों को स्कूल में होना चाहिए न कि काम करना चाहिए–उससे बच्चे स्कूल के बाहर खिंचे चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर शिक्षा में गुणवत्ता की समस्या और सरकारी स्कूलों में बच्चों को प्यार से सिखाने का माहौल न होने की वजह से बच्चे स्कूल छोड़ जाते हैं (प्रोब रिपोर्ट, 2005)। सरकार ने कई योजनाओं के जरिए गुणवत्तामूलक शिक्षा को अपने प्रयासों के केन्द्र में लाने के लिए खुद भी कई ऐतिहसिक कदम उठाए हैं। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड (गुणवत्ता के राष्ट्रीय मानकों को सुव्यवस्थित करने का पहला प्रयास), जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (एस.एस.ए) के अग्रदूत के रूप में काम करता है, न्यूनतम शिक्षण स्तर (6–11 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए हासिल करने योग्य न्यूनतम योग्यताओं को परिभाषित करना) और लोक जुंबिश (शिक्षा की प्रक्रियाओं में स्थानीय शासन के निकायों को शामिल करना) ऐसी ही गुणवत्तामूलक शिक्षा सुनिश्चित करने की कुछेक सरकारी योजनाएं हैं। फिर भी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है।

पाठ्यक्रम और पढ़ाई का माहौल

- स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव– पर्याप्त कक्षाएं न होना, ईजीएस का पूर्ण रूप से काम करने वाले स्कूलों के रूप में विकास करने में विलम्ब, पानी व शौचालयों की अपर्याप्त सुविधाएं और बिजली न होना।
- टी.एल.एम. अनुदानों के जारी होने में विलम्ब, स्कूलों में पाठ्य पुस्तकों के पहुंचने में विलम्ब, शिक्षण सामाग्रियों की अपर्याप्त उपलब्धता (खासकर छोटे स्कूलों में) और इनके उपयोग में कमी।
- स्कूल विकास फंड के जारी होने में विलम्ब।
- जिस तरह से ग्राम स्तरीय स्थानीय व्यवस्था बननी चाहिए वैसे नहीं होना, जिसके परिणामस्वरूप संसाधनों के आवंटन में असमानता होना।
- पहले से तैयार भौतिक बुनियादी ढांचे के रख–रखाव का अभाव।
- राज्यों व जिलों में बार–बार परिवर्तन होना, जिससे इसकी जटिलता और बढ़ जाती है। इसके फलस्वरूप "सड़क के किनारे" और "भीतरी" स्कूलों के बीच सुविधाओं में असमान वितरण होता है। सबकी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन असमानताओं को मान्यता देना और इन्हें कारणों में बांटना जरूरी है। इसके लिए हमें इनके भीतर जाना होगा और राज्यों की समस्याओं का खाका खींचना होगा।

सरकारी स्कूलों का भौतिक ढाँचा, डाइस २००५-०६

बिना पक्की इमारतों के स्कूल	3 में 1 (29.4 प्रतिशत)
एक कक्षा के स्कूल	10 में 1 (9.54 प्रतिशत)
शौचालय जैसी सामान्य सुविधाओं के	2 में 1 (41.9 प्रतिशत)
बिना स्कूल बिना छत की रसाई वाले स्कूल	10 में 7 (70.6 प्रतिशत)
बिना ब्लैक बोर्ड वाले स्कूल	8 प्रतिशत
टी एल एम अनुदान न प्राप्त करने वाले स्कूल	5 में 2 (39 प्रतिशत)
60 से भी ज्यादा विद्यार्थी – कक्षा के अनुपात में 10 में से	7 (68.9 प्रतिशत)
बिजली कनेक्शन वाले स्कूल (2004–05)	4 में 1 (28.39 प्रतिशत)

गुणवत्ता में सुधार की कई योजनाओं ने सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) को आरंभ करने के लिए प्रोत्साहित किया है। इसका हाल का प्रयास इसे माध्यमिक (एस.एस.ए द्वितीय) स्तर तक विस्तार करना रहा है। स्कूलों के बुनियादी ढांचे में थोड़ा–बहुत सुधार होने के बाबजूद गुणवत्ता के मुद्दों को संबोधित करने की दिशा में अभी भी काफी काम होना बाकी है। एस.एस.ए. में रखे गए मानदण्ड अपर्याप्त हैं लेकिन पहले की तुलना में इसमें काफी सुधार हुआ है। एस.एस.ए. के लेखा व महालेखा द्वारा कार्य लेखा परीक्षण (2006) और दलित व देशज लोगों के बच्चों को स्कूलों में टिकाए रखने संबंधी आंकड़े (2007) एस.एस.ए. के तहत शिक्षा की घोर आलोचना करते हैं। फिर भी इसके बड़े आकार और शिक्षा के लिए आंविटत अधिकांश सरकारी फंड के प्रणालन (वाहिकाओं) को देखते हुए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि इन बुनियादी मानदण्डों को हकीकत में तब्दील किया जाए और समुदाय की सहभागिता का लक्ष्य हासिल किया जाए। यद्यपि ये मानदण्ड बच्चों को अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने में अपर्याप्त हैं परन्तु ये समानता पर आधारित और गुणवत्तामूलक स्कूलों के अधिकारों की मांग करने का एक शुरूआती चरण जरूर है। गंभीर अंतर्राज्यीय असमानताओं के कारण यह दूरी और भी बढ़ गई है (परिशिष्ट ।)–और यह स्थिति जिला और गांव से गांव के बीच तक बनी हुई है। सबकी शिक्षा सुनिश्चित करने में इसे एक बड़ा कारण मानना ही होगा। बच्चों के लिए गुणवत्तामूलक शिक्षा का माहौल सुनिश्चित करने में तीन पहुओं का सबसे ज्यादा महत्त्व हैः अध्यापक, बुनियादी ढांचा और पाठ्यक्रम।

प्रशिक्षित और योग्य अध्यापकों की उपलब्धता

एसएसए मानदण्डों में प्रत्येक स्कूल में कम से कम से कम दो अध्यापक होने और अध्यापक–विद्यार्थी का अनुपात 1:40 होने की बात कही गई है। फिर भी कई राज्यों में आमतौर पर इस अनुपात को पूरा नहीं किया जाता है और स्थानीय स्तर पर इनमें काफी असमानता है। अगर अध्यापक नियुक्त भी किए जाते हैं तो वे आम तौर पर अप्रशिक्षित व कम भुगतान वाले – ''पारा (ठेका) अध्यापक'' होते हैं (आज 10 अध्यापकों में 1 पारा अध्यापक है – 9.86 प्रतिशत जिनमें आधे से भी कम प्रशिक्षित हैं–यानी 44.88 प्रतिशत –डाइस 2005 –06)।

समुचित भौतिक बुनियादी ढांचे और सामाग्रियों की उपलब्धता

स्कूल काम करे इसके लिए – भौतिक इमारत और बाल मधुर कक्षा, एक ब्लैक बोर्ड, शिक्षण सामाग्रियों (उपलब्ध और उपयोग की जाने वाली), शौचालय (खासकर बालिकाओं के लिए) और पानी की व्यवस्था ऐसी कुछेक बुनियादी सुविधाएं है जिनकी स्कूलों में आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा, संकटग्रस्त इलाकों में अधिकाश स्कूल खतरे में हैं क्योंकि इन स्कूलों के निर्माण में राष्ट्रीय सुरक्षा संहिता का अनुपालन नही किया जाता है – इससे बच्चों, अध्यापकों और समुदायों के लिए खतरा बना रहता है, साथ ही पढ़ाई के दिनों का नुकसान होता है (राष्ट्रीय निर्माण संहिता अध्ययन, 2008) के अनुसार 5–12 दिनों का नुकसान होता है। विद्यार्थी अपने शैक्षणिक प्रबंध में त्रासदी के जोखिम को कम करने के बारे में अनजान हैं और उन्हें इस महत्वपूर्ण विषय पर कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है।

यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए हैं कि बाल–सुलभ और आकर्षक कक्षा का वातावरण बनाकर पाठ्यक्रम और पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार किया जाए। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम आधार 2005 में व्यवस्थित (अहम) मुद्दों पर गहरी समझ बनाने के समय व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार पाठ्यक्रम की जरूरत को दोहराया गया। परन्तु अच्छी सामग्री से नहीं बल्कि इसके लिए इसके क्रियान्वयन की बाधाओं पर विचार करना भी जरूरी है।

- स्कूली पढ़ाई के पहले कुछ वर्षों में मातृभाषा में निर्देश देने और तीन भाषा के फार्मूले के क्रियान्वयन की निरंतर कमी से काफी नुकसान होते देखा गया है (एम.सी.एफ 2005 पोजिशन पेपर)।
- स्कूली पाठ्यक्रम में देशज लोगों व धार्मिक अल्पसंख्यकों की पारंपरिक संस्कृति के लिए कोई जगह नहीं होना।
- स्कूलों में अभी भी शारीरिक दंड का बोलबाला है (65 प्रतिशत स्कूल जाने वाले बच्चे शारीरिक दंड झेलते बताए गए) जिनमें 62 प्रतिशत सरकारी और नगर निगम स्कूलों के हैं। (महिला और बाल विकास मंत्राालय, 2007)।
- समुदाय की जाति या धर्म विशेष और जेंडर विशेष पर आधारित कक्षाओं में प्रतिकूल पक्षपात और पुराना ढर्रा। विभिन्न स्कूलों में बच्चों के विरूद्ध पक्षपात और पुराने ढर्रे के पड़ने वाले दीर्घकालिक प्रभावों के बारे में बताया गया है।
- स्कूली वातारण सबको जोड़ने वाला नहीं है खासकर अपंगता और एच.आई.वी–एड्स से पीड़ित बच्चों को।

२.३ जवाबदेही

विकेन्द्रीकरण की नीतियों से शिक्षा में स्थानीय जवाबदेही बढ़ती दिखाई दे रही है। शिक्षा व्यवस्था में दो–तरपफा जवाबदेही होती है– उपयोगकर्ताओं के प्रति (जिसमें अभिभावक व बच्चे शामिल हैं) और व्यवस्था के प्रति। 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन में अभिभावकों के प्रति जवाबदेही के आधार पर स्थानीय स्वशासन के निकाय गाँवों के विकास, खासकर शिक्षा के विकास हेतु कार्यवाही करने के लिए सशक्त हुए हैं। कई राज्यों के अपने भी विधन (कानून) हैं जिनमें शिक्षा पर ग्राम स्तरीय निकायों की विशिष्ट जिम्मेदारियां व भूमिकाएं बताई गई हैं। स्कूलों पर समुदाय के नियंत्रण के ठोस मामले हैं और कई राज्यों में इस व्यवस्था के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। सच्चाई तो यह है कि ये वैधानिक निकाय स्कूल का काम–काज सुनिश्चित करने के लिए सशक्त हैं जिनका अच्छे के लिए उपयोग किया जा सकता है। जानकारी के अधिकार अधिनियम (2005) से भी इस व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का एक सशक्त जरिया हाथ लगा है। इनके कुछेक मुद्दे इस प्रकार हैं :

कर्नाटक ग्राम पंचायत (स्कूल विकास व मानिटरिंग समितियां) २००६

73वें और 74वें सशोधन में अभिभावक / समुदाय समूह और पंचायती राज निकायों द्वारा निभाई जाने वाली विशिष्ट भूमिकाओं का उल्लेख किया गया है। इस संबंध में सबसे ज्यादा प्रगतिशील सिद्धांत कर्नाटक ग्राम पंचायत (स्कूल विकास और मानिटरिंग समितियाँ) 2006 का है। इसके तहत प्रत्येक पंचायत में स्कूल का विकास और मानिटरिंग समिति (एस.डी.एम.सी.) का गठन करना जरूरी है। इसमें अभिभावक परिषद के नौ निर्वाचित सदस्य शामिल हैं (तीन महिलाएं, स्कूल समिति के दो सदस्य, एक अल्पसंख्यक सदस्य तथा तीन अन्य सदस्य), साथ ही स्थानीय पंचायत के सदस्य, अध्यापक, स्वास्थ्य–कर्मी, हेड मास्टर, स्कूल के हितैशी और दो विद्यार्थी एस.डी.एम.सी. स्कूल की वार्षिक कार्य योजना, अध्यापकों व विद्यार्थियों की उपस्थिति को मानीटर करने और उसकी जांच करने, स्कूल न जाने वाले सभी बच्चों का दाखिला सुनिश्चित करने, अपंग बच्चों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान सुनिश्चित करने, स्कूल छोड़ने वालों की दर को मानीटर करने और सभी बच्चों के लिए स्कूल की स्वच्छता सुनिश्चित करने, बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने में सहयोग करने, स्थानीय व्यक्तियों को अध्यापकों के रूप भाड़े में रखने, वर्ष में कम से कम 220 दिन शिक्षण दिनों के लिए सुनिश्चित करने, निश्चित समयावधि में अध्यापकों के कार्य–निर्वाह की समीक्षा करने, अध्यापकों के लिए आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण के प्रावधान को फैसिलिटेट (सहयोग) करने, निश्चित समयावधि में विद्यार्थियों की पढ़ाई की समीक्षा करने और एन.सी.ई.आर.टी. मानकों के अनुपालन में सहयोग करने, निश्चित समयावधि में स्कूल के स्वस्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा करने, स्कूल की सभी संपत्तियों का निरीक्षण करने, सीएसी, सीआरसी को स्कूल के सुधार के लिए रचनात्मक सुझाव देने और यह सुनिश्चित करने कि दोपहर के भोजन की योजना जैसी सभी सरकारी योजनाओं को स्कूल में क्रियान्वित किया जाए, यह सुनिश्चित करता है कि बाल सहयोग (हेल्पलाईन) नम्बर को प्रदर्शित किया गया है और उसका विज्ञापन दिया गया है– स्कूल के क्षेत्रों का कब्जा होने और कोई उपद्रव होने से बचाता है, विद्यार्थियों, अभिभावकों, व गैर–पढ़ाई वाले स्टाफ के दुख–दर्द या शिकायतों को संबोधित करता है। इन सभी भूमिकाओं का निर्वाह करने में राज्य स्थानीय निकायों– एसडीएमसी को विशेष अधिकारों से सशक्त करता है। इन सदस्यों को कर्नाटक सरकार के सहयोग से सेंटर फॉर द चाइल्ड एण्ड ला (सी.सी.एल) द्वारा प्रशिक्षित किया गया। कई गुटों ने एसडीएमडी को नीचा दिखाने और इसके काम में राजनीति करने का प्रयास किया लेकिन सीसीएल ने मीडिया की मदद से इन प्रयासों का मुकाबला किया। यद्यपि अभी भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिनका एसडीएमसी सामना कर रही है लेकिन इनके ठोस प्रभाव पड़े हैं– इससे स्थानीय जवाबदेही, वित्तीय प्रबंधन और अभिभावकों के जुड़ाव में सुधार हुआ। समितियों और अध्यापकों के बीच के रिश्तों में सुधार हुआ। अध्यापकगण स्वयं ही एसडीएमसी के सदस्य को स्कूल बुला रहे हैं। वर्तमान के इन प्रयासों में स्थानीय स्तर के सामुदायिक संगठन का उपयोग किया जाता है और इस शासन व्यवस्था को पुख्ता करने की दिशा के प्रयासों के साथ इन्हें जोड़ा जाता है। कानूनी (वैधनिक) उपाय करने के लिए ये पहल–प्रयास किए जा रहे हैं जिससे समुदाय को संगठित करने की एक प्रगतिशील व्यवस्था खड़ी हो सके।

- पंचायतों ,पीटीए, वीईसी, एसडीएमसी की अपर्याप्त क्षमतावर्धन और घटिया प्रशिक्षण जो कि आमतौर पर पदों पर आसीन लोगों तक सीमित रहता है न कि पूरे निर्वाचित निकायों को प्रशिक्षण दिया जाता है (यानी सरपंच तक न कि पंचो को; पीटीए अध्यक्ष तक न कि सदस्यों को)।
- सीमांतक समुदायों के व्यक्यिों और महिलाओं का नेतृत्व के पदों में प्रतिनिधित्व का अभाव।
- ''निर्णय लेने वालों'' की बजाय क्रियान्वयन एजेंसियों के रूप में पीआरआई की भूमिका में कटौती और ग्राम पंचायतों को बिना जोड़े ग्राम स्तर पर अनेक समानान्तर समितियों की मौजूदगी।
- योजना बनाने और निर्णय लेने में समुदाय की आधी–अधूरी भूमिका जबकि एस.एस.ए इस संबंध में समुदाय की भूमिका को मान्यता देता है। स्थानीय योजना बनाने में समुदाय की भूमिका सीमित है। केन्द्रीय रूप से तैयार जिले की योजनाओं से ग्राम स्तरीय हकीकत नहीं प्रदर्शित होती है।
- इस व्यवस्था के व्यापक स्तरों पर–स्कूल से ऊपर के स्तरों पर वित्तीय पारदर्शिता का अभाव।
- सी आर सी और बीआरसी में सुविधाओं, पर्याप्त मानव संसाधनों और संसाधनों की कमी जिनसे वे अपने इलाकों में अध्यापकों की संसाधन की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो सकते हैं।

२.४ वित्तीय आवंटन

उपरोक्त में बताई समस्याओं को संबोधित करने के लिए सरकार को आवश्यक क्षेत्रों में अपना पैसा लगाना होगा जिससे इसकी गुणवत्ता सुनिश्चित हो। कोठारी आयोग (1964) ने सिपफारिश की कि सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत शिक्षा में लगाया जाना चाहिए और यूपीए की सरकार ने अपने आम न्यूनतम कार्यक्रम के हिस्से के रूप में ऐसा करने का वादा किया। दुर्भाग्यवश इसी के अनुरूप सकल घरेलू उत्पाद का 3–4 प्रतिशत के बीच पैसा लगाया गया है।

तालिका : सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिषत के रूप में षिक्षा पर सार्वजनिक खर्च

	1981-82	1985-86	1990-91	1995-96	1999-2000	2001-02
कुल शिक्षा	2.49	3.00	3.59	3.60	4.22	4.18
प्राथमिक	1.09	1.39	1.58	1.44	1.58	1.66
माध्यमिक	0.81	0.92	1.10	0.98	0.94	0.98

स्रोतः मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार का बेवसाइट

चूँकि एसएसए केन्द्रीय तौर पर प्रायोजित और समयबद्ध योजना है इसलिए इस व्यवस्था के वित्त प्रबंधन को बनाए रखने की आवश्यकता को इसकी समाप्ति के बाद ही प्रतिपादित किया जाता है जो राज्यों के लिए चिंता का विषय बन जाता है, खासकर कमजोर वित्तीय स्थिति वाले राज्यों के लिए। इसके अलावा वित्त का अपर्याप्त आवंटन होने से राज्यों को 'सस्ते' उपाय करने के लिए मजबूर होना पड़ता है जैसे : नियमित अध्यापकों की नियुक्ति पर रोक लगाना, पारा–अध्यापकों की नियुक्ति, बहु–ग्रेड शिक्षण, समुदाय द्वारा फंड और वे स्कूल वाऊचर के बारे में सोचते हैं। ऐसे चार संबंधित परन्तु विशिष्ट मुद्दे हैं, जिनपर निम्नलिखित के संबंध में विचार करना जरूरी है:

- व्यापक आर्थिक नीतियों का प्रभाव और सामाजिक खर्च की शर्तें (सोपाधिकता)।
- घटते शिक्षा बजट का नीति पर प्रभाव
- किस हद तक फंड गांव में पहुँचता है

सामाजिक खर्च पर व्यापक आर्थिक नीतियों और शर्तों का प्रभाव

हावी नव–उदारवादी आर्थिक दर्शन और नीति संदर्भ दो तरह से शिक्षा कार्यक्रम को प्रभावित करते हैं– अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, गैट और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संस्थाओं द्वारा थोपी गई सोपधिक्ताओं (शर्तों) के रूप में और हावी व्यापक आर्थिक प्रतिमान के जरिए। इस प्रतिमान के मूल में यही सोच है कि वित्तीय घाटे को अगर समाप्त नहीं किया जाता है तो कम किया जाए, इसके परिणामस्वरूप हर तरह की सेवाओं में कटौती की गई। इसके अलावा, नव उदारवादी सुधार ने निजी स्कूलों के फैलाव और शिक्षा के अनौपचारीकरण और व्यवसायीकरण को वैद्य ठहराया। यह भी एक चिंता का विषय है कि सरकार इन बाहरी संस्थानों के इशारों पर चल रही है, या तो उनकी नीतियों को अपना कर या बाहरी कर्ज के पैसों से शिक्षा में घरेलू निवेश को हटाकर। बाहरी अनुदान की परियोजनाओं से स्थानीय जवाबदेही और उत्प्रेरणा का ह्रास हो रहा है और अन्य द्वारा थोपे जाने से वैध ढांचे नासमझ बनते जा रहे हैं। साथ ही विश्व बैंक द्वारा समर्थित विशिष्ट नीतियां – जैसे 'चुनाव' को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा वाउचर का उपयोग, जिसे विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में नकारा गया है उसे भारत में हर कहीं प्रोत्साहित किया जा रहा है।

घटते शिक्षा बजट का नीति पर प्रभाव

अध्यापकों का वेतन शिक्षा बजट का सबसे बड़ा हिस्सा है। साथ ही इसमें आवर्ती खर्च भी शामिल हैं जिसका कई सालों के लिए जुगाड़ करना पड़ता है। अध्यापकों की लागत में कटौती करने के फलस्वरूप काफी 'बचत' होती है। इसका समाधान यही है कि कम लागत (और अल्प प्रशिक्षित) पारा–प्रोफेशनल अध्यापकों को नियुक्त किया जाए। यह सुझाव कि भारत को 'बहु ग्रेड' और 'दोहरी शिफ्ट' के शिक्षण का उपयोग करना चाहिए, यह भी एक बड़ी चिंता का विषय है। यद्यपि बहु–ग्रेड शिक्षण का अपना महत्त्व है अगर विद्यार्थी–अध्यापक के कम अनुपात में सही ढंग से लागू किया जाए, दुर्भायवश इस पद्धति को विद्यार्थी –अध्यापक के उस अनुपात में लागू किया जा रहा है जिसमें इसे अध्यापकों के बिना प्रशिक्षण और सहयोग के बरकरार रख पाना असंभव है।

दूसरा सुझाव जिसके बारे में आवाज उठाई जाती है वह है समुदाय के फंड का उपयोग करना जिससे सरकारी खर्च को पूरा करने में मदद मिले। यद्यपि अल्प अवधि में इससे स्कूल पर समुदाय की मिलकियत बनेगी और यह स्कूल को जवावदेह होने के लिए प्रोत्साहित करेगा। लेकिन लम्बे समय में इससे स्कूली शिक्षा में और भी ज्यादा असमानता आएगी। संपन्न समुदाय स्कूलों को बड़े पैमाने पर अनुदान (फंड) देने में सक्षम होंगे जिससे असमानता पैदा होगी और कायम रहेगी और सरकार की स्कूली शिक्षा की जिम्मेदारी समाप्त हो जाएगी।

स्कूली शिक्षा में प्रति व्यक्ति निजी लागत

	प्रथमिक	उच्च प्राथमिक
पूरे भारत में	701	1281
ग्रामीण	416	896
शहरी	1609	2141
स्कूल के प्रकार		
सरकारी	360	871
स्थानीय निकाय	473	1016
निजी सहायता प्राप्त	1653	1884
निजी बिना सहायता प्राप्त	1994	3018
चतुर्थक		
गरीबतम 20%	276	596
20-40%	428	805
40-60%	587	1016
60-80%	837	1260
सबसे संपन्न 20%	1610	2166

स्कूली शिक्षा में बढ़ी निजी लागत

एनएसएस 52वें राउंड के आंकणों का यह अनुमान है कि औसत भारतीय अभिभावक ने 2005–06 में अपने बच्चों की प्राथमिक शिक्षा पर 701 रूपए और उच्च प्राथमिक शिक्षा पर 1281 रूपए खर्च किए।

फिर भी विभिन्न राज्यों, क्षेत्रों और स्कूलों के प्रकार के खर्च में काफी भिन्नता है। सरकारी स्कूलों में एक बड़ी निजी लागत किताबों और वर्दियों पर आती है। निजी स्कूलों में एक बड़ा खर्च स्कूल की फीस, किताबों, लेखन सामग्री, वर्दी और परिवहन पर आता है। 2005–06 की मंदी में कीमतें, *स्रोत : एन एन एस 52 राउंड इन प्राइमर ऑफ बजट एनालिसिसः टेकिंग द केस ऑफ एलिमेंटरी एजूकेशनः सीबीजी (2007)।*

सरकार द्वारा शिक्षा पर निवेश घटने से अभिभावकों पर इन खर्चों का एक बड़ा बोझ आ गया है। सिर्फ यही बच्चों के स्कूल छोड़ने का एक बड़ा कारण नहीं है (क्योंकि अभिभावक इस खर्च को उठा पाने में असक्षम हैं) बल्कि यह निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के उस अधिकार की अवहेलना है जिसकी संविधान में सरकार द्वारा गारण्टी दी गई है। प्रति वर्ष प्रत्येक गरीब बच्चे की शिक्षा पर 1200–1500 रूपए की लागत आती है (नैशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क 2005)।

गाँवों में पहुंचने वाला फंड

यद्यपि कुल कम बजट का आवंटन निश्चित रूप से चिंता का एक विषय है लेकिन इस बात पर भी विचार करना जरूरी है कि किस हद तक आवंटित फंड पंचायत तक पहुंचता है और इस मकसद को पूरा करता है। फंड पर समुदाय की निगरानी की कमी के कारण इसका दुरूपयोग, गलत आवंटन और इसमें विलम्ब होता है (यद्यपि इसका प्रावधान पहले से ही है जिसके लिए पंचायतों और पीटीए को सशक्त किया गया हैं।)

क्षेत्रीय असमानता

अभी तक व्यापक प्रवृत्तियों और इसकी समूची दिशाओं को केन्द्र में रखते हुए व्यापक संदर्भ में इस पर चर्चा की गई थी। लेकिन इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि राज्यों के बीच और राज्य के भीतर भी बड़ी असमानता है।

भारत में प्राथमिक शिक्षा: सर्वव्यापी प्रथमिक शिक्षा की दिशा में प्रगति

	राष्ट्रीय	सबसे ज्यादा	सबसे कम
प्राथमिक शिक्षा देने वाले मान्यता प्राप्त	11,96,663	168969;(उत्तरप्रदेश)	86 (दमन और द्वीप)
पिछल वर्ष औसर शिक्षण दिनों की संख्या	208	242 (त्रिपुरा)	154 हिमाचलप्रदेश
कक्षाओं की औसत संख्या	4.1	26.8 (चंडीगढ़)	2.1 आसाम
विद्यार्थी कक्षा अनुपात वाले स्कूलों का %=>60	16.45	66.84 (बिहार)	0.65 सिक्किम
अकेले अध्यापक के स्कूलों का %	4.96	48.42% अरूणाचल	0.00 केरल/लक्षद्वीप
विद्यार्थी अध्यापक अनुपात वाले स्कूलों का % =>100	4.96	17.17 बिहार	0 चंडीगढ़, लक्षद्वीप
बालिकाओं के लिए शौचालय रखने वाले स्कूलों का %	42.58%	93.82% दिल्ली	8.76 मेघालय
प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोने वालों का औसत	8.61	21.02 उड़ीसा	1.14 गोवा
IV-V परीक्षा में 60% और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं का %	45.12%	69.97% तमिलनाडु	14.14 त्रिपुरा
विद्यार्थी अध्यापक अनुपात अध्यापकों का %	34%	64% बिहार	12 सिक्किम
प्रोफेशनल तरीके से प्रशिक्षित अध्यापकों %	78.21%	99.14% दमन/द्वीप,चंडीगढ़	15.92% नागालैंड
कुल अध्यापकों में पारा अध्यापकों का %	9.86%	38.67% मध्य प्रदेश	0.34% उड़ीसा
गैर–शिक्षण कार्यों में बिताए गए दिन	16	36 पांडिचेरी	3 राजस्थान

श्रोतः फलैश स्टेटिक्स, डाइस 2006–7 एन. यू ई पी ए. 2008

अध्याय ३

उपेक्षित (सामाजिक) समूहों की शिक्षा

राज्य की अपने सभी नागरिकों की शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता सीमांतक समुदायों के पक्ष में सकारात्मक पक्षपात के साथ हमारे संविधान (अनुच्छेद 15–4, 45, 46) में मौजूद हैं। इन समुदायों का सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कानूनों व नीतियों के प्रारूप बनाए गए हैं, इसके बावजूद सीमांतक समुदाय के बच्चे स्कूल छोड़ जाने के जोखिम में है– जिन्हें आमतौर पर घटिया शिक्षा प्राप्त होती है और जिनके अभिभावकों की स्थानीय स्वशासन में कोई सुनवाई नहीं हैं। लाखों–करोड़ों बच्चे श्रम बाजार में प्रवेश करते जा रहे हैं जहां उनका काम में काफी शोषण किया जाता है और जहां उन्हें काफी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और जहां उन्हें अपने विकास का कोई अवसर प्राप्त नहीं है। ये ज्यादातर बच्चे अवैतनिक घरेलू कामों और अनौपचारिक क्षेत्रों के कामों से जुड़े हुए हैं। लड़कियां जेंडर संबंधी पक्षपातों को झेलती हैं और उनपर जल्दी विवाह करने का दबाब बना रहता है जिससे उनका समूचा विकास अवरूद्ध हो जाता है। बच्चे स्कूल से बाहर होने के कारण तिरस्कार को झेलते हैं और उनके बालपन का ह्रास होता है, उन्हें उनके अधिकारों के लिए नकारा जाता है और वे भय और चिंता का जीवन जीते हैं। यहां तक कि अपंग बच्चों की भी पूरी उपेक्षा होती है और उन्हें स्कूली शिक्षा तक अपनी पहुंच बनाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।

लिंग के आधार पर साक्षरता दर : जम्मू और कश्मीर को छोड़कर जाने वाले जिलों की संख्या

साक्षरता दर	पुरुष	स्त्री
25.00 प्रतिशत से ज्यादा	0	125
25.01 प्रतिशत से 50.00 प्रतिशत	80	218
50.01 प्रतिशत से 75.00 प्रतिशत	276	90
75.00 प्रतिशत से ऊपर	96	19
कुल	452	452

स्रोत : भारतीय जनगणना, 2001 (डब्लूडब्लूडब्लू.सीइएसएसयूएसआईएनडीआईए.एनइटी)

वास्तव में बच्चों की शिक्षा के अधिकार के पक्ष में सामाजिक मानदण्ड न होने के कारण सरकार सभी आवश्यक सुविधाएं पहुंचाने के संबंध में उदासीन बनी रहती है जिससे प्रत्येक बच्चा स्कूल जाने में सक्षम बने और बिना बाधा के अपनी शिक्षा जारी रख सके। यद्यपि हमारी दुनिया में सबसे बड़ी शिक्षा व्यवस्था है, परन्तु दुर्भाग्यवश यह बेकार और अकुशल है – 54.6 प्रतिशत बच्चे जिनमें 56.9 प्रतिशत वे लड़कियां है जो 8वीं कक्षा से पहले ही स्कूलों से बाहर हो जाती हैं। इनमें सबसे बड़ी संख्या अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और मुसलमान लड़कियों की है। इसके अलावा पाँच साल निरंतर रूप से स्कूल में बने रहने के बाबजूद सिर्फ 60 प्रतिशत बच्चे ही पढ़ने–लिखने और जमा–घटा कर पाने में समर्थ होते हैं। इन्हीं सब बाधाओं के कारण बच्चे अपने मौलिक अधिकारों से वंचित रहते हैं, साथ ही आज शिक्षा की एक बड़ी मांग बनी हुई है और पिछले एक दशक पर गौर करने से पता चलता है कि गरीब अभिभावकों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए अपना कितना ज्यादा बलिदान करना पड़ा है।

एक्शनएड का मानना है कि सबसे ज्यादा हाशिए पर पहुंचे समुदाय का पक्ष लेना और यह सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है कि वे अपने अधिकारों का लाभ उठाएं। ये हमारी समझ में है कि ये समुदाय सब से ज्यादा उपेक्षित हैं और इनमें प्रत्येक अपनी विशिष्ट समस्याओं को झेल रहा है। इसी आधार पर विशिष्ट समूहों–, जिनकी सीएसपी तृतीय में मुख्य कार्यक्षेत्रों के रूप में पहचान की गई– से संबंधित बाल अधिकार और शिक्षा के अधिकार के मुददों का विश्लेषण किया गया है।

दलित

दलित इस देश में सबसे ज्यादा हाशिए पर पहुंचे समुदायों में गिने जाते हैं और कुल आबादी में इनकी संख्या 16.2 प्रतिशत है; दुर्भाग्यवश इनमें शिक्षा का स्तर राष्ट्रीय औसत से कम है। फिर भी अम्बेडकर के दर्शन (दलित समुदाय के सशक्तिकरण के लिए उन्हें ''शिक्षित, संगठित करें और इसके लिए विरोध–प्रदर्शन करें'') से इस समुदाय की शिक्षा में और सुधार करने की काफी प्रेरणा मिलती है। इसकी यही चुनौती है कि एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए जो इस सबसे ज्यादा शोषित / उपेक्षित समूह का सशक्तिकरण और उनका सम्मान सुनिश्चित करें।

ऽ यह सुनिश्चित करने के लिए गलती से अलग ''दलित'' स्कूलों की स्थापना की गई जिससे दूर के मानदण्डों को पूरा किया जा सके जो आम तौर पर वैकल्पिक, नवीन या शिक्षा गारण्टी के स्कूल हैं। अतः इसकी गुणवत्ता संबंधी मुद्दों का बच्चों की शिक्षा पर प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही, इन स्कूलों के सुधार में विलम्ब होने से दलितों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है (एन सी एफ 2005 : अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं पर स्थिति पेपर, लेकलर्क, 2002)

- स्कूलों में स्वर्ण (ऊँची जाति के) अध्यापकों द्वारा सीधे–सीधे पक्षपात– दोपहर का भोजन (एमडीएम) परोसने में, कक्षा में बैठने के स्थान को लेकर, पीने का अलग बर्तन और बच्चों को उनकी जाति से पुकारना। साथ ही, यहाँ का नकारात्मक ढर्रा – दलित लड़कियों को कक्षा में झाड़ू लगाने के लिए कहा जाता है और सीखने के मामले में दलित बच्चों से कोई अपेक्षा नहीं रखी जाती है (कुमार, 1992)।
- स्थानीय स्वशासन के निकायों में दलितों का अल्प प्रतिनिधित्व जैसे ग्राम शिक्षा समिति (वीईसी) और अभिवाहक अध्यापक संघ (पीटीए) जैसे शिक्षा के मुददों पर, खासकर प्रभावशाली पदों पर जहाँ से वे स्कूल के विकास से संबंधित निर्णय ले सकते हैं।
- शिक्षण के पेशे में दलितों (खासकर अध्यापिकाओं) का अल्प–प्रतिनिधित्व और जो दलित अध्यापक नियुक्त भी किए गए हैं उनके साथ अछूतों जैसा व्यवहार किया जाता है। सिर्फ 12.2 प्रतिशत अध्यापक ही दलित हैं।

देशज लोग

भारत में देशज लोगों की आबादी 8.2 प्रतिशत है (जनगणना 2001) और उनमें 40 प्रतिशत साक्षर हैं, जिनमें 59 प्रतिशत पुरूष और 37 प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं (1999–2000 : एन एस एस का 55वाँ राउंड)। आदिवासी बच्चों में दखिले की दर राष्ट्रीय औसत से कम है। आदिवासी लोगों को उनके पारंपरिक अधिकारों से वंचित करने के चलते उनका धीरे–धीरे सीमांतीकरण होने के कारण वे अपनी पहचान खोते जा रहे हैं। वे स्वांगीकरण की दोहरी मार झेल रहे हैं। उन्हें मुख्यधारा के साथ जोड़ेने से उनकी संस्कृति का ह्रास हो रहा है और उनका शोषण भी हो रहा है।

- देशज लोग दूर–दराज के बीहड़ इलाकों में रहते है और आमतौर पर बिखरे हुए होते हैं। इनके निवास के स्कूल की दूरी सर्व शिक्षा अभियान के मानदण्डों के हिसाब से काफी ज्यादा है। ये स्कूल शिक्षा गारण्टी स्कूल/वैकल्पिक नवीन शिक्षा के असंगत (बेमेल) हैं और जहां पारा–अध्यापकों द्वारा उन्हें पढ़ाया जाता है– फलस्वरूप गुणवत्तामूलक शिक्षा के मुददों का बच्चों पर काफी बुरा असर पड़ता है (लेकलर्क 2002)।
- पहले कुछ वर्षो की शिक्षा उनकी मातृ भाषा में दी जानी चाहिए। परन्तु गैर–आदिवासी अध्यापक इसके बदले राज्य की भाषा में उन्हें पढ़ाते हैं। आदिवासी भाषा में अध्यापन शिक्षण सामग्री की कमी है और पाठ्यक्रम में आदिवासियों के इतिहास और संस्कृति का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है जिससे वे स्कूली शिक्षा व्यवस्था से कटे रहते हैं (एनसीएफ) 2005 स्थिति पेपर : अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के बच्चों की समस्याएं)।
- माध्यमिक स्कूलों की कमी, उन्हें इन स्कूलों तक पहुंचने के लिए लम्बी यात्रा करनी पड़ती है और बच्चों के लिए समुचित यातायात का साधन न होने के कारण उन्हें स्कूलों के आवासीय आश्रमों पर आश्रित रहना पड़ता है। ऊपर से इन आश्रम स्कूलों के छात्रावासों व सीटों की संख्या भी उनकी मांग से कहीं कम है और इन आश्रम स्कूलों में अनुदान भी देरी से पहुंचता है (या मंजूर की गई राशि से काफी कम होता है।) जिसके फलस्वरूप उन्हें घटिया बुनियादी ढांचे और अपर्याप्त अध्यापक के बीच अपनी पढ़ाई करनी पड़ती है।
- अल्प साक्षर जिलों में अनुसूचित जाति की बालिकाओं की शिक्षा को सुदृढ़ करने की योजना और स्त्रियों की साक्षरता बढ़ाने के लिए अल्प साक्षर इलाकों में शिक्षा के परिसर स्थापित करने की योजना के तहत बालिकाओं के लिए आवासीय छात्रावास का प्रावधान है (प्रतिशत सन् 2007– 08 के दौरान ऐसे ही 59 परिसरों की स्थापना की गई)।
- शिक्षा व ग्रामीण विकास मंत्रालयों के सभी स्तरों पर आदिवासी मामलों का कोई अभिसरण नहीं। आदिवासी इलाकों में आदिवासी विभाग द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में जिम्मेदारियां बंटी हुई हैं।
- आदिवासी उपयोजनाओं में आदिवासी बच्चों की शिक्षा के लिए प्रावधान बनाए जाते हैं। आज इनके खर्चों का पता लगाने की जरूरत है और यह सुनिश्चि करने की जरूरत है कि फंड आवश्यक लाभांशियों तक पहुंचे।
- भारत की मुसलमान आबादी की बुनियादी नागरिकता के अधिकारों की अवहेलना, खासकर शिक्षा के क्षेत्रों में, होने से उनके विकास का स्तर सबसे कम है (सचर समिति रिपोर्ट, 2006)। यद्यपि ऐसी भी नीतियां हैं जिनमें अल्पसंख्यकों को संबोधित किया जाता है (1986 और 1992 की कार्ययोजनाओं में अल्पसंख्यकों के उन अधिकारों के बारे कहा गया है जिनसे वे अपनी इच्छा की शिक्षा स्थापित कर सकें और उसे चला सकें), परन्तु इसका ज्यादातर रूझान उनकी विशिष्ट हैसियत और पहचान सुनिश्चित करने में है।
- भारत में मुसलमानों की आबादी 13.43 प्रतिशत है, फिर भी उनकी शिक्षा राष्ट्रीय औसत से कम होती जा रही है। कुल जनसंख्या में उनकी जितनी आबादी है उस हिसाब से उनका स्कूलों में दाखिला (7.52 प्रतिशत) काफी कम है (डाइस फ्लैश आंकणे, (2006–07)
- सरकारी स्कूलों में मुस्लिम बच्चों के विरूद्ध पक्षपात होने से वे इनसे बाहर हो जाते हैं।
- पाठ्यक्रम में मुसलमानों की संस्कृति प्रतिबिम्बित नहीं होती है और मुख्यधारा के पाठ्यक्रम में मुस्लिम रोल–मॉडल का प्रतिनिधित्व घटते हुए पाए गया हैं।
- कुछेक राज्यों के पाठ्यक्रम को हिन्दु धर्म के अनुसार गढ़ा गया है।
- तीन भाषा के फार्मूले के अपर्याप्त क्रियान्वयन से– उर्दू की पठन सामग्रियों की कमी होने और प्राथमिक स्तर से ऊपर इस भाषा में भावी शिक्षण अवसरों की कमी होने से–उनके सामने बाधा उत्पन्न होती है। परिणामस्वरूप वे स्कूल छोड़ जाते हैं।

- सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसाओं में अध्यापकों की उपलब्धता तथा अध्यापन शिक्षण स्कूलों जैसे मानदडों का अनुपालन नहीं किया जाता है। भले ही कुछेक मुसलमान मक्तबा और मदरसाओं में उपस्थित होते हों फिर भी इनके पाठ्यक्रम को आधुनिक करना बेहद जरूरी है।
- कम संख्या में मुसलमान अध्यापकों का प्रतिनिधित्व।

अपंग बच्चे

सन् 1986 और 1992 दोनों की कार्य–योजनाओं में यह सिफारिश की गई कि जो बच्चे प्राथमिक स्कूलों में हो सकते हैं उनका नवीं पंचवर्षीय योजनाओं के अंत तक दाखिला किया जाना चाहिए। जो बच्चे नियमित स्कूलों में शामिल नहीं किए जा सकते हैं उनके लिए ऐसे विशेष स्कूल उपलब्ध कराए जाने चाहिए जिनके पाठ्यक्रम में व्यवसासिक प्रशिक्षण को जोड़ा जाए और अध्यापकों को अपंगताओं से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जाए। अपंग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और उनकी पूरी सहभागिता) अधिनियम 1995 में इस बात पर बल गया है कि 'सरकार की यह वैधानिक जिम्मेदारी है कि वह 18 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए उचित वातावरण में निःशुल्क शिक्षा मुहैया कराए। संयुक्त राष्ट्र अपंग व्यक्तियों का अधिकार सम्मेलन (2007) जिस पर भारत ने अनुसमर्थन किया है– उसमें अपंग बच्चों की शिक्षा का और भी ज्यादा प्रगतिशील आधार दिया गया है। भारत के कुछेक राज्यों (जैसे कर्नाटक और तमिलनाडु) ने समावेशी नीतियों को लाकर बड़ी प्रगति की है– परन्तु कई अन्य राज्यों में ऐसी कोई नीति नहीं बनाई गई है जिससे अपंग बच्चों की गुणवत्तामूलक शिक्षा तक पहुंच बन सके।

- भारत में अपंग बच्चों पर सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत कोई आकलन मौजूद नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार इनकी संख्या को काफी कम करके आंकती है क्योंकि गणनाकारों को इनकी पहचान करने के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित नहीं किया जाता है। इसी प्रकार, स्कूल के बाहर के बच्चों के आकलनों में काफी अंतर पाया जाता है।
- एक बड़ी संख्या में अपंग बच्चों को प्रमाणित नहीं किया गया है और इसीलिए ये बच्चे सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से वंचित हैं।
- यही विश्वास किया जाता है कि विशेष स्कूलों में अपंग बच्चों की शिक्षा उनकी शिक्षा के समानार्थी है जबकि प्रमाण इसके विपरीत हैं। फलस्वरूप इस फर्क को समाप्त करने के लिए सभी अध्यापकों को प्रशिक्षित करने का कोई प्रयास नहीं किया जाता है।
- अगर अपंग बच्चों को मुख्यधारा के स्कूलों में रखा जाए तो अध्यापन शिक्षण सामग्रियों की उपलब्धता और इनका जुड़ाव सुनिश्चि करने संबंधी अध्यापकों के प्रयास के मायने में उन्हें शिक्षा देने संबंधी सहयोग अपर्याप्त हैं। स्कूलों तक भौतिक पहुंच की कोई परवाह नहीं की जाती है–73.4 प्रतिशत स्कूलों में घूमने–फिरने की जगह का अभाव है (डाइस : 2006–07)
- सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए) ने अपंग बच्चों की शिक्षा के लिए कई प्रावधान बनाए हैं; फिर भी ये सुविधाएं आमतौर पर उन तक नहीं पहुंचती हैं।

बालिकाएं

सभी सरकारी नीतियों व योजनाओं में बार–बार बालिकाओं की शिक्षा का मुद्दा उठता रहा है (राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 से लेकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति और सर्वशिक्षा शिक्षा अभियान, 2000 आधार तक)। उनके सीमांतीकरण को रोकने संबंधी की गई कार्यवाईयों में उन्हें जेंडर के संबंध ा में ज्यादा संवेदनशील बनाने के लिए पुस्तिकाओं में संशोधन करना, अध्यापिकाओं को विशेष लाभ देना और उन्हें प्रोत्साहित करना शामिल है। लड़कियों और महिलाओं को आमतौर पर एक ही क्षेणी में डाला जाता है (क्योंकि भारत में कम उम्र की लड़कियों की शादी हो जाती है और उनके बच्चे हो जाते है।) परन्तु आज इस बात को मान्यता देना बेहद जरूरी है कि किशोरावस्था की लड़कियां विशेष श्रेणी में आती हैं जिनके अपने अधिकार व आवश्कताएं हैं जो कि पूरी तरह से वयस्क महिलाओं से भिन्न हैं।

- लड़कों से ज्यादा लड़कियों में स्कूल छोड़ने वालों की दर है।
- कक्षा के प्रत्यक्ष और छिपे पाठ्यक्रम जेंडर की भूमिका के ढर्रे को और ज्यादा पुख्ता करते हैं (एन सी एफ 2005 : स्थिति पेपर–शिक्षा में जेंडर के मुद्दे)।
- बालिकाओं खासकर स्कूलों की बालिकाओं के विरूद्ध हिंसा, साथ ही समुदायों में तथा घर और स्कूल के बीच जाने के रास्ते में हिंसा जिससे लड़कियां स्कूल से बाहर हो जाती है और जिनसे उनके अधिकारों की अवहेलना होती है।
- लड़कियों के स्कूल छोड़ने के कारण उनका बाल–विवाह हो जाता है। भारत में लड़कियों के विवाह की औसत उम्र : 18.3 है (सन् 2001 की जनगणना के अनुसार)।
- घरेलू काम के हिस्से के रूप में उनका बाल मजदूरी में शामिल होना जो कि लड़कियों के स्कूल छोड़ने का एक बड़ा कारण है।
- स्कूलों में शौचालय की सुविधाओं की कमी के कारण लड़कियां स्कूलों से बाहर हो जाती है।
- अध्यापिकाओं की कमी का अर्थ है शिक्षा व्यवस्था में महिला रोल मॉडल का न होना। अध्यापिकाओं की नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए महिला हितैशी नीतियों की कमी है। अध्यापिकाओं के लिए विशेष लाभ का अभाव, ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापिकाओं के लिए क्वार्टर का अभाव, यातायात के साधनों का अभाव है।

शहरी गरीब बच्चे

कई प्रस्तुतियों को देखने से पता चलता है कि सन् 2025 तक देश की आधी जनसंख्या शहरी झोपड़ी–पट्टियों में रह रही होगी। कई झोपड़–पट्टियां तो स्कूल बनाने का भी दम नहीं रखती हैं, जो कि आमतौर पर काफी घटिया होते हैं। इसके अलावा शहरी गरीबों के रहने और आजीविका की सुरक्षा के कारण वे जल्दी–जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रस्थान करते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप बच्चे स्कूल छोड़ जाते हैं। इसी कारण शहरों की झोपड़–पट्टियों के बच्चों में सबसे ज्यादा स्कूल छोड़ जाने वालों की दर है। इनमें खास मुद्दा सड़क के किनारे रहने वाले फुटपाथ के बच्चों का है। करीब 1 करोड़ 10 लाख बच्चे फुटपाथों पर अपना डेरा जमाते हैं और इनमें 4 लाख 20 हजार बच्चे इस देश के छः महानगरों में रहते हैं (बाल विकास के 50 साल : भावी चुनौतियां, द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग, मानव संसाधन मंत्रालय, भारत, 1997)।

- शहरी गरीबों का अस्थाई निवास : झोपड़–पाट्टियों को अस्थाई ईकाईयों के रूप में देखा जाता है और इसीलिए इन इलाकों में रहने वाले बच्चों की शिक्षा की योजना नहीं बनती है।
- नगर निगम के निकायों के एक बड़े भौगोलिक क्षेत्रों में शिक्षा के लिए स्थानीय स्वशासन की क्षमता–प्रभाव एक बड़ी चिंता का विषय है। साथ ही आबादी में एकरूपता न होने के कारण समुदाय की सहभागिता में कठिनाई होती है।
- फुटपाथ या प्लेटफार्म पर सोने वाले बच्चे और बेघर हुए बच्चों की शिक्षा के लिए कई कठिनाईयां पेश आती हैं।

प्राकृतिक और मानवकृत त्रासदियों / महाविपदाओं से प्रभावित बच्चे

यह अनुमान लगाया जाता है कि भारत की 54 प्रतिशत धरती भूकंप के खतरे में है और 64 प्रतिशत बाढ़ग्रस्त है। 1990–2000 के दशक में प्रत्येक वर्ष औसतन 4344 लोगों ने त्रासदियों में जिंदगी गवाई और 3 करोड़ लोग इससे प्रभावित हुए। इन त्रासदियों ने हरेक के जीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया लेकिन सबसे मोहताज लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया और इनमें सबसे ज्यादा बच्चों की दुर्गति हुई। सुनामी में मरने वाले तीन व्यक्तियों में एक बच्चा ही था और इस त्रासदी के बाद राहत और पुनर्वास तक अपनी पहुंच बनाने में मत पूछो उनकी क्या दुर्गति हुई।

- बच्चों के साथ इतने हादसे हो जाने के बावजूद त्रासदियों / महाविपदाओं के प्रस्ताव और डिजाइन में उनके अधिकारों की सुरक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।
- त्रासदियों / महाविपदाओं के जोखिम में बने हुए क्षेत्रों के बच्चों और समुदायों के लिए जोखिम की तैयारी की स्थाई रणनीतियों का अभाव है
- स्कूलों में असुरक्षा और विपदाओं के जोखिम को घटाने के लिए इसके ढांचे में अपर्याप्त स्थान का बोलबाला है और पाठ्यक्रम में मौसम परिवर्तन की समझ बनाने के अपर्याप्त अवसर हैं।
- पीड़ितों पर हादसे के बाद का दबाव और उन्हें सलाह–मशविरा देने और बच्चों में हालात से निपटने की कुशलताएं विकसित करने की आवश्कता को आमतौर पर भाग्य के भरोसे छोड़ दिया जाता है।

अन्य सीमांतक बच्चे

सबसे ज्यादा हाशिए पर पहुंचे बच्चों की अन्य श्रेणियों में बाल–मजदूर, प्रवासी बच्चे और देह–व्यापार करने वालों के बच्चे, अवैध बच्चे (शहरों में देह व्यापार और घरेलू नौकर के रूप में काम करने वाले बच्चे) और एच.आई.वी. एड्स से पीड़ित बच्चे, कानून के विरूद्ध चलने वाले और रेलवे प्लेटफार्म पर रहने वाले बच्चे शामिल हैं। इस खंड के साथ निरंतर रूप से बच्चों की नई–नई श्रेणियां जुड़ती जा रही हैं। बाल–मजदूरी और शिक्षा के मुद्दे आपस में काफी घनिष्ट रूप से संबंधित हैं क्योंकि स्कूल से बाहर हुए ज्यादातर बच्चों के बाल मजदूर बनने की ज्यादा संभावना होती है। फूटपाथ के बच्चों के लिए सही ढंग से जीने की परिस्थितियों का अभाव रहता है। उनके स्वास्थ्य की कोई देख–रेख नहीं हो पाती है। वे व्यवसायिक बीमारियों और विषैली चीजों के प्रभाव में बने रहते हैं। उनमें संक्रामक रोग लगने की ऊंची दर होती है। उनमें परिवारिक हिंसा और मानसिक स्वास्थ्य समस्या का ज्यादा खतरा रहता है और वे पोषणता और शिक्षा से वंचित रहते हैं। प्लेटफार्म पर रहने वाले बच्चे (खासकर लड़कियां) हिंसा, यौन शोषण और नशे की लत के जोखिम में जीते हैं और शिक्षा से वंचित रहते हैं। प्रवासी बच्चों की शिक्षा डावांडोल रहती है। देह व्यापार में फंसे बच्चे घर के सहयोगी वातावरण से वंचित रहते हैं। वे अमानवीय परिस्थितियों में काम करने के लिए बेबस होते हैं। बच्चों पर एच आई वी का दो तरह से प्रभाव पड़ा है– सक्रंमित और प्रभावित स्थिति। उनका सही ढंग से विकास नहीं हो पाता है और उनमें संक्रामक रोग लगने का ज्यादा खतरा होता है। उनपर कलंक लगा होता है और उनके साथ पक्षपात किया जाता है। एच.आई.वी. / एड्स से पीड़ित बच्चे दिहाड़ी की मजदूरी करने के लिए स्कूल छोड़ देते हैं और अनाथों का जीवन जीते हैं और उन्हें बिना किसी सहयोग के अकेले जीवन जीने के लिए छोड़ दिया जाता है। सैन्य संघर्ष से प्रभावित इलाकों के बच्चे बाल सैनिक बनने के लिए झोंके जाने के जोखिम में होते हैं।

अध्याय ४

शिक्षा के अधिकार को जमीन में उतारने की रणनीतियां

वर्ष 2005–10 के लिए सर्वप्रथम अधिकार (हमारी राष्ट्रीय रणनीति पेपर तृतीय) में बच्चों के अधिकारों की कार्यवाई को मुख्य कार्यक्षेत्रों के सर्वोच्च विषय के रूप में घोषित किया गया और बच्चों की शिक्षा के अधिकार पर अपना काम करने की इच्छा जाहिर की गई। इसी परिप्रेक्ष्य में हम बच्चों की शिक्षा को केन्द्र में रखते हुए उनके अधिकारों को अपने कार्यक्रमों के केन्द्र में लाने के लिए प्रयासरत हैं। हमारा मानना है कि सभी बच्चे सामान्य स्कूली शिक्षा व्यवस्था से शिक्षा प्राप्त करें और चाहे उनकी उम्र कितनी भी हो लेकिन वे कम से कम अपनी दसवीं कक्षा तक पढ़ाई जरूर पूरी कर लें।

हमारा सपना है कि बच्चों की ऐसी समान स्कूली व्यवस्था में गुणवत्तामूलक शिक्षा तक निःशुल्क पहुंच बने जहां बच्चों खासकर बालिकाओं के अधिकारों का सम्मान किया जाता है और अन्याय को चुनौती दी जाती है ताकि वे सम्मान का जीवन जी सकें। इस सपने को साकार करने के लिए हम किसी भी तरह की बाल मजदूरी का विरोध करते हैं और शिक्षा के जरिए बाल मजदूरी खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा मानना है कि इसे हासिल करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि हम सरकारी स्कूलों को पुख्ता करें, जो कि अभी भी गरीब बच्चों को शिक्षा देने वाला सबसे बड़ा निकाय है। इसके लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि ये स्कूल स्थानीय निजी स्कूलों में सबसे बेहतरीन स्कूल बनें – इस प्रकार सामान्य स्कूली व्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने में अपना योगदान दें। ''यह सुनिश्चित करना कि सरकरी स्कूल सबको गुणवत्तामूलक शिक्षा प्रदान करते हैं। इसी से हमारी उपेक्षित समुदाय के बच्चों की शिक्षा पर काम करने की दिशा तय हुई।

वे सिद्धांत जो सरकारी स्कूली व्यवस्था की मजबूती सुनिश्चित करने में हमारा मार्ग-दर्शन करते हैं

(i) **नैतिक अवसर-** कानून के दायरे में सबके साथ काम करना हमारा हमेशा से उद्देश्य होना चाहिए। सिर्फ पारदर्शिता, ईमानदारी और सच्ची निष्ठा से ही हम उस मानदण्ड को हासिल करने के लिए जन–सहभागिता बनाएं कि कोई भी बच्चा काम न करे और सभी बच्चे पूर्णकालिक औपचारिक स्कूल में उपस्थित रहें।

(ii) इस सामाजिक मानदण्ड का निर्माण करने में सभी सामाजिक समूहों, वर्गो और समुदाओं को इस कार्यक्रम के साथ जोड़ा जाना चाहिए। इनकी उपेक्षा करने से सिर्फ यही होगा कि बाल अधिकारों का एजेंडा पहचान या वर्ग के हितों का मुद्दा बनकर रहा जाएगा।

(iii) समुदाय की योग्यता में भरोसा रखें जिससे बाल अधिकार संबंधी गुत्थी (स्थिति) को सुलझाया जा सके और सामाजिक मानदण्ड को लागू करना। उनकी योग्यता पर भरोसा न करने का परिणाम यही होगा कि ये पहल–प्रयास समुदाय के हाथों से बाहर निकल जाएंगे और फिर इन्हें बरकरार भी रखा नही जा सकेगा।

(iv) **राज्य के समानान्तर ऐसा कोई संस्थान न हों जो समुदाय के सशक्तिकरण को कमजोर करे :** समुदाय को बाल अधिकारों को केन्द में लाने के लिए राज्य के संस्थानों में सुधर करने की इजाजत होनी चाहिए। यह इन संस्थानों तक पहुंच बनाने की प्रक्रिया में है जिससे व्यक्ति अपनी ताकत का एहसास करे और उनका सशक्तिकरण हो।

(v) **विषयपरक :** बाल अधिकारों की सुरक्षा के अलावा ऐसा कोई अन्य मुद्दा नहीं होना चाहिए जो विश्लषेण या योजनाओं को प्रभावित करे। इसी नजरिये से मतभेदों से निपटना होगा और ऐसे मानदंड के लिए सर्वसम्मति का निर्माण करना होगा जिससे बच्चों का शोषण न हो और वह स्थान जहां वे हैं वह है उनका स्कूल।

(vi) **सर्वसम्मति :** इस कार्यक्रम का जोर समुदाय के पूर्णजुड़ाव की प्रक्रिया का निर्माण करने की दिशा में होना चाहिए और लोकतांत्रिक तरीके से निर्णय लेने का अनुपाल किया जाना चाहिए। सिर्फ समुदाय ही इसकी समय सारिणी तय कर सकता है। बाहर से थोपे गए लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में काम करने से समुदाय कमजोर पड़ने लगते हैं।

(vii) **सुरक्षित और सुनिश्चित पहुंच :** स्कूल के बच्चों, खासकर लड़कियों व अपंग बच्चों के विरूद्ध हर तरह की हिंसा और पक्षपात को समाप्त करें।

सीएसपी–तृतीय की रणनीतिक अवधि के दौरान इसके उद्देश्य को हासिल करने के लिए पांच विशिष्ट लक्ष्यों से इसकी दिशा बनी। ये लक्ष्य ज्यादातर एक्शनएड अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा विषय के लक्ष्यों के सुसंगत हैं। इन लक्ष्यों को हासिल करने का हमारा दृष्टिकोण उस आस्था पर आधारित है कि अधिकांश अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ें और अधिकांश अध्यापकों की क्षमता में हमारी आस्था इस बात पर आधारित है कि वे बच्चों को गुणवत्तामूलक शिक्षा प्रदान करेंगे। स्कूलों के शासन में अड़चनें होने, अपने पहल–प्रयास करने के सीमित अवसर होने और यह आम धारणा बनी होने के कारण कि सरकारी स्कूल बच्चों को गुणवत्तामूलक शिक्षा प्रदान नहीं करते हैं, उनकी ऊर्जा बाहर नहीं निकल पाती है। हम मौजूदा व्यवस्था में अपने साझेदारों के साथ काम करेंगे जिससे सरकारी शिक्षा व्यवस्था की मौजूदा कमी पेशियों को दूर करने और सभी स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद मिले। हम स्कूलों में बच्चों का दाखिला दिलाने में सिर्फ अपना ध्यान केन्द्रित करने की बजाय सरकारी स्कूलों के साथ अपने जुड़ाव को बढ़ाएं । हम अपने काम (यह सुनिश्चित करते हुए कि अच्छे चलनों को प्रमाण के साथ स्वीकारा जाए) का पूरी तरह से प्रलेखन करेंगे और अन्य संगठनों के काम पर शोध करेंगे जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि इसमें दोहराव न हो। इससे परियोजनाओं की चिरंतरता बनाए रखने में मदद मिलती है और इससे एक्शनएड अंतर्राष्ट्रीय के भीतर देश के कार्यक्रम के क्षेत्रीय कार्यालयों के बीच और अन्य संगठनों के साथ साझी सीख बनाने में मदद मिलती है।

हम इस बात को मान्यता देते हैं कि सबसे ज्यादा हाशिए पर पहुंचे बच्चों (देह व्यापार करने वालों के बच्चों, देह व्यापार में लिप्त बच्चों, एचआईवी/एड्स से पीड़ित बच्चों) से निपटने की रणनीतियां जरूरी नहीं कि अन्य श्रेणियां के बच्चों से निपटने की रणनीतियों से भिन्न हों। फिर भी इन बच्चों के साथ काम करने के लिए जिस सिद्धांत के साथ समझौता नहीं किया जा सकता है वह है कि उनके सभी बुनियादी अधिकारों का सम्मान किया जाए और जहां तक संभव हो अनौपचारिक माहौल में उनकी देखरेख और सुरक्षा के साथ उनके विकास की बेहतरीन परिस्थितियां सुनिश्चित की जाएं। अगर ऐसा करना है तो शैक्षणिक संस्थानों को मुख्यधारा के साथ जोड़ने से पहले अध्यापकों, समकक्ष व्यक्तियों और समुदाय के सदस्यों को संवेदनशील करना होगा।

स्कूलों को क्रियाशील बनाने से हमारा क्या अभिप्राय है?

स्कूलों को क्रियाशील बनाना एक प्रक्रिया है, न कि एक उत्पाद।

1. पर्याप्त बुनियादी ढांचा है– कम से कम सर्व–शिक्षा अभियान (शौचालय और पेयजल समेत) का अनुपालन किया जाएः बेहतर होगा कि एक कक्षा के लिए एक कमरा हो; एक इमारत
2. बाल हित वातावरण का निर्माण – विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच भय–मुक्त रिश्ता; स्कूल में बच्चों के विरूद्ध पक्षपात न हो; अध्यापिकाओं को नियुक्त किया जाय।
3. अध्यापक सही समय पर और नियमित रूप से स्कूल पहुंचे; उनकी पढ़ाई में रूची हो; बच्चों को कोई शारीरिक दंड न दिया जाय; आदर्श रूप में प्रति कक्षा के लिए कम से कम एक अध्यापक हो।
4. बालिकाओं को विशेष रूप से केन्द्र में रखते हुए सभी सामाजिक समूहों के बच्चों की स्कूलों तक पहुंच हो; अपंग बच्चों की स्कूलों तक भौतिक पहुंच बनाने और कक्षा में सिखाने के प्रावधान हों।
5. स्कूल की गतिविधियों का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जाए–जिनमें दोपहर का भोजन, खेल की गतिविधियों, पुस्तकालय, कला, दस्तकारी, संगीत, स्कूल के समय का अनुपालन किया जाय।
6. समुदाय देखरेख करे कि कहीं कोई बच्चा स्कूल से बाहर तो नहीं है; समुदाय उन बच्चों के लिए सहयोगी व्यवस्था बनाए जिन्हें इनकी जरूरत है जैसे कामकाजी महिलाओं के लिए क्रेच की सुविधा ताकि लड़कियों को शिशुओं की देखभाल के लिए बैठना न पड़े; समुदाय ग्राम सभा में नियमित रूप से अपनी सहभागिता निभाए और वहां शिक्षा संबंधी मुद्दों को उजागर करे।
7. गांव की शिक्षा समितियां प्रभावशाली हों– इसके सदस्य अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों से वाकिफ हों, इसकी सदस्यता जोड़ने पर आधारित हो (विभिन्न सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व हो, महिलाएं सक्रिय सहयागी बनें); सदस्य नियमित रूप से बैठक करें, बैठकों के दस्तावेज का रखरखाव करें। स्कूलों के बारे में निर्णय लें, फंड, दाखिला वगैरह से संबंधित जानकारी के आदान प्रदान में पारदर्शिता हो, फंड नियमित रूप से पहुंचे, पुस्तिकाएं, वजीफा, वगैरह समय पर दिया जाए।
8. बच्चों को स्कूल जाने में मजा आए; स्कूल में अच्छी तरह से सीखें; बच्चों का निरंतर रूप से मूल्यांकन किया जाए; वे स्कूल छोड़कर न जाएं;
9. सहयोगी व्यवस्था–समूह संदर्भ केन्द्र (सी.आर.सी.)/प्रखंड संदर्भ केन्द्र (बीआरसी) द्वारा स्कूल को सहयोग दिया जाए; अध्यापकों द्वारा गैर–पढ़ाई के काम करने के चलन का खात्मा किया जाएः स्कूल को समय पर फंड/विशेष लाभ प्राप्त हो।

रणनीतिक लक्ष्य -1

यह सुनिश्चित करने के लिए समुदाय को संगठित करना कि सरकारी स्कूल के सभी बच्चों को गुणवत्तामूलक शिक्षा प्राप्त हो रही है। एक्शनएड समुदाय को स्कूली प्रक्रियाओं के साथ जोड़ने की जरूरत को मान्यता देता है। हम शिक्षा व्यवस्था (पीटीए, एसडीएमसी, माँ अध्यापक संघ – एमटीए) में उपलब्ध अवसरों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए उपेक्षित समुदायों की क्षमतावर्धन करके ऐसी प्रक्रियाओं का सहयोग करेंगे जिससे यह सुनिश्चित हो कि सभी बच्चों की स्कूल तक पहुंच है, साथ ही साथ यह मांग की जा सके कि पढ़ाने के लिए अध्यापकों की संख्या पर्याप्त है और बुनियादी ढांचे की भी कोई कमी नही है जिससे गुणवत्तामूलक शिक्षण का वातावरण बन सके।

हम इन प्रयासों में अध्यापकों को अपना सहज मित्र मानते हैं और इसलिए हम शिक्षा हेतु राज्य की जवाबदेही की मांग करने के लिए अध्यापकों और उनकी भूमिकाओं के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़कर काम करते हैं। स्कूल को पुख्ता करने की सभी कार्यवाईयां समुदाय, अध्यापकों और स्वशासन के निकायों के साथ सहयोगात्क रिश्ता बनाकर किया जाएगा।

मुख्य कार्य

1. स्थानीय काम को व्यापक स्तर के काम के साथ जोड़ते हुए (सरकारी स्कूली व्यवस्था स्कूलों के साथ और स्कूल के ईर्द–गिर्द घनिष्ट जुड़ाव बनाकर) पुख्ता करने के लिए स्थानीय कार्यवाईयां। इसमें मौजूदा व्यवस्था को सक्रिय करने के लिए नवीन पहल–प्रयास करना शामिल है।
2. स्थानीय स्वशासन के निकायों (वीईसी, पीटीए और एसडीएमसी) की जवावदेही की मांग करने के लिए समुदाय को मजबूत करना जिससे स्कूलों में शिक्षा तक पहुंच और गुणवत्तामूलक शिक्षा सुनिश्चित हो सके।
3. यह सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय योजना बनाना कि सरकारी स्कूलों में कम से कम सर्व शिक्षा अभियान के मानदण्डों के प्रावधान हों और इसे आगे तक ले जाने के लिए जनसमर्थन (एडवोकेसी) के साथ इन्हें जोड़ा जाए।
4. स्कूल न पढ़ने जाने वाले बच्चों में बाल मजदूर बनने की ज्यादा संभावना होती है। इस सिद्धांत पर सर्वव्यापी मौलिक शिक्षा को प्रोत्साहित करते हुए बाल मजदूरी के खात्मे के लिए काम करना। भोजन और आजीविका अधिकार विषय के साथ हम यह सुनिश्चित करेंगे कि नरेगा वाले स्थलों में परिवार में आय–अर्जन के रूप में कोई बाल मजदूर नहीं होगा और नरेगा के स्थलों में क्रेच का प्रावधान लाने की मांग करेंगे।

5. स्कूल से बाहर के बच्चों को स्कूल के साथ जोड़ते हुए और स्कूल में बनाए रखते हुए उन्हें स्कूल की मुख्यधारा के साथ जोड़ने के लिए राज्य प्रायोजित उपायों का लाभ उठाया जाएगा। इसे स्कूल से बाहर के बच्चों की समस्याओं, सरकारी स्कूलों के आधे–अधूरे प्रावधानों और इसकी समूची गुणवत्ता को लेकर हुए शोध का भी लाभ मिलेगा।

6. संकटग्रस्त (त्रासदीग्रस्त) इलाकों के सहयोगी नजाकत (दोषपूर्णता) का विश्लेषण और सामाजिक कार्यों को जोड़ते हुए त्रासदी के जोखिम को घटाना। इसे स्कूल के साथ जोड़ने से एक बड़ा अवसर मिलेगा– क्योंकि ये राज्य के सबसे सर्वव्यापी संस्थान हैं। इसमें स्कूल को सुरक्षित होने के लिए तैयार करने पर ध्यान दिया जाएगा और इससे स्कूल कोई त्रासदी होने के तुरंत बाद ही खुल जाएगा। यह बच्चों और व्यापक स्तर पर समुदायों को सामान्य करने और उनमें स्थिरता लाने का एक सशक्त तरीका है। इसके अलावा, पर्यावरणीय सुरक्षा और हाइगो फ्रेमवर्क में तत्काल और लम्बे समय तक मौसम परिवर्तन की बढ़ी समझ पर आधारित चिरंतरता पर समुदाय की मिलकियत बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाएंगे।

अधिकारों और न्याय की अस्वीकृति को चुनौती देने में स्थानीय संस्थानों को सशक्त करने के लिए समुदाय को संगठित करना ही एक्शनएड की एक बड़ी ताकत है। स्कूल के ईर्द–गिर्द समुदाय को संगठित करने के लिए हम इस अनुभव का उपयोग करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारे काम के क्षेत्रों में स्कूल से बाहर के बच्चों को न केवल स्कूल में दाखिला दिया जाए बल्कि बच्चे समुदाय के टिकाऊ उपायों से स्कूल में नियमित रूप से पूरे समय उपस्थित भी रहें। हमारा मानना है कि अगर समुदाय को बाल अधिकार के स्पष्ट सिद्धांतों पर संगठित किया जाय तो वे प्रभावी शिक्षा व्यवस्था की मांग करेंगे। हमारे प्रयास ऐसे ही समुदायों को साथ–साथ जोड़ने के लिए चलाये जायेंगे जिससे एक सुव्यवस्थित संसर्ग बनकर खड़ा हो। इसका उद्देश्य शिक्षा की मांग को पुख्ता करना है – बच्चों को स्कूल भेजने संबंधी समुदायिक मानदण्ड बनाना और उन्हें जिम्मेदारी से अपने अधिकारों का उपयोग करने में सक्षम करना है। इसीलिए हम स्कूलों को समुदाय का सहयोगी बनाने के लिए काम करेंगे और व्यवस्था से जवाबदेही की मांग करेंगे। हमारी भूमिका ज्यादा सहयोग देने की होगी जिससे सामुदायिक प्रक्रिया को टिकाऊ ढंग से चलाने में प्रोत्साहन मिले। समुदाय को कर्तव्यनिष्ठ बनाने की इस प्रक्रिया में राजनीतिक शिक्षा की एक अहम् भूमिका होती है 'रिफ्रलेक्ट' भी इनमें एक संभावित दृष्टिकोण है, जिसमें निम्नलिखित बातें शामिल हैं :

- समुदायिक सदस्यों की क्षमतावर्धन करना जिससे वे स्कूल के कामकाज का भार उठाने में सक्षम हों और बाल अधिकारों की सुरक्षा पर सक्रिय बच्चों का एक मुख्य समूह खड़ा करना। इन समूहों को मुख्य मुद्दों के स्पष्ट वैचारिक पक्ष पर संगठित किया जाता है।
- सहभागी नक्शा बनाने और जानकारी एकत्रित करने में सहयोग करना जिससे इलाके के स्कूलों के स्तर का पता लगाया जा सके और समुदायिक मांग के जरिए उनके काम–काज को पुख्ता करने का रास्ता खोजना ।
- जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं या स्कूल छोड़ने के कगार पर हैं, उनका पता लगाना और फिर उन्हें स्कूल में टिकाए रखने के लिए समुदाय आधारित उपाय करने का रास्ता बनाना।
- शिक्षा पर सक्रिय समुदायिक समूहों का आपस में जुड़ाव बनाना जिससे शिक्षा पर समुदाय आधारित संगठनों का एक सुव्यवस्थित संसर्ग बनेगा ताकि जमीनी स्तर पर कार्यवाईयां होना सुनिश्चित हो और व्यापक स्तर के सामान्य मुद्दों पर जनसमर्थन (एडवोकेसी) किया जा सके।

समुदाय आधारित संगठनों के सुव्यवस्थित संसर्ग की उत्पत्ति : सरकारी स्कूलों को पुख्ता करने के लिए स्थानीय लोकतंत्र

ऑरेगेनिक कोलीशन अर्थात सुव्यवस्थित संसर्ग एक ऐसी अवधरणा (सोच) है जिसे एक्शनएड सभी स्तरों पर जमीनी, चिरंतर (टिकाऊ) और सकारात्मक प्रभाव डालने के एक प्रयास के रूप में विकसित कर रहा है। इसकी आवश्यकता यह एहसास करने से बनी कि कई मौजूदा संसर्ग लोगों की तरफ से संगठन या संगठनों के समूह द्वारा निर्धारित, कल्पित या निर्मित मुद्दों पर आधारित हैं और फिर वे संगठन विधायकों (विधिकर्ताओं) या प्रशासकों पर इस मुद्दे पर कार्यवाई करने हेतु दवाब डालने के लिए लोगों को संगठित करते हैं। इस संबंध में जो अनुभव रहा है उसके अनुसार भले ही वैधानिक स्वरूप अच्छा हो लेकिन यह देखने के लिए कि उनके अधिकारों को व्यवहार में लाया जा रहा है या नहीं, इसके लिए लोगों के एक दृढ़संकल्प संगठन की जरूरत पड़ती है। शिक्षा जैसे मुख्य अधिकारों के ईर्द–गिर्द प्रचलित संघटन बनाने से एक सुव्यवस्थित संसर्ग चालू होगा। समुदायों को उन सामाजिक व सांस्कृतिक बाधाओं को दूर करने के लिए संगठित किया जाएगा जिन्हें उन्होंने स्वयं सबकी शिक्षा के रास्ते में खड़े किए हैं और फिर स्थानीय स्तर के संस्थानिक ढांचे में ऐसी किसी बाधा को दूर करने के लिए काम करेंगे जो कि पहले से ही वार्ता और मांग न होने के कारण बरकरार हैं। इस प्रक्रिया के जरिए वे मुद्दे जिनका समाधान समुदाय और संस्थान के दायरे से बाहर हैं उन्हें अगले स्तर पर उठाया जाएगा। अगले स्तर के प्रशासन के दायरे के समुदायों के पणधर उस स्तर पर क्या कुछ किया जा सकता है उसका समाधान करते हुए और जरूरी मुद्दों को सामने लाते हुए वार्ता की प्रक्रिया दोहराने के लिए सामान्य मुद्दों पर साथ–साथ पर काम करेंगे। इस तरीके से इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि वे प्रमुख संगठनात्मक मुद्दे जो बुनियादी अधिकारों को हासिल करने से रोकते हैं उन्हें बाहर निकाल कर रखा जाएगा, उन्हें जोरदार ढंग से पेश किया जाएगा और उसका समुचित (युक्तियुक्त) ढंग से प्रमाण दिया जाएगा। इन मुद्दों के इर्द–गिर्द नागर सामाज की काफी हद तक स्थानीय मिलकियत और संबद्धता बनेगी और इसके बाद इसका पफालो–अप किया जाएगा। सुव्यवस्थित संसर्ग शिक्षा के अधिकारों पर समुदाय की संवेदनशीलता बढ़ाकर व्यवस्थित, सिद्धांत आधारित समुदाय को संगठित करके विकसित किया जा सकता है। इस प्रयास का काफी लाभ होगा अगर इससे सुव्यवस्थित संसर्गों की प्रक्रिया / संस्थाएं खड़ी होती है। एक बार जब ये संस्थाएं खड़ी हो जाएंगी तो अन्य समुदायों में इन्हें दोहराना आसान हो जाएगा क्योंकि इसके फायदे जो दिखने लगते हैं। एक्शनएड मौजूदा संसर्ग की दिशा में संसर्ग की प्रक्रियाओं को निरंतर मजबूर करते रहने का प्रयास करेगा और इस क्षेत्रों में अच्छे काम करने वाले संगठनों के साथ सहयोग बढ़ाने के प्रयासों में जुटेगा। हमारा यह विश्वास है कि इन संसर्गों का इतना ज्यादा सशक्त स्थानीय आधार और इसकी इतनी ठोस सहभागी प्रक्रिया बने जो सभी स्तरों के सभी सहभागियों लिए सकारात्मक परिणाम दे न कि जनसमर्थन (एडवोकेसी) के दीर्घकालिक लक्ष्यों पर दबाब डाले। इस दिशा में एक छोटी शुरूआत मध्य प्रदेश का शिक्षा अभियान है। यह पहल सरकारी स्कूलों के इर्द–गिर्द समुदाय को संगठित करने के लिए सन् 2004 से शुरू की गई। इसका मुख्य ध्येय बाल अधिकार सुरक्षा समितियों के गठन से इस राज्य के 10 जिलों के 115 पंचायतों में 50,000 से भी ज्यादा परिवारों तक सीधे पहुंचकर पूरे राज्य में सार्वजनिक आधार बनाना था। इन्हें बाल शिक्षा अधिकारों से संबंधित अनिवार्य सिद्धांतों के आधार पर संगठित किया गया। ये जमीनी कार्यवाईयां स्थानीय स्वशासन के निकायों के साथ घनिष्ठ जुड़ाव बनाने और शिक्षा के मुद्दे के इर्द–गिर्द राजनीतिक संगठन खड़ा करने से संभव हुईं। स्थानीय शासन निकायों द्वारा स्कूल की नियमित सामुदायिक मॉनिटरिंग (4500) सदस्य, नए अध्यापकों (60) की नियुक्ति अतिरिक्त कक्षा के कमरों (89) का निर्माण और बच्चों के उठते शिक्षण स्तर से सरकारी स्कूलों के काम में इनके परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इसमें स्कूल से बाहर हुए 80 प्रतिशत बच्चों (जिनमें 51 प्रतिशत लड़कियां हैं) के साथ संपर्क किया गया है। स्थानीय स्तर के इन कामों से नीति परिवर्तन हुए जैसे अध्यापकों का संयोजन रद्द करना और बच्चों के दाखिले की प्रक्रिया को सरल बनाना।

रणनीतिक लक्ष्य -२

पारदर्शी और जवाबदेह स्कूली शासन की दिशा में नागरिकों की स्थाई और सार्थक सहभागिता बनाए रखना

एक्शनएड सभी बच्चों की समान शिक्षा की मांग करने के लिए नागर समाज के साथ शिक्षा संबंधी मुद्दों पर काम में लगने की प्रक्रिया का सहयोग करेगी और मंचों व ढांचों को खड़ा करेगी या मौजूदा मंचों और ढांचों का उपयोग करेगी। चूंकि शिक्षा का प्रावधान सरकार की जिम्मेदारी है इसलिए हमारा मानना है कि नागर समाज को शिक्षा मुहैया कराने में राज्य की कारगरता सुनिश्चित की जाए। इससे पता चलता है कि ऐसे प्रयासों के टिकाऊ उपायों में 73वें और 74वें संशोधन और / या राज्य शिक्षा अधिनियमों को सक्रिय करना जरूरी है। विभिन्न स्तरों पर लोगों की आवाज बुलंद होनी चाहिए और राज्य को सभी बच्चों की शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए।

मुख्य कार्य :

1. पीआरआई, पीटीए / एसटीए / एसडीएमपी को मजबूत करना जिससे वे शिक्षा व्यवस्था के कार्यों के लिए अपनी उन भूमिकाओं का निर्वाह कर सकें जिसकी उनसे अपेक्षा की जाती है।
2. स्कूल की स्थानीय योजना बनाने की प्रक्रियाओं में स्कूलों की समुदाय आधारित मॉनिटरिंग की व्यवस्थाओं और स्कूल के बजट का उपयोग करने के लिए जबाबदेही की पारदर्शी व्यवस्था को संस्थात्मक रूप देना जिसके लिए स्थानीय स्वशासन के निकायों का सहयोग करना।
3. मौजूदा संघों, नागर समाज के मंचो और अध्यापक युनियनों के साथ मुद्दा आधारित रिश्ता बनाना जिससे वे सभी बच्चों, खासकर उपेक्षित समुदायों के बच्चों की सर्वव्यापी गुणवत्तामूलक शिक्षा सुनिश्चित करने में निर्वाचित प्रतिनिधियों को जवाबदेह बना सके।
4. निर्वाचित जन–प्रतिनिधियों, राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग (एनसीपीसीआर) और मीडिया के काम में लगना जिससे नीतिगत शोध से प्राप्त महत्त्वपूर्ण बातों को मुहैया कराते हुए शिक्षा की सोच और कार्य में सामंजस्यता बनाई जा सके।
5. सर्वव्यापी आई.सी.डी.एस. के स्कूल–पूर्व के घटक को पुख्ता करके बचपन की शुरूआती शिक्षा (खासकर पारंपरिक रूप से स्कूल से उपेक्षित हुए बच्चों) को प्रोत्साहित करना।
6. पंचायती राज संस्थान (पीआरआई) और स्कूल प्रबंधन समितियों को त्रासदी / संकटग्रस्त क्षेत्रों के स्कूलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और त्रासदी की तैयारी के उपायों को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करना।

इन सभी के लिए सभी स्तरों पर जुड़ाव बनाए रखने की जरूरत पड़ेगी। स्थानीय स्तर पर समुदाय स्कूल को पुख्ता करने के लिए प्रखंड और जिला प्रशासन के साथ लॉबी करेगा। इस कार्यवाई के लिए सबसे बेहतरीन एजेंसियों में ग्राम स्तर के वे निकाय हैं जो संवैधानिक प्रावधानों और राज्य शिक्षा अधिनियमों –पंचायतों के जरिए ऐसा करने के लिए कानूनी रूप से सशक्त हैं। शिक्षा पर सक्रिय समुदायिक संगठनों की उत्पत्ति के साथ इनके सशक्तिकरण की प्रक्रिया के जरिए इनका व्यापक आधार बनेगा। इस व्यवस्था में बदलाव करने की ये मांग शासन के अन्य स्तरों– राज्य व राष्ट्रीय स्तरों के साथ प्रगतिशील लॉबी करने से–राष्ट्रीय स्तर पर, यह मुहिम चलाने वाले विभिन्न माध्यमों (जैसे मीडिया) का उपयोग करते हुए सरकार और विधायकों पर शिक्षा का दायरा फैलाने के लिए संसर्ग या संघों का निर्माण करके दबाव डालेंगे। एक्शनएड अंतर्संबंधों के लिए अवसर खड़े करने में अपना योगदान देगा ताकि सरकारी संरचना के प्रत्येक स्तर पर इन मांगों का अनुपालन किया जाए और राष्ट्रीय स्तर पर उनकी आवाज सुनी जाए।

पारदर्शी स्कूली शासन की मांग करने के लिए राज्य-स्तर पर जनता की आवाज बुंलद करने के अवसर

एजुथरोम क्रिश्चियन सोसायटी (ईसीएस) ने सन् 1997 से नागालैंड के समुदायीकरण पर पथ–प्रदर्शक के रूप में काम किया है। राज्य द्वारा इन विचारों को अपनाया गया जब इसने ''नागालैंड कम्युनिटाइजेशन ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन एण्ड सर्विज एक्ट 2001 ''पारित किया, (इसके बाद 2002 में ''नागालैंड कम्युनिटाइजशन ऑफ एलिमेंटरी एजूकेशन एण्ड सर्विसेस रूल्स'' के जरिए शिक्षा में इसके प्रावधानों का स्पष्टीकरण दिया)। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे मान्यता मिली, साथ ही सामूहिक सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए सन् 2008 में प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र के 'पब्लिक सर्विस एवार्ड' से नवाजा गया। ई.सी.एस. के काम से यही सीख मिली कि सरकारी संस्थानों के प्रबंध में समुदायिक सहभागिता बनाने और योजना बनाने और निर्णय लेने की प्रक्रिया में गरीबों को जोड़ने से इसकी कुशलता बढ़ती है। ऐसा करने के लिए यह संस्कृति नागा में निहित मौजूदा सामूहिकता की परम्परा पर निर्भर करता है। इस अधिनियम में स्कूल की सभी पूंजी और संसाधनों को समुदाय को हस्तांरित करने और प्रशिक्षण के जरिए समुदाय का सशक्तिकरण करने के बारे में कहा गया। इसका तीन तरफा प्रभाव पड़ा। सर्वप्रथम, इसने समुदाय को अपने बच्चों को स्कूल भेजने में सक्षम बनाते हुए और इस व्यवस्था का सहयोग करते हुए समुदाय की स्कूल में आस्था जगाई। दूसरे, नौकरशाही बाधाओं को दूर करते हुए और पारदर्शिता बढ़ाते हुए मौजूदा सरकारी संसाधनों के आवंटन और इनके उपयोग को और कुशल बनाया और अंत में, समुदाय अपनी ताकत का उपयोग करते हुए स्कूल का सहयोग करने के लिए सामने आया। इससे स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या में कापफी वृद्धि हुई है; अध्यापकों की उपस्थिति में बढ़त हुई, स्कूल के फंड का बेहतर उपयोग हुआ; दोपहर के भोजन की गुणवत्ता की योजना और मात्रा की मानिटरिंग में बढ़त हुई और स्कूल की पूंजी और स्कूल की सफाई की देखरेख की व्यवस्था पुख्ता हुई। अगर इसकी देख–रेख के लिए अतिरिक्त फंड की जरूरत पड़ती है तो इन्हें कई संसाधनों से अर्जित किया जाता है जैसे : जंगलों की जलावन लकड़ी एकत्रित करना, श्रम–दान और स्थानीय चर्च से अनुदान। साथ ही, ऐसे भी मामले हैं जहां गांववाले अपने गांवों में अध्ययन के घंटे लागू करने के लिए आगे आए और यह मांग की कि स्कूल अखबार मंगवाए; स्थानीय पाठ्यक्रम में स्थानीय पक्ष रखने के लिए स्कूल में स्वेच्छा से अपना समय दिया। पूरे गांव का समुदाय स्कूल को सामूहिक और पवित्र सम्पत्ति के रूप में देखता है, जिसकी साथ–साथ देख–रेख करनी होगी, न कि एक ऐसे ढांचे के रूप में जिसे सरकार स्थापित करेगी।

रणनीतिक लक्ष्य ३

यह सुनिष्चित करें कि बच्चों, खासकर लड़कियों के विरूद्ध कोई पक्षपात नहीं किया जाता है।

हमारे काम से यह सुनिश्चित होगा कि बच्चों और लड़कियों, खासकर स्कूल के बच्चों के विरूद्ध कोई पक्षपात और हिंसा नहीं होगी – स्कूलों तक पहुंच और गुणवत्तामूलक शिक्षा की उपलब्धता साथ ही साथ बाल संबंधी हक (एम.डी.एम तथा अन्य विशेष योजनाओं में) हम इन मुद्दों पर एनसीपीसीआर के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करेंगे।

मुख्य कार्य

1. स्कूल से उपेक्षित समुदायों की तरफदारी करना – उन्हें कलंक / लांछन और पक्षपात के चल रहे व्यापक संघर्षों के साथ जोड़ना। इसमें दलित, मुसलमान, अपंग और एच.आई.वी. एड्स से पीड़ित समूहों के साथ आंतरिक जुड़ाव बनाना शामिल है। इसकी जानकारी उन लड़कियों और लड़कों पर हुए शोध से मिली, जिन्हें उनके शिक्षा के अधिकार से नकारा जा रहा है।
2. जाति, वर्ग और जेंडर विश्लेषण के जरिए अध्यापकों को संवेदनशील बनाना। किशोरावस्था की लड़कियों और लड़कों के लिए भी इसी प्रकार के पहल–प्रयास करना।
3. रिफ्रलेक्ट का दृष्टिकोण खासकर महिलाओं के लिए, जिससे लोगों के स्वयं के विश्लषेण को और गहरा किया जा सके और शिक्षा के ईर्द–गिर्द संगठित होने में उनकी मदद की जा सके। राज्यों से बाहर निकलकर उपेक्षित समूहों के साथ जुड़ाव बनाना ताकि नीति–निर्माता उनकी आवाजों को सुन सके। रिफ्लेक्ट सामंती संस्कृति को चुनौती देने के लिए समुदाय के सशक्तिकरण में एक सशक्त माध्यम के रूप में काम करता है। समुदाय के भीतर नेतृत्व निर्माण करने के लिए व्यवस्थित रूप से प्रयास करना जिससे स्कूली शिक्षा को स्कूल के विभिन्न पक्षपातों को संबोधित करने और सीमांतक बच्चों को लक्ष्य बनाकर चलाई जाने वाली योजनाओं के क्रियान्वयन में कुशलता सुनिश्चित करने की कुंजी के रूप में रखा जा सके।

रिफलेक्ट उपेक्षा और पक्षपात को चुनौती देता है

रिफ्लेक्ट सामंती चलनों को चुनौती देने हेतु चिंतन–मनन और कार्यवाई करने तथा इस संस्कृति का विरोध करने के काफी अवसर प्रदान करता है। इसकी दृष्टि में वार्ता और आलोचनात्मक विश्लेषण करने से अधिकारों की अवहेलनाओं–खासकर बच्चों की शिक्षा के अधिकार की अवहेलना– में मदद मिलती है। भारत में छुआछूत करना एक अपराध है –परन्तु यह हर कहीं विभिन्न रूपों में मौजूद है। बच्चे इस चलन से अछूते नहीं हैं। यह जाति की दबंगता से कायम रहता है और अलिखित सामाजिक मानदण्डों से पुख्ता होता है। सामाजिक सच्चाई के आलोचनात्मक विश्लेषण के जरिए अतःकरण के शुद्धिकरण की प्रक्रिया से ढांचागत कारणों का पता चलता है और प्राथमिकता पर सर्वसम्मति बनती है। इस विश्लेषण के जवाब में और स्कूलों में व्याप्त पक्षपात को चुनौती देने के लिए सामूहिक रूप से जन–कार्यवाई तय की गई। इनकी पहले स्तर की कार्यवाही स्थानीय स्वशासन और स्कूल प्रबंधन समितियों के साथ थी। सामाजिक कार्यवाई में कार्य–चिंतन–मनन प्रक्रिया का जुड़ाव, असमान सत्ता के रिश्तों और उन संभावित चुनौतियों के साथ बनाया गया जिनसे यह जवाबी सत्ता का निर्माण कर सके। इस पूरी प्रक्रिया से समुदाय के सदस्य प्रत्येक अवस्था में सत्ता विश्लेषण से नई कार्यवाही करने में सक्षम हुए। इसके परिणामस्वरूप बच्चों को कलंक–लांछन और पक्षपात के विरूद्ध अपने अधिकारों का उपयोग करने के प्रमाण मिले। रिफ्लेक्ट की प्रक्रिया में कई तरह के सहभागी माध्यमों का उपयोग किया गया जिससे खुले और लोकतांत्रिक वातावरण का निर्माण हो जिसमें हर कोई अपना योगदान दे सके। इस प्रक्रिया में सत्ता को मान्यता दी जाती है और सत्ता के रिश्तों में समानता लाने का प्रयास किया जाता है। यह चुप्पी की संस्कृति को तोड़ता है और समुदाय के सदस्यों को बिना भय के अपनी आवाज बुलंद करने में सक्षम बनाता है। सामाजिक न्याय हासिल करने में नेतृत्व को चुनौती देना एक राजनीतिक प्रक्रिया है और रिफ्लेक्ट इस राजनीतिक प्रक्रिया में सहयोग करता है जिससे वे स्कूल में पक्षपातों के विरूद्ध अपने अधिकारों का दावा कर सकें।

4. उपेक्षित समूहों के बच्चों के अधिकारों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया जताने और अपने काम से नीतिगत कमियों को निकालने के लिए सरकार के साथ अहम जुड़ाव बनाना, जिससे बच्चों को हिंसा और पक्षपात से बचाने के लिए मौजूदा सुरक्षात्मक उपायों को पुख्ता करने में व्यवस्था के सुधार को प्रोत्साहित किया जा सके।
5. लड़कियों के विरूद्ध हिंसा पर अभियान पितृसत्ता, जेंडर आधारित पक्षपात और गरीबी के व्यापक संदर्भ में चलाया जाता है। हमारा मानना है कि यह सुरक्षित और गुणवत्तामूलक शिक्षा के उनके अधिकारों के सामने एक बड़ी बाधा है। हम इस अभियान को मजबूत करने के लिए विमेन राइट्स विषय के साथ जुड़ेंगे।

लड़कियों के विरूद्ध हिंसा पर अभियान

वॉयलेंस अगेंस्ट गर्ल्स कैम्पेन (वैग) जेंडर के उन कुछेक ज्यादा संवेदनशील मुद्दों पर काम करता है जिन्हें आम तौर पर नकार दिया जाता है। मिसाल के लिए, लड़कियों के साथ छेड़खानी को ही लें जिससे लड़कियों के लिए शौचालय की सुविधाओं के अभाव के कारण वे मासिक धर्म के समय घर में ही रहती हैं और अपनी शिक्षा खो देती हैं, स्कूल जाने वाले रास्ते में उनके साथ बलात्कार होने या छेड़खानी होने की ज्यादा संभावना रहती है और यह भी एक सच्चाई है कि स्कूलों में लड़कियों का असुक्षित स्थान होता है। ऐसे सभी मामलों में बालिकाओं की शिक्षा पर बुरा असर पड़ता है। इस अभियान में निम्नलिखित एजेंडा को केन्द्र में रखा जाता है :

यह सुनिश्चित करें कि स्कूलों में कोई जेंडर आधारित पक्षपात न किया जाए।

- लड़कियों के लिए ऐसे अवसर खड़े करना जिससे वे स्कूल के रास्ते और स्कूल के भीतर अपने साथ होने वाली हिंसा पर चर्चा कर सकें और इसके विरूद्ध कार्यवाई कर सकें ।
- इस मुद्दे से संबंधित सार्थक सरोकारों के साथ नीतिगत हिमायत (जन–समर्थन) में लगें जैसे : सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग।
- स्कूल के अध्यापकों, स्कूल के प्रशासन, समुदायों व अभिभावकों को 'वैग्स' के बारे में जागरूक करें और उनमें संवेदनशीलता जगाएं।
- वैग्स को नागर समाज संगठनों के एजेंडा के साथ जोड़ने के लिए उनके काम में लगें।
- मीडिया को वैग्स के मुद्दों को उजागर करने के लिए संवेदनशील बनाएं।
- वैग्स की सीमा पर शोध करें और इन्हें संबोधित करने के लिए सबसे बेहतरीन चलनों का प्रलेखन करें।
- सरकारी स्कूल काम करें, इस अभियान को वैग्स का एजेन्डा बनाएं

रणनीतिक लक्ष्य ४

शिक्षा के संसाधनों का पर्याप्त आवंटन करने और उनके प्रभावी उपयोग के लिए जन–समर्थन (एडवोकेसी) करें।

हम सभी बच्चों के लिए समान व गुणवत्तामूलक शिक्षा सुनिश्चित करने के माध्यम के रूप में शिक्षा हेतु पर्याप्त संसाधन की हिमायत करने में अपने प्रयासों को लगाएंगे। साथ ही हम इन संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए अच्छे शासन की मांग करने की दिशा में काम करते हैं। हम उस दबंग नव–उदारवादी विचारधारा को चुनौती देंगे जिससे राज्य की जिम्मेदारियां कम होती हैं और सार्वजनिक–निजी साझेदारी को बढ़ावा मिलता है। अपने काम में ऐसा सब कुछ करने के लिए रिफ्लेक्ट एक दृष्टिकोण होगा।

मुख्य कार्य

1. केन्द्र और राज्य सरकार के बजट में ही शिक्षा को प्राथमिकता देने के लिए उनपर दबाब बनाए रखें जिससे वे संसाधनों पर अपनी दीर्धकालिक प्रतिबद्धता बनाएं (सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम प्रतिशत)। प्रत्यक्ष रूप से और निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से स्थानीय, जिला और राष्ट्रीय स्तर पर बजट के निर्धारण की प्रक्रियाओं को प्रभावित करना। पूरी शिक्षा व्यवस्था पर शिक्षा बजट का विश्लेषण करने से इसमें मदद मिलेगी।
2. वित्त की उपलब्धता का पता लगाने और इसका उपयोग करने और इस बजट बनाने में समुदाय की क्षमता सुनिश्चित करने के लिए गांव के स्तर पर पहल–प्रयास करना।
3. यह सुनिश्चित करना कि प्राथमिक शिक्षा में संतुलित निवेश और प्राथमिक माध्यमिक स्कूलों के निवेश प्राथमिकता के आधार पर मेल खाएं ताकि इसमें कोई अड़चन न आए।
4. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष / विश्व बैंक द्वारा थोपे गए व्यापक आर्थिक मानदण्डों (जैसे अल्प–मुद्रा स्फीति के लक्ष्य, वित्तीय घाटे की सीमा, सार्वजनिक खर्च और वेतन की निर्धारित सीमा, सार्वजनिक– निजी साझेदारी) को चुनौती देना, जो उस स्तर पर शिक्षा का खर्च होने से रोकता है जहां सबकी शिक्षा का लक्ष्य हासिल करने के लिए इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।

सार्वजनिक-निजी साझेदारी और शिक्षा : हमारी समीक्षा

सार्वजनिक–निजी साझेदारी (तृतीया) राज्य की तरफ से सेवा पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा निजी क्षेत्रों को सौंपा गया ठेका है। इसके पक्ष में इस विचार से तर्क दिए जाते हैं कि सर्वव्यापक शिक्षा सुनिश्चित करना एक बड़ा काम है और इसके लिए सभी पात्रों – खिलाड़ियों (निजी क्षेत्रों समेत) को साथ जुड़ने की जरूरत है। यह भी एक सोच है कि सरकारी व्यवस्था परिपूर्ण नहीं है। पीपीपी का विरोध करने वालों का तर्क है कि अभी तक किसी देश ने राज्य के बड़े हस्तक्षेप के बिना सर्वव्यापी गुणवत्तामूलक शिक्षा हासिल नहीं की है और साथ ही बजारू परिचालनों के अकुशल, खर्चीले और असमान परिणामों का लम्बे समय में बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसके अलावा यह बात भी उठाई गई है कि पीपीपी को चालू करना काफी सस्ता पड़ता है (क्योंकि वे इसके लिए सरकार के मौजूदा सरकारी ढांचे का उपयोग करते है) फिर भी इसे चलाना कम सस्ता होगा क्योंकि वे ठेके का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मंहगे नियंत्रण, मानिटरिंग और जानकारी की व्यवस्था निर्धारित करने की मांग करते हैं। इसके अलावा इससे स्कूलों के बीच अन्यापूर्ण खेल का मैदान बनता है जिन्हें दुर्लभ निजी संसाधनों के लिए बोली लगानी पड़ती है जिनका आमतौर पर बेहद जरूरतमंद के आधार आवंटन नहीं किया जाता है। और अंत में, भारत में शिक्षा के संबंध में तृतीय के पूर्व निर्णय में इस व्यवस्था की किसी हद तक कुशलता सुनिश्चित करने की बात नही उठाई गई है। हम शिक्षा सुविधाओं में लाभ के लिए निजी क्षेत्रों की घुसपैठ और निजी क्षेत्रों को सरकारी स्कूल सौंपने का विरोध करते हैं। हम इस बात को मानते हैं कि वास्तव में ऐसा कोई सबूत नही है कि निजी स्कूलों की स्वाभाविक रूप से ज्यादा कुशलता होती है। निजी स्कूलों के लिए एक सशक्त मानीटरिंग व्यवस्था बनानी होगी जिसके लिए राज्य को निजी क्षेत्रों को स्कूली शिक्षा में लाने से हुई बचत से एक बड़ा निवेष करना होगा। लेकिन हम निजी क्षेत्रों द्वारा स्कूली बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश का विरोध नहीं करते हैं। अगर ये निवेश पंचायतों के जरिए और समुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने के बाद किए जाएं। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए कि निवेश स्कूली योजना के अनुसार किया जाए और इससे सबसे ज्यादा सीमांतक समुदायों की आवश्यकताएं पूरी हों। परन्तु हम स्कूली वाउचरों का घोर विरोध करते हैं क्योंकि यह व्यक्गित अध्यापकों को वास्तविक चुनाव का न्यौता देने में विफल रहा है और क्योंकि निजी स्कूली व्यवस्था सभी बच्चों, खासकर सीमांतक समुदाय के बच्चों की पहुंच सुनिश्चित करने में विफल रहता है। पीपीपी मॉडल के जरिए मॉडल स्कूल स्थापित करने के प्रस्ताव (2008) में जो घटक हैं वे वाउचर व्यवस्था जितने हैं। यह एक बड़ी चिंता का विषय है कि ऐसा सब कुछ लोकतांत्रिक ढंग से सलाह–मशविरा किए बिना किया जा रहा है।

शिक्षा में पारदर्शिता बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्कूल समुदाय के प्रति जबाबदेह बने इसलिए सरकार द्वारा विकेन्द्रित फंड व्यवस्था को देखते हुए स्थानीय स्तर पर बजट तैयार करने की अहमियत बनी। वर्तमान में फंड कहां जा रहा है और इस फंड का किसके लिए आंवटन किया जाता है, इस बारे में कोई खबर नहीं होती है। ऐसा सर्व शिक्षा अभियान जैसे कार्यक्रम में विशेष रूप से पाया गया है जिसमें फंड के उपयोग पर समुदाय के नियंत्रण के प्रावधान हैं। अगर समुदाय को बताया जाए कि स्कूल के लिए क्या देय है और अगर वे यह सुनिश्चित करने में सक्षम होते हैं कि खर्च का सही ढंग से आंवटन किया जाए तो इससे सबसे पहले समुदाय का ही सशक्तिकरण होगा। आर्थिक साक्षरता पर हमारी समझ बढ़ाने और समुदाय के लोगों को इस माध्यम का उपयोग करने में मदद देने के निरंतर प्रयास किए जाएंगे जिसमें सशक्तिकरण की एक सशक्त प्रक्रिया बनने की संभावना है। बजट की प्रक्रिया को सरल करना होगा और एक्शनएड इसी दिशा में काम करेगा।

बजट की खोज-खबर रखना-जनसमर्थन (एडवोकेसी) का एक समुचित माध्यम

सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए) में स्कूलों के लिए कुछ मानदण्ड और निवास–स्थान के स्तर पर योजना बनाने की एक विस्तृत व्यवस्था मौजूद है। इसके अलावा, स्थानीय स्वशासन के निकायों के पास स्कूल के लिए वित्तीय आवंटन और अतिरिक्त संसाधनों की मांग करने के संबंध में पर्याप्त निगरानी और लेखा–परीक्षण करने की शक्तियां हैं। परन्तु व्यवहार में इन दोनों मानदण्डों और प्रक्रियाओं को आम तौर पर नकार दिया जाता है। स्कूल की योजना बनाना, बजट बनाना और लेखा–परीक्षण करना समुदाय और नागर समाज का एक चक्र है जो हर अवस्था में उनकी स्पष्ट भूमिका निभाने के लिए है। बिहार के समस्तीपुर जिले में स्थित ग्राम विकास समिति (जीवीएस) ने छोटे पैमाने पर इन प्रक्रियाओं को चलाने का प्रयास किया था। बिहार सरकार ने बिहार शिक्षा अध्यादेश जारी करने के बाद इस राज्य में वीईसी का चुनाव कराने की प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए वीएस को आमंत्रित किया था। जीवीएस ने इस प्रखंड में सभी नई गठित ईकाइयों को प्रशिक्षण दिया और उनकी इस व्यवस्था के कामकाज के संबंध में समझ बढ़ाते हुए सशक्तिकरण किया (सामान्य व एसएसए के मानदण्डों के मायने में)। उन्हें स्कूलों में दाखिले, बच्चों को दाखिले, बच्चों को कायम रखने और स्कूल की अतिरिक्त सुविधाओं की मांग करने में अध्यापकों के साथ जोड़ा गया । स्वच्छ भावना से स्कूल में सुधार करने के लिए निर्वाचित जन–प्रतिनिधियों ने स्वीकृत राशि के बदले (और अंततः मानदण्डों के विरूद्ध जारी राशि के मायने में सर्वशिक्षा अभियान बजट के मदों (जैसे : अध्यापन शिक्षण सामग्री, स्कूल के विकास, स्कूल के निर्माण) में स्कूल के खर्चों पर गौर किया और यह भी देखा कि कब यह फंड स्कूल में पहुंचता है और यह सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों को दिया जाने वाला सहयोग कि इस फंड को सही ढंग से खर्च किया गया है। यह अनुभव प्राप्त करने के उपरांत उन्होंने प्रक्रिया और समय के रूप में अपनी मांगे भेजकर इसकी योजना की प्रक्रिया को प्रभावित करना शुरू कर दिया। इससे समुदाय और स्कूल के बीच स्कूल के काम का सामाजिक ऑडिट करने को लेकर काफी विश्वास भी बना। इस प्रकार, औपचारिक योजना बनाने की प्रक्रिया में एक ऐसी स्थिति बनी जिससे स्कूल का बुनियादी ढांचा भी काफी हद तक बढ़ा–यह मजबूती जमीनी हकीकत से जुड़े रहने से आई और समुदायिक मांग से इसकी वैधता बनी–जिससे नागर समाज का प्रयास जन–समर्थन का एक और माध्यम बना।

रणनीतिक लक्ष्य-५ :

उन प्रभावी कानूनों व नीतियों के लिए जन–समर्थन करें जिनका लक्ष्य शिक्षा में समानता लाना है

हम एक ऐसे समुचित नए कानून की मांग करने के लिए अन्य जन–समर्थन के समूहों और अभियानों से जुड़ेगे जिनका ध्येय भी बच्चों के लिए सामान्य स्कूली व्यवस्था के बड़े और व्यापक लक्ष्य को हासिल करना है।

मुख्य कार्य

1. ''बच्चों के निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के अधिकार विधेयक को पारित करने के लिए जन–समर्थन करें और फिर कानून बनाने की प्रक्रियाओं को प्रभावित करें।
2. सभी स्तरों पर निर्वाचित जन–प्रतिनिधियों (सरपंचों, जिला परिषद और प्रखंड के अध्ययक्षों, विधायकों व सांसदों) के साथ मिलकर काम करें और शिक्षा के अधिकार को सरकार के एजेंडा में लाने और शिक्षा को एक राजनीतिक प्राथमिकता बनाने के लिए मीडिया के साथ काम करें।
3. जहां अधिकारों की अवहेलना होती है वहां अधिकारों को लागू करने के लिए लक्ष्य बनाकर कानूनी कार्यवाई करें।
4. जन–सेवाओं के निजीकरण और वाउचर व्यवस्था के विरूद्ध अभियान चलाएं। निःशुल्क शिक्षा को लेकर लोगों को संगठित करना; उन सरकारी नीतियों व चलनों को चुनौती देना जिसमें अभिभावकों पर शिक्षा की लागत थोपी जाती हैः सामान्य मुद्दों से संबंधित अन्य सामाजिक क्षेत्रों के साथ मैत्री का रिश्ता बनाना।
5. बाल अधिकार (रोकथाम व नियमन) अधिनियम 1986 को लागू करने के लिए अभियान चलाएं और इसके संशोधन तथा किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख व सुरक्षा) अधिनियम 2000 के लिए लाबी करें।
6. राज्य को उन न्यूनतम प्रावधानों की राष्ट्रीय निर्माण संहिता को अपनाने के लिए जन–समर्थन (एडवोकेसी) करना चाहिए जिनसे स्कूलों व स्कूली बच्चों की सुरक्षा की जा सकती है। हमारा प्रयास भारत के सभी त्रासदी ग्रस्त राज्यों में इस कानून के लिए लॉबी करना है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि स्कूल शुरूआत से ही सुरक्षित है और इस प्रकार यह सरकारी स्कूलों को चलाने की पूर्व शर्त बने।

जन–समर्थन के पहल–प्रयासों का सहयोग करने और साथ ही महसूस की गई कमियों पर नजरियों को विकसित करने के लिए प्रमाण आध ाारित शोध करना बेहद जरूरी है। हम वे शोध कार्य करेंगे और उनका समर्थन करेंगे जिनसे हम अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सक्षम हों। हम स्थानीय संदर्भ में प्राप्त अनुभवों का उपयोग करेंगे जिससे कार्यान्वयन विधि में नीतिगत जन–समर्थन सुनिश्चित किया जा सके और राज्य को बाल अधिकारों को सुनिश्चित करने के प्रति जवाबदेह बनाया जा सके।

अध्याय ५

शिक्षा के अधिकार को हकीकत में बदलने में हमारी साझेदारी

बाल अधिकारों और गुणवत्तामूलक शिक्षा तक निःशुल्क पहुंच के अधिकारों को हकीकत में तब्दील करने की दिशा में हमारी साझेदारी पर ए.एल.पी.एस. आल्पस (जवाबदेही, सीख, योजना, व्यवस्था) मूल्यांकन की सांगठनिक प्रक्रिया का हुक्म चलता है और हमारे मुख्य मूल्यों और सिद्धांतों से पोषित होता है। एक्शनएड गरीबों व उपेक्षित लोगों तथा उनके संगठनों और सामाजिक आंदोलनों, नागर समाज के संगठनों, नेटवर्को, संसर्ग या हमदर्द समूहों के साथ काम करता है जिससे वे अपने अधिकारों की रक्षा करने में सक्षम हों। हमारा मानना है कि व्यापक आधार पर इस साझेदारी से ज्यादा सामूहिक शक्ति और वैधता पाने के अवसर प्राप्त होते हैं । प्रभावी संवाद, विश्वास, आपसी जबावदेही और पारदर्शिता के जरिए हम खुले संवाद, बहस, समझौता और बिना भय के विचारों के आदान–प्रदान को प्रोत्साहित करेंगे। इस संवाद में साझेदारों के बीच सम्मान सूचकों को प्रोत्साहित करते हुए व्यक्तिगत पहचान और स्वायत्ता को मान्यता देते हैं। इन सभी प्रक्रियाओं में उपेक्षित लोगों के नेतृत्व का सम्मान करते हैं और इसीलिए हम विनम्र और शालीन होंगे। नीचे से ऊपर जाने वाले इस दृष्टिकोण में, हमारा मानना है कि हमें सभी माध्यमों (मध्यस्थों) को बदलना होगा और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमारी सामूहिक सीख होनी चाहिए – ऊपर और नीचे मेलजोल की प्रक्रिया। इनमें अन्य सरोकारों के साथ उद्देश्यों, अनुपालन और रणनीतिक रिश्ते और उन्हें पुनः परिभाषित करने पर आलोचनात्मक संवाद चलाना शामिल होना चाहिए।

साझेदारी पर इस सांगठनिक नजरिए को देखते हुए एक्शनएड यह लक्ष्य हासिल करने के लिए तीन तरह के संगठनों के साथ काम में जुटा है जिससे 'सभी बच्चों की उस न्यायसंगत व्यवस्था में गुणवत्तामूलक शिक्षा तक निःशुल्क पहुंच बने जिसमें बाल अधिकारों का सम्मान किया जाता है और अन्याय को चुनौती दी जाती है।

शिक्षा पर सक्रिय स्थानीय कार्य समूहों के साथ साझेदारी

गरीब और उपेक्षित लोगों और उनके संघों के साथ हमारा काम पंजीकृत गैर–सरकारी संस्थाओं या उन समुदाय आधारित संगठनों के साथ किया जाएगा जो बाल अधिकार और शिक्षा के मामले में सक्रिय हैं। इसी तरह से हम स्थानीय स्तर पर नागरिकों के अधिकारों के ईर्द–गिर्द अपना काम करते हैं और अभियान चलाते हैं। इस स्तर पर हमारे काम का केन्द्र समुदाय के स्तर पर जोड़े गए विषय के साथ गरीबों के ठोस अधिकारों को हासिल करना है। इसलिए इस साझेदारी के तहत बाल अधिकारों और गुणवत्तामूलक शिक्षा तक उनकी निःशुल्क पहुंच का दावा किया जाएगा। एक्शनएड उन रणनीतियों को विकसित और क्रियान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध है जिनसे समुदाय की जागरूकता बढ़े और बाल अधिकार सुरक्षा समूहों के पक्षपातपूर्ण चलनों को चुनौती और प्रोत्साहन मिले और उनकी समझ बढ़े और यही एक्शनएड की समुदाय निर्माण प्रक्रिया का एक हिस्सा है। इन राजनीतिक प्रक्रियाओं से हाशिए पर पहुंचे समुदाय समाज में सामाजिक नियंत्रण के उपायों पर अपना नियंत्रण जमाने में सक्षम होंगे।

ऐसा सब कुछ करने के लिए हम इस व्यवस्था में उपलब्ध अवसरों का उपयोग करेंगे और सरकारी स्कूलों को पुख्ता करने के लिए इनका इस्तेमाल करेंगे। स्थानीय स्वशासन के निकाय इन अवसरों को प्रदान करने वाले मुख्य स्रोत हैं जो गांवों के विकास खासकर गांव वालों को शिक्षित करने हेतु अपनी कार्यवाई करने के लिए संवैधानिक प्रावधानों (73वें और 74वें संशोधनों) के जरिए कानूनी रूप सशक्त हैं। हम मानते हैं कि इस कार्यवाई के टिकाऊ उपायों को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा में स्थानीय स्वशासन के निकायों को पुख्ता करना और स्थानीय जबाबदेही बढ़ाना शामिल है। अतः पंचायती राज संस्थानो के साथ हमारे जुड़ाव में हमारा काम बाल हितों के समुचित क्रियान्वयन के साथ अपना जुड़ाव बनाना, उन्हें उनकी भूमिका के अनुपाल में सहयोग करना और उनके उन कामों को चुनौती देना जो बाल हित के विरूद्ध हैं।

मंचों और संसर्गों के साथ अहम् जुड़ाव

आज बाल अधिकार और शिक्षा के अधिकार को और ज्यादा प्रभावित करने के लिए साझेदारी और पफंड के रिश्तों से ऊपर उठ कर काम करना बेहद जरूरी है। अतः हमारा दोतरफा प्रयास होगा। सर्वप्रथम कार्य मौजूदा मंचों या संसर्गों (एनसीई, एस्बे सीएसीएल, पीसीसीएएसएस, वादा न तोड़ो और एनएएफआरई) के साथ जुड़ना और दूसरे मुद्दा आधारित मंचों या संघों को खड़ा करने में अपना सहयोग करना । एक्शनएड राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे संघों की उत्पत्ति के लिए विशेष प्रयास करेगा जिसमें शिक्षा पर सक्रिय समुदाय आधारित संगठनों के सदस्यों की सदस्यता सुनिश्चित की जाएगी। एम. वेकेटारंगईया फांउडेशन (एमवीएपफ) बाल अधिकारों और शिक्षा के अधिकारों का एक विशेषज्ञ (प्रवीण) संदर्भ केन्द्र है और इसलिए मंच की प्रक्रिया में उन्हें अपना सझेदार बनाया जाएगा। गुणवत्तामूलक शिक्षा पर आधारित बाल केन्द्रित समुदायिक संगठन के सिद्धांत व माध्यम से सह–मार्का बनता है। इसे उन शिक्षित युवाओं (दसवीं कक्षा) की स्वेच्छाचारिता से ताकत मिलेगी जो 'बाल अधिकारों के रक्षकों' के रूप में काम करते हैं। ये युवा बच्चे मंच की प्रक्रिया का निर्माण करने और पूरे सामाजिक समूहों के साथ जुड़ाव बनाने में अपनी मुख्य भूमिका निभाएंगें।–इससे चौतरफा प्रयास किया जाएगा। यह राष्ट्रीय स्तर के अन्य संगठनों के साथ हमारे जुड़ाव के एक मॉडल (आर्दश) के रूप में काम करेगा।

एक्शनएड का विश्वास है कि तीन सिद्धांत मंच के निर्माण की प्रक्रिया को तय करेंगेः जुड़ाव–उन सभी को एकजुट करने के लिए सच्ची भावना से सबके साथ खुलना जो बाल अधिकारों और शिक्षा पर सक्रिय हैं और आम न्यूनतम एजेंडा पर समान विचार रखते हैं। इससे समूह मुख्य विचारों और सिद्धांतों पर एकजुट होते हैं और इससे ऐसा कुशल नेतृत्व खड़ा करने में मदद मिलती है जिसपर व्यक्ति या संगठन द्वारा एकाधिकार करने की इजाजत नहीं है। हम सभी रचनात्मक स्रोतों के सहयोग का स्वागत करते हैं।

हम मानते है कि अतीत में विभिन्न संगठनों और नेटवर्कों के साथ राष्ट्रीय संसर्ग बनाने के हमारे प्रयासों से थोड़ी बहुत सफलता ही मिल पाई है। शिक्षा के क्षेत्रों में समूहों की आमतौर पर कठोर विचार धारा और राजनीतिक पक्ष होता है– इसीलिए विविध विचारों में नरमी बरतने और उनके समायोजन को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। नागर समाज के संगठनों (सीएसओ) में सामंतवादी सोच और राजनीतिक व संकल्पनात्मक भिन्नताएं व्याप्त हैं। इसके अलावा, सीएसओ ऐसे कामों के लिए ज्यादा प्रभावी ढंग से जुड़ना चाहते हैं जो कि अल्पकालिक और 'घटना आधारित' होते हैं जैसाकि एनएपफआरई और शिक्षा विधेयक के मामले में ऐसा ही हुआ है। फिर भी हम मंच के निर्माण के तीन सिद्धांतों का उपयोग करते हुए अपनी रणनीतियों की सह–क्रिया करने और इन चुनौतीयों का सामना करने का प्रयास करेंगे। ''जिला से लेकर राज्य और राष्ट्रीय स्तरों तक सांगठनिक उत्पत्ति का सहयोग करते हुए नीचे से ऊपर के दृष्टिकोण से।

सामाजिक आंदोलनों और अध्यापक यूनियन के साथ एका

विश्व की उन कार्पोरेट ताकतों और नव उदारवाद के विरूद्ध जंग छेड़ने के लिए व्यापक स्तर पर एका बनाने की जरूरत है जो बाल अधिकारों और शिक्षा को प्रभावित करते हैं। यह एका स्थानीय हो सकता है या राज्य अथवा राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर तक फैल सकता है। सामाजिक आंदोलनों के साथ जुड़ाव एक नया मैदान है जिसमें एक्शनएड को थोड़ा–बहुत ही अनुभव है लेकिन इसकी मान्यता है कि ये सामाजिक बदलाव लेने की प्रक्रिया के अहम् यात्रा हैं और एक्शनएड को इनके अनुभवों से अभी भी काफी–कुछ सीखना है और उनके साथ काम करने के रास्ते तलाशने हैं। हम इन सामाजिक आंदोलनों के साथ विकास के मुख्य मुद्दों पर अपना संवाद चलाएंगे जिससे उनके और करीब आकर मौजूदा आपसी अविश्वास को कम किया जा सके। हम मानते हैं कि सामाजिक आंदोलन काफी बड़ी प्रक्रिया है और जो सदस्यता के आधार पर संगठित होता हैं। एक्शनएड की राजनीतिक शिक्षा की प्रक्रिया से राजनीतिक अर्थव्यस्था के बड़े मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने में मदद मिल सकती है और यह उस सांस्कृतिक दबंगता को भी चुनौती देने में सहयोग करेगा जिससे बच्चे अपने अधिकारों से वंचित हैं। इस प्रकार, इससे एक ऐसे भावपूर्ण आंदोलन का निर्माण होगा जो शिक्षा को प्राथमिक बनाएगा और इसे राजनीतिक एजेंडा के शीर्ष पर रखेगा और बदलाव की मांग करेगा।

इस सोच के तहत हम अध्यापकों को सरकारी स्कूली व्यवस्था को पुख्ता करने और राज्य से शिक्षा तक पहुंच और गुणवत्तामूलक शिक्षा के प्रति जवाबदेह होने की मांग करने में अपना मित्र मानते हैं। इसके लिए हमें अध्यापक यूनियनों के साथ जुड़ना होगा और शायद पार्कटोनियन डिक्लेरेशन उनके साथ हमारे जुड़ाव का आधार बने। हम बाल अधिकारों के प्रति उनकी निष्ठा तथा बच्चों को गुणवत्तामूलक शिक्षा देने में अधिकाश अध्यापकों की सक्षमता पर भरोसा करते हैं और यह मानते हैं कि स्कूलों के शासन की अड़चनों के कारण उनकी ऊर्जा बाहर नहीं निकल पाती है। अध्यापक युनियनों और गैर–सरकारी संस्थाएं सामान्य बिन्दुओं पर ध्यान केन्द्रित करके और राष्ट्रीय व स्थानीय मुद्दों को जोड़कर साथ–साथ काम कर सकते हैं। अध्यापकों के साथ यह जुड़ाव सभी स्तरों पर बनाना होगा जिसमें चार एजेडों को केन्द्र में रखा जाएगा। ''गुणवत्तामूलक शिक्षा (पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित और प्रोफेशनल अध्यापकों– खासकर अध्यापिकाओं ' पर्याप्त बुनियादी ढांचा–खासकर लड़कियों के लिए अलग शौचालय और अध्यापन शिक्षण सामग्रियों की मांग करते हुए); सार्वजनिक–निजी साझेदारी का विरोध और ठेके पर अध्यापकों के नियुक्ति का विरोध करना (जो कि नव उदारवाद की परिणति है) और ''बच्चों की निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा तक पहुँच का अधिकार विधेयक'' पर कानून बनाने और उसे लागू करने में सहभागिता। एक्शनएड मौजूदा संसर्गों को आपस में जुड़ने में सहयोग करने पर बल देगा जिससे वे एक आम मंच पर साथ–साथ जुड़ सकें। यह क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा पर सामूहिक रूप से अपनी एक सशक्त आवाज बुलन्द करने में सहयोग करेगा।

मीडिया, ट्रेड युनियनों, नेटवर्कों, सामाजिक आंदोलनों और नागर समाज के समूहों को जोड़कर इसका एक व्यापाक आधार बनाना जरूरी है। इस मुद्दे पर 'एजुकेशन इंटरनैशनल' के साथ एक संसर्ग बनाया जाएगा। यद्यपि सामाजिक आंदोलनों के साथ हमारी वरीयता गैर–फंडिग होगी लेकिन जरूरत पड़ने पर हम उनकी इस तरह से भी मदद कर सकते हैं। हम मानते हैं कि ट्रेड युनियन और उनकी सदस्यता आधारित स्वरूप से जन–नीतियों व संस्थानों को प्रभावित करने के लिए उनके साथ एका बनाने के अवसर प्राप्त होते हैं। अधिकारों की कार्यवाई की इस साझेदारी में हमारे मार्गदर्शक सिद्धांत में जन–संघर्षों को पुख्ता करने के लिए उनका सहयोग पाने की कोशिश करते हुए रणनीतिक सामंजस्यता बनाए रखना शामिल है। हम समझते हैं कि ट्रेड यूनियनों को पोलो फ्रायर और ग्राम्सी के उस दर्शन का उपयोग करके राजनीतिक और सामाजिक बदलाव लाना होगा कि अधिकार आधारित दृष्टिकोण के काम में सहयोग करना शामिल है।

अध्याय ६

जवाबदेही

ग्लोबल मानिटरिंग फ्रेमवक शिक्षा विषय योजना और बच्चों पर प्रभाव की माप करने समेत हमारी राष्ट्रीय रणनीति से हुई प्रगति की खोज–खबर रखने में मार्गदर्शन करता है जिसमें चार आयामों का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है – अधिकार रखने वालों (उपेक्षित समुदाय के लड़कों व लड़कियों) की दशा में सुधार करना, इन समुदायों के प्रौढ़ों में अधिकारों की जागरूकता जगाना, कर्तव्यपालकों द्वारा न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक शासन तथा गरीबों के संघर्षों के साथ नागर समाज का एका बनाना, जिससे वे अपने बच्चों के अधिकारों और शिक्षा के अधिकार का दावा कर सकें। यह प्रभाव जमाने की जबावदेही शिक्षा कार्य समूह (एजूकेशन वर्किंग ग्रुप) की सामूहिक रूप से है और वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा इनका आदान–प्रदान किया जाता है। इसके लिए पर्याप्त सांगठनिक उपाय करने की जरूरत पड़ती है।

❖ गरीब व उपेक्षित लोगों की दषाओं में बदलाव लाएं-अधिकारों को स्थापित करना।

- स्कूलों तक पहुंच में सुधार
- सामाजिक समूहों व जेंडर के जरिए बच्चों के दाखिले, स्कूलों में उनकी उपस्थिति बनाए रखना
- सामाजिक समूहों व जेंडर के जरिए ब्रिज पाठ्यक्रमों का स्कूल से बाहर के बच्चों में विस्तार
- गुणवत्तामूलक शिक्षा – स्कूल के बुनियादी ढांचे (स्कूली सुविधाओं, अध्यापकों की नियुक्ति, अध्यापन–शिक्षण सामग्री) की उपलब्धता
- स्थापित आईसीडीएस तक पहुंच
- त्रासदी के जोखिम में गिरावट–स्कूलों की नाजुक स्थिति को संबोधित करने के लिए विस्तार और सामाजिक कार्यवाई (संदर्भ सहभागी असुरक्षा विश्लेषण)

❖ अधिकारों की जागरूकता- गरीबों की क्षमता, संगठन और संघटन

- समुदायिक दल–उनका ज्ञान और उनकी कुशलता, शिक्षा के मुद्दों पर सामूहिक कार्यवाई, बाल योजनाओं तक पहुँच –पक्षपात (जेंडर, जाति अपंगता के आधार पर) और हिंसा की स्थिति में सुधार।
- समुदाय आधारित स्कूलों की मॉनिटरिंग और स्कूल जारी रखने वाले बच्चों की खोज–खबर रखना।
- मौजूदा ग्राम सभा के प्रस्तावों और स्थानीय योजना, पारदर्शी जवाबदेही के उपायों को सक्रिय करने के प्रयास
- स्थानीय स्वशासन से अधिकारों और कार्यवाई की मांग करने के लिए सामुदायिक संघटन, रिफ्लेक्ट चक्र–चर्चा और कार्यवाई की जाए।

❖ राज्य व गैर-राज्य (कर्तव्यपालकों) की नीतियाँ व उनके चलन

- नीति/चलन बदलते हैं– शिक्षा का अधिकार विधेयक, कानून बनाना।
- स्थानीय योजना / बजट की खोज–खबर पर आधारित संसाधनों के आवंटन में बढ़त।
- बाल मजदूरी अधिनियम और राज्य स्तरीय नीति के मुद्दों पर एन.सी.पी.सी.आर के साथ सहयोग।
- सार्वजनिक–निजी साझेदारी के विरोध पर प्रतिक्रिया

❖ गरीब लोगों के समर्थन में नागर समाज का संघटन

- अध्यापक युनियनों /नागर समाज के संगठनों /विधायकों/संसर्गों/ जन–आंदोलनों द्वारा सामूहिक कार्यवाई
- राज्य स्तर पर बड़े पैमाने पर संघटन

उपरोक्त चार पहलुओं पर नियतकालिक जानकारी बहाव का खाका खींचा जाता हैं। इसका ध्येय एक ऐसी संस्थानिक व्यवस्था खड़ी करना है जिसमें वे एक–दूसरे से सीखें, जनसमर्थन के काम का सहयोग करें और मानिटरिंग को कुशल बनाएं।

- साझेदार और क्षेत्रीय स्तरों पर एकत्रित किए जाने वाले क्षेत्रों द्वारा एक स्थानीय माध्यम के रूप में काम करने के लिए जोड़े जाने वाले पहलुओं पर आंकड़े। इसके बाद क्षेत्रों में वापस फीडबैक देने और केन्द्र के निर्देश निर्धारित करने के लिए इस जानकारी का विश्लेषण।
- रिपोर्ट के दो भाग हों– एक खास अवधि में की गई मुख्य कार्यवाईयां और उस अवधि में मात्रात्मक उपलब्धियां। सामाजिक समूहों व जेंडर द्वारा यह जानकारी बिखरे रूप में उपलब्ध होगी– और इसमें गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों जानकरियां होंगी।

फालो–अप के परिणाम और केन्द्र में रखे गए क्षेत्रों का साझेदारों की क्षेत्रीय परियोजना की बैठकों में जवाबदेही की व्यवस्था (उपाय) के रूप में आदान–प्रदान किया जाएगा।

इसी आधार पर सरकारी स्कूलों के काम की मानिटरिंग निर्धारित की जाती है। सरकारी स्कूली व्यवस्था को पुख्ता करने के काम की कारगरता बढ़ाने के लिए तीन घटकों को जरूरी माना जाता है। जैसे–जैसे समुदायिक समूह परिपक्व होते जाते हैं, वैसे–वैसे ये लक्ष्य हासिल होते जाते हैं (अधिकारों की जागरूकता संबंधी प्रभाव)।

(क) सच्चे अर्थों में समुदाय आधारित कार्यवाई होने के लिए सहभागी योजना बजट बनाना, मानिटरिंग व मूल्यांकन करना। स्थानीय कार्यक्रम के मूल्यांकन, योजना, क्रियान्वयन, मानिटरिंग और समीक्षाओं की सभी प्रक्रियाओं में गरीब और उपेक्षित लोगों को सीधे कार्यवाही करनी चाहिए।

(ख) विश्वसनीय चलनों को सुनिश्चित करने के लिए गैर–सरकारी संगठन या समुदाय आधरित संगठन में पारदर्शिता। समुदाय उन्हीं संगठनों का ज्यादा सहयोग करेगा जो सच्चे और ईमानदार हैं।

(ग) लोगों को सही अर्थों में काम सौंपने के लिए चालू प्रक्रिया की चिरंतरता और संगठन की तैयारी।

निष्कर्ष

हमारे घोषणा–पत्रों में बाल अधिकारों और शिक्षा के अधिकार के साथ बाल प्रयोजन गरीबी दूर करने के हमारे काम के लिए आय के मुख्य स्रोत हैं। सांगठनिक रूप से भी हम यह मिशन आगे तक ले जाने के लिए मजबूत स्थिति में हैं क्योंकि विभिन्न स्तरों पर हमारा शिक्षा के मुद्दों के साथ लम्बे समय से जुड़ाव बना रहा है। हमारी सांगठनिक यात्रा में योजना बनाना और रणनीतियां निर्धारित करना जारी रहा, जिसमें बाल अधिकारों और गुणवत्तामूलक शिक्षा के मौलिक अधिकारों को ताजा किया जाता रहा।

सरकारी स्कूलों को पुख्ता करना आरबीए के सिद्धांतों के केन्द्र में रहा है जिसमें कहा गया है कि राज्य पर यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि इसके बच्चे अपने अधिकारों का आनन्द लें और इसकी किसी अवहेलना के लिए स्कूल को जबाबदेह बनाया जाना चाहिए। यह हासिल करने के लिए इसके पांच पक्षीय रणनीतिक लक्ष्य आपस में एक–दूसरे के पूरक हैं– समुदाय को जागरूक किया जाए कि वे अपने बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी उठाएं, बाल अधिकारों को राजनीतिक एजेंडा के शीर्ष पर लाने की राज्य की जवाबदेही सुनिश्चित करने के अवसर तलाशना, बच्चों के विरूद्ध सभी तरह के पक्षपात को समाप्त करना और इन संघर्षों में नागर समाज की एकात्मता स्थापित करने के अवसर तलाशना।

कार्य विषयक हस्तक्षेपों के जरिए सीमांतक समुदाय के संसर्ग से मुद्दे स्थापित करने और नीतियों को प्रभावित करने से हमारे काम में तेजी आयी। हमारे प्रयासों और परिणामों में बाल केन्द्रित सिद्धांतों के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है। हमारा सिर्फ यही संकल्प है कि ''प्रत्येक बच्चा सम्मान और समानता के साथ गुणवत्तामूलक शिक्षा तक पहुँच के अपने अधिकारों का पूरा लाभ उठाए''।

(वर्ष २००२-०३ शिक्षा पर राज्य के संकेतों का चुनाव करें)

संकेत	असम	आन्ध्रप्रदेश	बिहार	छत्तीसगढ़	गुजरात	कर्नाटक	म.प्र.	महाराष्ट्र	उड़ीसा
जनसंख्या (मिलियन में)	26.64	75.73	82.88	20.8	50.6	52.73	60.38	96.75	36.71
लिंग का अनुपात	932	978	921	990	921	964	920	922	972
स्कूलों की कुल संख्या	37026	87575	59706	30688	16518	51272	85225	60251	47572
कुल साक्षरता दर	64.3	61.1	47.5	65.2	70	67	64.1	77.3	63.6
स्त्रियों में साक्षरता दर	56	51.2	33.6	52.4	58.6	57.5	50.3	67.5	51
उत्तर प्रदेश के प्राथमिक कक्षा में अनु. जाति के दाखिले का प्रतिशत	9.95	38.5	14.05	15.25	8.7	19.3	17.4	15.85	19.3
उ प्र के प्राथमिक कक्षा में अनु. जनजाति के दाखिले का प्रतिशत	16.85	16.3	1	28.35	16.2	7.55	20.05	11.4	21.2
अपंग बच्चों की संख्या	530 300	1 364 981	1 887 611	419 887	1 045 465	940 643	1 408 528	1 020 371	1 021 335
अपंग बच्चों का कुल दाखिला	15726	128420	112824	26925	32012	75007	92168	78635	54231
विद्यार्थी कक्षा के कमरों का अनुपात	37.8	35	59.8	38	41.6	30.8	41.2	33.2	68.8
स्कूल अध्यापकों का अनुपात	3.96	4.09	2.55	2.9	4.84	4.58	3.41	5.19	2.75
विद्यार्थी अध्यापक का अनुपात	19.4	29.4	69.4	35.2	39.4	30.2	32.6	27.8	35.4
कुल अध्यापकों में ठेके के अध्यापकों का प्रतिशत	0.7	8.2	0.9	17.14	0.7	0.19	26.6	0.58	4.29
कुल अध्यापकों में अध्यापिकाओं का प्रतिशत	27.91	36.94	17.66	22.69	41.7	48.92	29.9	29.39	27.42

संकेत	राजस्थान	तमिलनाडु	प. बंगाल	उ. प्रदेश
जनसंख्या (मिलियन में)	56.47	62.11	166.05	80.22
लिंग का अनुपात	922	986	898	934
स्कूलों की कुल संख्या	81154	45902	119443	58698
कुल साक्षरता दर	61	73.5	57.4	69.2
स्त्रियों में साक्षरता दर	44.3	64.6	43	60.2
उत्तर प्रदेश के प्राथमिक कक्षा में अनु. जाति के दाखिले का प्रतिशत	18.05	26	30.75	26.2
उ प्र के प्राथमिक कक्षा में अनु. जनजाति के दाखिले का प्रतिशत	14	1.5	0.25	5.25
अपंग बच्चों की संख्या	1 411 979	1 642 497	3 453 369	1 847 174
अपंग बच्चों का कुल दाखिला	121807	60417	169979	83739
विद्यार्थी कक्षा के कमरों का अनुपात	27.6	33.2	42.4	59.6
स्कूल अध्यापकों का अनुपात	3.37	4.89	2.94	3.75
विद्यार्थी अध्यापक का अनुपात	31.8	41.8	49.6	56.4
कुल अध्यापकों में ठेके के अध्यापकों का प्रतिशत	11.25	4.3	6.2	0.23
कुल अध्यापकों में अध्यापिकाओं का प्रतिशत	23.9	46.6	25.9	25.16

India Country Office
R 7, Hauz Khas Enclave
New Delhi 110016.
Tel: +91 11 40640500
Fax +91 11 41641891
www.actionaidindia.org

International Head Office
PostNet Suite #248, Private Bag X31
Saxonwold 2132, Johannesburg
South Africa
Tel: +27 11 731 4500
Fax: +27 11 880 8082

Photo: Tom Pietrasik, Liba Taylor, Des Willie/ActionAid (in order)

शिक्षा की रणनीतिक योजना 2008-2010

actionaid

अंतिम टिप्पणियाँ

१. व्यक्ति और समाज के लिए जिस तरह से शिक्षा को महत्व दिया जाता है उसकी व्याख्या ड्रेज एण्ड सेन के क्लासीफिकेशन से ली गई है।

२. सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य यही है कि सन् २००२ तक सभी बच्चे किसी न किसी रूप में स्कूलों में हों (शिक्षा गारंण्टी योजना, वैकल्पिक स्कूल 'वापस स्कूल में' शिविर)। सन् २००७ तक सभी बच्चे पांच सालों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करें, सन् २०१० तक सभी बच्चे ८वीं कक्षा तक अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करें, जीवन भर के लिए शिक्षा पर जोर देते हुए प्राथमिक षिक्षा की संतोषजनक गुणवत्ता को केन्द्र में लाना, सन् २००७ तक प्राथमिक अवस्था में और सन् २०१० तक प्रारंभिक शिक्षा में जेंडर और सामाजिक श्रेणियों के बीच की दूरी समाप्त करना और सन् २०१० तक सभी बच्चों को स्कूल में टिकाए रखना।

३. यह एक सामान्य षब्द है जिसका वेतन और शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकताओं के मायने में विभिन्न सेवा शर्तों के तहत ठेके पर नियुक्त सभी अध्यापकों की विशेषता बताने में उपयोग किया जाता है। राज्य सरकारों के सरकारी दस्तावेजों में इन्हें ''शिक्षाकर्मी'', ''शिक्षामित्रों'', '' गुरूजी'' इत्यादी नाम दिया गया है।

४. दोपहर के भोजन की योजना का एक लम्बा इतिहास है, खासकर तामिलनाडु और गुजरात में और २८ नवम्बर, २००१ के दिन भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका के एक ऐतिहासिक निर्देश के बाद से इस योजना का भारत के सभी हिस्सों में फैलाव किया गया। अब तक १२ करोड़ बच्चों को इस योजना के दायरे में लाया गया है, जो कि दुनिया में दोपहर के भोजन का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। वर्ष २००६-२००७ में इस योजना के लिए आवंटन ३०१० करोड़ से बढ़ाकर ४८१३ करोड़ रूपए कर दिया गया। तकनीकी रूप से इसे ''प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण (आहार) का सहयोग'' का नाम दिया गया।

५. सन् १९९३ में भारतीय संविधान में ७३वां और ७४वां संवैधानिक संशोधन किया गया, जिससे सामाजिक क्षेत्रों और विकास की योजना बनाने की काफी शक्तियां स्थानीय स्तर की सरकारों या पंचायतों को हस्तांतरित हो गई। संविधान में पंचायती सभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। पंचायती राज के संस्थानों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना बनाने का काम सौंपा गया।

६. अंतर्राष्ट्रीय विकास में शर्त से मतलब उन शर्तों से है जो कि किसी कर्ज या ऋण के साथ जुड़ा होता है, उसी तरह से जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक या द्विपक्षीय वित्तीय संस्थान, अनुदानदाता देश के मामले में देखने को मिलता है। वित्तीय सहायता के प्रभाव बढ़ाने वाली शर्तों में अविवादित शर्तें भी जुड़ी हो सकती हैं जैसे : भ्रष्टाचार विरोधी उपाय लेकिन इनमें सबसे ज्यादा विवादित शर्तें भी षामिल हो सकती है जैसे प्रमाणिकता या मुख्य सार्वजनिक क्षेत्रों का निजीकरण। इन शर्तों को आमतौर पर ढांचागत समायोजन के तहत रखा जाता है जैसाकि ये ढ़ांचागत समायोजन कार्यक्रमों में प्रधानता से जुड़े हुए थे। अन्य तरह की शर्तें जिन्हें आमतौर पर वित्तीय सहायता के साथ जोड़कर रखा जाता है, जिनमें पैसों का विशिष्ट तरह से उपयोग करने की शर्त रखी जाती है। मिसाल के लिए, कई देश घरेलू उत्पादों की खरीद के लिए इसे वित्तीय सहायता के शर्त के रूप में थोपते हैं लेकिन पिछले १५ सालों से इसका चलन काफी घट गया है।

७. ''नव-उदारवाद'' एक राजनीतिक विचार है जिसकी उत्पत्ति १९६० के दशक में हुई जो आर्थिक प्रगति को महत्व देता है और जिसका दावा है कि सरकार के कम से कम हस्तक्षेप और मुक्त बाजार की ताकतों से ही सामाजिक विकास को काफी अच्छी तरह से बरकरार रखा जा सकता है। इससे एड्म स्मिथ के विचारों (उदारवाद) पर वापस लौटा गया है जिन्होंने आर्थिक मामलों में सरकारी हस्तक्षेप को समाप्त करने की हिमायत की है, जैसे निर्माण के प्रतिबंधों और व्यापारिक बाधाओं को समाप्त करना क्योंकि उनके विचार से मुक्त बाजार व्यवस्था ही किसी देश की अर्थव्यवथा के विकास का सबसे बेहतरीन तरीका है। ऐसे विचार ''उदारवादी'' थे। इस मायने में इसमें कोई नियंत्रण न रखा जाए। इस व्यक्तिवादी सोच ने ''मुक्त'' उद्यम, ''मुक्त'' प्रतियोगिता (प्रतिस्पर्धा) को प्रोत्साहित किया- जिसका अर्थ है कि पूंजीवादियों को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए मुक्त छोड़ दो क्यों कि यही वे चाहते थे।

८. शिक्षा की ग्रेड व्यवस्था में बहु-ग्रेड का अध्यापन तब होता है जब एक कक्षा में दो या उससे अधिक विद्यार्थी ग्रेड स्तरों के होते हैं। यह कक्षा संगठन के आम तौर-तरीकों से भिन्न होता है जहां एक ग्रेड स्तर के ही विद्यार्थियों के लिए एक ही कक्षा होती है। पारंपरिक रूप से बहु ग्रेडिग दूर-दराज के बीहड़ इलाकों की बिखरी आबादियों के 'छोटे-छोटे' स्कूलों से संबंधित है जहां एक, दो या तीन अध्यापक प्राथमिक शिक्षा की पूरी पढ़ाई कराते हैं। बहु-ग्रेड स्कूलों ने विकासशील देषों के संदर्भ में अपना ध्यान खींचा है क्योंकि इनमें प्राथमिक स्कूल की सहभागिता दर बढ़ाने की काफी सक्षमता होती है। वहीं बहु ग्रेड के स्कूल, अच्छी स्थिति में काफी आर्थिक और शैक्षणिक लाभ पहुंचाते हैं। लेकिन इसमें ऐसी कई कमियां हैं जिनपर विचार किया जा सकता है: बहुग्रेड वाले स्कूलों में विद्यार्थियों की उपलब्धि एकल ग्रेड स्कूलों की उपलब्धि की तुलना में कम हो सकती है। अगर बहु-ग्रेड के कार्यक्रमों को आवश्यक संसाधनों का सहयोग नहीं प्राप्त हुआ और अगर इनके अध्यापकों को सही ढंग से प्रशिक्षित नहीं किया गया। अध्यापकों के समय की काफी मांग बढ़ी है और उन्हें विशेष प्रषिक्षण व सामग्रियों की जरूरत पड़ती है जो उन्हें सामान्यतः उपलब्ध नहीं कराया जाता है और इसमें विद्यार्थियों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान नहीं दिया जा पाता है और ये आमतौर पर मुक्त रूप से काम करते हैं।

९. मध्य प्रदेश राज्य में अपर्याप्त तथा असमान प्राथमिक स्कूली सुविधाओं के वितरण को देखते हुए जनवरी १९९७ में मध्य प्रदेश में समुदाय केन्द्रित पहल-प्रयास के रूप में षिक्षा गारंटी योजना षुरू की गई। इस योजना से सरकार ऐसे किसी समुदाय को ९० दिनों के भीतर स्कूली षिक्षा की सुविधाएं देने को बाध्य हुई जहां ६-१२ साल की उम्र के स्कूल न जाने वाले ४० बच्चे थे और जहां एक किलोमीटर की दूरी तक कोई स्कूली सुविधा मौजूद नहीं थी। इस योजना के तहत समुदाय को स्कूल के लिए स्थान का प्रबंध करना था और अपने निवास से एक अध्यापक का चुनाव और उसकी नियुक्ति करनी थी। यह स्कूल ५वीं कक्षा तक हैं। उसके बाद विद्यार्थियों को समीप के सरकारी औपचारिक स्कूल की मुख्यधारा के साथ जोड़ा जाता है। एस.एस.ए ने शिक्षा गारण्टी योजना और वैकल्पिक तथा नवीन षिक्षा (ईजीएस और एआई ई) के रूप में इसे अपने साथ जोड़ा, फिर भी एक बहु-ग्रेड व्यवस्था में अप्रशिक्षित अध्यापकों का उपयोग होने और बेकार बुनियाद ढांचा होने से इनमें शिक्षा की गुणवत्ता काफी कम रहती है, खासकर तीसरी कक्षा के बाद।

१०. भारत के मूल निवासी, देषज लोग आदिवासी आबादी में आते हैं। इस देश की कुल आबादी में आदिवासी लोगों की संख्या ८.३ प्रतिशत है यानी २००१ की जनगणना के अनुसार ८ करोड़ ४० लाख। प्रथागत रूप में उनके कई विशेषक उन्हें उनकी जाति पहचान की बजाय आदिवासियों के रूप में स्थापित करते रहे हैं, इनमें भाषा, सामाजिक संगठन, धार्मिक जुड़ाव, आर्थिक तौर-तरीके, भौगोलिक स्थान और आत्म-पहचान शामिल है। मान्यता प्राप्त आदिवासी जाति बंदोबस्त वाले इलाकों से दूर पहाड़ी इलाकों में वास करते हैं, वे एक ऐसी भाषा बोलते हैं जिसे आदिवासियों की भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है।

११. आई.सी.डी.एस समेकित बाल विकास सेवा है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी समेकित शुरूआती बचपन का कार्यक्रम है और पूरे देश में ४०,००० से भी ज्यादा इसके केन्द्र हैं, जिसका ध्येय छः साल की उम्र से छोटे बच्चों की पोषणता और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना है, जो बच्चों की मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास का आधार प्रदान करता है, जो मातृत्व मृत्यु, रूग्णता, कुपोषण और स्कूल छोड़ने वालों की दर को घटाता है, विभिन्न विभागों के बीच नीति और क्रियान्वयन की दर को घटाता है, विभिन्न विभागों के बीच नीति और क्रियान्वयन के प्रभावी समन्वय का लक्ष्य हासिल करता है जिससे बाल विकास को बढ़ावा मिले और बच्चे के सामान्य स्वास्थ्य और पोषणता की आवश्यकताओं के पूरा करने में माताओं को समुचित स्वास्थ्य और पोषणता संबंधी शिक्षा देकर उनकी सक्षमता को बढ़ाता है। ३ से ६ साल की उम्र के बच्चों के लिए यह स्कूल पूर्व-शिक्षा के अभिन्न रूप में एक समग्र व्यवस्था है। फिर भी मूल्यांकनों से पता चलता है कि इसका स्कूल-पूर्व घटक का पक्ष कमजोर है।

India Country Office
R 7, Hauz Khas Enclave
New Delhi 110016.
Tel: +91 11 40640500
Fax +91 11 41641891
www.actionaidindia.org

International Head Office
PostNet Suite #248, Private Bag X31
Saxonwold 2132, Johannesburg
South Africa
Tel: +27 11 731 4500
Fax: +27 11 880 8082

Photo: Tom Pietrasik, Liba Taylor, Des Willie/ActionAid (in order)